राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ८१वां दिवस [संख्या ४९

मंगलवार, ७ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बजकर ११ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

१४३१. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state:—(a) Is it correct that the accounts books (bahis) sezed by the police from the alleged gold smugglers at Jodhpur during their raid on 47 shops on 26.9.58 shows, 7500 entries of a suspicious nature of purchasing gold ornaments from individual and a like number of entries for sale through post parcels and carriers to Ajmer and Bombay during the months of July, August and September, 58, the transaction ran to Rs. 2.50 crores worth of gold ?

(b) Is it correct that the Investigating officer examined 250 witnesses who confessed that they neither sold any gold nor were they in a position to effect such transaction ?

(c) Is it correct that inspite of prima facie cases being proved against these firms of gold dealers the police is not preparing any challan for the prosecution of these persons in a court of law inspite of the repeated requests made to the Rajasthan authorities by the Central Customs authorities to prosecute these people in a court of law ?

(d) Is it correct that after 6 months the Rajasthan police have now handed over the case to the Central Customs authorities, who will be required to conduct the entire investigation de novo ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (a) The Police did seize account books of 47 shops as a result of raids carried from27.9.58to 12.11.58. Their scrutiny revealed numerous fictitious entries showing purchase of 124397 tolas of gold ornaments to account for this receipt of the smuggled gold and

Page No.2

(श्री रामकिशोर व्यास)

further entries of sale of 121540 tolas gold and entries of despatch of gold parcels to Ajmer, Ahmedabad, Udaipur, Byawar, Jaipur, Bombay, Indore and Raipur. These transactions were of about 1¾ crores worth of gold and not of 2½ crores.

(b) Yes Sir. About 376 persons so deposed against the shop-keepers before Police.

(c) No Sir. It is not correct. Police has forwarded cases against 22 firms to Customs authorities for action under Customs Laws and investigation is in progress regarding offences of forgery etc. Thus the cases that can be taken up by the Customs authorities only are being dealt with by then, and these that can be handed by the Police are being dealt with by Police.

(d) The Police have forwarded the cases of 22 firms after proper investigation. This Department cannot say what procedure the Customs Authorities will adopt.

श्री पी० के० चौधरी : What are the names of the firms in whose books, fictitious entries have been found and what is the total number of such entries deducted ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि ये सारे मामले इन्वेस्टीगेशन में हैं। जो फेक्ट्स मैंने बताये हैं उनसे ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन में न पड़ना अच्छा है कि किस फर्म का चालान किया है, किस का नहीं किया है। कुछ मामलों में इन्वेस्टीगेशन करके कस्टम डिपार्टमेंट को भेज दिये हैं और कुछ इन्वेस्टीगेशन चल रही है। किसको भेजा है और किसको नहीं भेजा है, अगर इसके डिटेल्ड डिस्कशन में न पड़ें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री पी० के० चौधरी : What is the total number of those fictitious entries found ?

श्री रामकिशोर व्यास : काफी नम्बर हैं। टोटल नम्बर कितना है, यह मैं नहीं कह सकता। काफी तादाद में हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इनके साथ स्मगल्ड गोल्ड भी पकड़ा गया है।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत थोड़ा पकड़ा गया है, बाकी कागज़ कागज़ हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Why the Government did not take action for forgery against these people ?

श्री रामकिशोर व्यास : This is being enquired into and action will be taken.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that so long as the enquiry is conducted, a prima facie case is in whose books fictitious entries were found ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह भी डिस्कस न करें तो अच्छा है कि किसका प्राइमा फेसी केस है और किसका नहीं। मैं कहना

Page No.3

(श्री रामकिशोर व्यास)

चाहता हूं कि पुलिस ने काफी वर्क किया है, काफी दिलचस्पी से किया है और काफी दिलचस्पी ली है। मोटे तौर पर अगर १ हजार फिक्टीसियस एन्ट्रीज़ एक्ज़ामिन हुई that will take time. १ हज़ार फिक्टिसियस केसेज़ ऐसे हैं, जो बहुत दूर दूर के हैं, अलग अलग बहुत बहुत दूर की जगह के हैं, इसलिए टाइम लगने का है। उन सबके खिलाफ़ तफ़तीश करके उन्हें यह सज़ा दिलाई जाय, यह अच्छा होगा।

श्री पी० के० चौधरी : How much time do you expect to take to complete this enquiry for prosecuting ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह कहना मुश्किल है, कई जगह के केसेज़ हैं, वहां जाना पड़ता है। काफी केसेज़ रिकार्ड हुए हैं। मैं कह सकता हूँ कि इतने बड़े बड़े केसेज़ बनाये हैं।

श्री पी० के० चौधरी : While forwarded the cases to the Central Excise, have you simply forwarded the cases or you have sent evidences etc. recorded by your Enquiry Officer ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे सब भेज़ दिये हैं, सब कागज़ भेज़ दिये हैं।

श्री पी० के० चौधरी : The entire evidences ?

श्री रामकिशोर व्यास : हां।

श्री पी० के० चौधरी : So the Central excise won't need to examine the evidence ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो भी करे हैं, वे उनके करने के थे, हमारे करने के नहीं थे। फिर भी जो हमने किये हैं वे भेज दिये हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो लोग पकड़े गये, सस्पेन्सन में पकड़े गये हैं, उनमें से कितने केसेज़ हैं जो चालान हो जाने चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह नहीं कह सकता, कितने चालान हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल।

पंचायत के अधिकारियों की नियुक्ति

११३२. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा ७४ के अन्तर्गत जो अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त हो सकते हैं, उनमें से कौन कौन नियुक्त हुए ?

(ख) क्या उक्त धारा के अन्तर्गत नियुक्त किये गये सब अधिकारी और कर्मचारी अब भी मौजूद हैं ? यदि नहीं, तो उनके बजाय कौन उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों का पालन करता है ?

(ग) क्या इन सब अधिकारीगण और कर्मचारियों के अधिकार राजस्थान पंचायत एक्ट के अन्तर्गत काम में लिए जाते हैं ?

(घ) पंचायत विभाग के पुनर्गठन की नई योजनाओं में कौन कौन से नये अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और क्या ये अपने कार्य पंचायत एक्ट के अधीन कर रहे हैं ?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) धारा ७४ के अन्तर्गत मुख्य पंचायत अधिकारी व डिवीज़नल पंचायत ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं। पंचायत विभाग के पुनर्गठन होने के पश्चात् पंचायत विभाग के अध्यक्ष का पद मुख्य पंचायत अधिकारी से संचालक, पंचायत विभाग व बाद में उप विकास आयुक्त में परिवर्तन किया गया है। इस समय परिस्थिति यह है कि पंचायत विभाग के मुख्य अधिकारी विकास विभाग के उप विकास कमिश्नर बनाये गये हैं और इस प्रकार विकास व पंचायत विभाग का एकीकरण हो गया है। बिल भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जा चुका है। मुख्य पंचायत अधिकारी अधिनियम के सिलसिले में जो कार्य करते हैं उसमें अपने आपको मुख्य पंचायत अधिकारी एवं उप विकास आयुक्त लिखते हैं तथा प्रशासनिक मामलों में केवल उप विकास आयुक्त के पद का ही प्रयोग करते हैं। पुनर्गठन योजना के बाद अब तक चार जिला पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। और बाकी की नियुक्ति के बारे में कार्यवाही हो रही है।

(ख) मुख्य पंचायत अधिकारी का कार्य मुख्य पंचायत अधिकारी एवं उप विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है तथा डिवीजनल पंचायत अधिकारी के प्रशासनिक कार्य जहां जहां जिला पंचायत अधिकारी नियुक्त हो चुके है, वे करते हैं या विभाग के मुख्य कार्यालय में होता है। परन्तु यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि डिवीज़नल पंचायत अधिकारियों को राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत कोई खास अधिकार नहीं दिये गये थे और अब जिला पंचायत अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) पंचायत विभाग के पुनर्गठन होने के पश्चात् विभाग के अध्यक्ष का पद मुख्य पंचायत अधिकारी की बजाय पहिले संचालक व बाद में अब उप विकास आयुक्त में परिणित कर दिया गया है व तीन सहायक संचालक नियुक्त कर दिये गये हैं। चार जिला पंचायत अधिकारी भी नियुक्त कर दिये गये हैं और बाकी की नियुक्ति का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो जो कार्य किये जाते हैं वो उप विकास आयुक्त, मुख्य पंचायत अधिकारी की हैसियत से करते हैं और अपना यह पद सभी आदेशों आदि में प्रयोग करते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल : जो नये पंचायत अधिकारी नियुक्त किये गये हैं अथवा चीफ पंचायत ऑफिसर का डेजिगनेशन बदला गया है, क्या इसके लिए राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा ७४ में कोई प्रावधान है?

मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : मुख्य पंचायत अधिकारी जो एक्ट के अन्डर में हैं वे उप विकास आयुक्त डेजिगनेशन लिखते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल : The question is, is there any provision for the appointment of these officers under Sec. 74 of the Rajasthan Panchayat Act ?

Page No.5

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : They have been appointed under Section 74 and they are under the same designation and same name.

श्री भीमसेन : जो नये अधिकारी नियुक्त हुए हैं, ये पंचायत सर्विस रूल्स के अनुसार नियुक्त किये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कौन से पंचायत अधिकारी ?

श्री भीमसेन : जिला पंचायत अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, उनकी नियुक्ति पंचायत सर्विस रूल्स बने हैं, उनके अनुसार हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनकी तब्दीली के बाद किये गये हैं।

श्री भीमसेन : जो पंचायत सर्विस रूल्स हैं, उनके अनुसार किये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत रूल्स को तब्दील किया गया है।

श्री भीमसेन : किया गया या नहीं किया गया, आपने रूल्स को तब्दील नहीं किया और रूल्स के वायोलेशन में नये पंचायत अधिकारी नियुक्त कर दिये, यह किस आधार पर किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स को वायोलेट नहीं किया गया है। रूल्स को अमेंड करने के लिए कहा है। यह अलग सवाल है, मैं तहकीकी नहीं कह सकता।

श्री रामेश्वर दयाल : When the new officers can perform the duties and the functions laid down under the Panchayat Act, then what was the necessity of bringing an amending Bill of the Panchayat Act ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : We will discuss it when it comes in House.

श्री रामेश्वर दयाल : Mr. Speaker Sir, my question is what was the necessity the Hon'ble Minister as such when this Officer can perform the duties and functions under the Panchayat Act ? So when they can perform the duties and functions under the Panchayat Act, then what was the necessity of bringing the amending Bill of Sec. 74 of the Rajasthan Panchayat Act ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have already said that the Bill will come before the House and then we will disuss it.

श्री रामेश्वर दयाल : Sir, under Sec. 74, the Chief Panchayat Officer and Divisional Panchayat Officer only can perform the duties and the functions and no other officer can do it. So when the Distt. Panchayat Officers have been created and when Sanchalak, Panchayat Bibhag has been created how they will perform and under what law they will perform ? Can they perform under Section 74 ? Under Section 74 only the Chief Panchayat Officer or a Divisional Panchayat Officer can perform the duties and functions. So how they will perform ?

Page No.6

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Those officers are still doing their duties.

श्री रामेश्वर दयाल : They cannot do. It is only the D. P. O. They should be appointed.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : But the point is that the Chief Officer should have been appointed and they are still doing their duties.

श्री रामेश्वर दयाल : The answers are not clear.

श्री अध्यक्ष : देखिये एक ऑफिसर के दो डेज़िग्नेशन हो सकते हैं, जैसा कि वे बताते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, डेवेलपमेंट चीफ पंचायत ऑफ़िसर का काम कर सकता है, जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया। पर इस रीऑर्गेनाइज़ेशन के जरिये जो स्थिति पैदा हुई उसके लिये रूल में अमेंडमेंट कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल : Two designa tions are not allowed under one section at one...

श्री अध्यक्ष : Why not? A Collector can be a Collector and a District Magistrate both.

श्री रामेश्वर दयाल : If there is a provision. When there is a special provision of Sec. 74 that the Govt. will appoint C. P. O. and the D. P. O. to perform duties and functions laid down under the law then how there can be a change in the designation?

श्री अध्यक्ष : Change in Designation is a change for the administrative purpose only. और जहां तक पंचायत एक्ट का सवाल है, इसमें जो अधिकार हैं, उनको एक्ट करते वक्त he is a C. P. O. but because of this, they want to regularise it.

श्री रामेश्वर दयाल : It means, so long as this amending Bill is not passed, all these Acts are illegal.

श्री भीमसेन : क्या राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं था कि पुनर्गठन का निर्णय देने के पहले हाउस को कॉन्फीडेन्स में लिया जाता?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ ७४ में हमने किया है, अगर पंचायत एक्ट में उनकी ड्यूटीज हैं, उनको परफोर्म करता है तो आपको क्यों शिकायत होनी चाहिये।

श्री भीमसेन : (लूणकरणसर) हाउस को पहले कॉन्फीडेन्स में ले लेते तो यह बातें नहीं होती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The House is already in confidence, and the Officer is performing the duties.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि पहले अमेंड करके डेज़िग्नेशन एन्फोर्स करते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : He is already a C. P. O. for purposes of the Act.

श्री अध्यक्ष : There is no doubt, certain confusions have been created.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

ग्राम बांसड़ायना में गोली काण्ड

१४३३, **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर—श्री दयाकृष्ण विजय द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या भरतपुर जिले की नगर तहसील के बांसड़ायन के ग्राम में कोई गोली काण्ड हुआ ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस दुर्घटना में दो आदमी मौत के शिकार हुए ? यदि हां, तो उनके नाम और उनकी मृत्यु का कारण बतलाने की कृपा करें ।

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम थाना सीकरी के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो फिर नगर थाने की पुलिस वहां क्यों गई ?

(४) क्या यह सही है कि थाना सीकरी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट डीग के अधीन है ? यदि हां, तो फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट डीग ने दफ़ा १०० जाब्ता फौज़दारी के तहत वारन्टा जारी क्यों किया ?

(५) क्या सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट डीग द्वारा १०००) रु० रिश्वत लेने की शिकायत सरकार के पास आई है ? यदि हां तो फिर उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री राम किशोर व्यास) : (१) जी हां, पुलिस को दाहिना का बास के ग्रामीणों के घातक आक्रमण को रोकने के लिये अपनी आत्म रक्षा के अधिकार के प्रयोग के लिए गोली चलानी पड़ी ।

(२) जी हां । सर्व श्री रायभान पुत्र जसमल एवं भूती पत्नी मानसिंह मेव पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों की चोट से मारे गये ।

(३) जी हां । उक्त ग्राम थाना सीकरी के अन्तर्गत है किन्तु थाना नगर की पुलिस को वहां एस० डी० एम० डीग द्वारा दफ़ा १०० जाब्ता फौज़दारी के अन्तर्गत जारी किये गये वारन्ट की तामील के लिये वहां जाना पड़ा ।

(४) थाना सीकरी पर मुंसिफ व सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट डीग का समान अधिकार है ।

(५) जी नहीं । सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई । मामला अदालत में जेर तजवीज है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : पुलिस दाहिना का बास में क्यों गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे तो इसको डिस्कस नहीं करें तो बहतर है । दफ़ा १०० में मजिस्ट्रेट ने वारन्ट जारी किया था इस लिए गई थी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : लोगों ने अटेक किया था । तो क्या प्रोवोकेशन था जो लोगों ने अटेक किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मामला अदालत में है।

श्री मुरलीधर व्यास : आत्म रक्षा के लिए गोली चलाई, तो ऐसी क्या स्थिति वहां पैदा हो गई थी कि पुलिस को आत्म रक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि यह मामला अदालत में जेर तजवीज़ है।

श्री अध्यक्ष : वही तो अदालत तय करेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : इस बात का उत्तर तो दे सकते हैं कि आत्म रक्षा के लिए गोली चलानी पड़ी, अदालत में जेर तजवीज है, तो यह बात तो कह सकते हैं। पर यह नहीं कह सकते कि क्या स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि गोली चलानी पड़ी।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने दर्याफ्त फ़रमाया इस लिये अर्ज कर दिया। अगर यह मामला बिल्कुल नहीं आता तो बेहतर था।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : किस आधार पर कहते हैं कि सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट डीग के खिलाफ़ १००० रुपया रिश्वत लेने की शिकायत नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

सरकार द्वारा फलों के बगीचे लगाये जाना

१४३४ **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने राज्य में कहां कहां फलों के बगीचे कब से लगाये हैं तथा उनमें कितनी कितनी जमीन है और उन पर कितना कितना खर्च होता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) उपरोक्त बगीचों से सरकार को कितनी आमदनी हुई ?

(ग) क्या सरकार ने फलों के बगीचों के लिये कोई जमीन निर्धारित की है ? यदि हां, तो कहां कहां पर ?

कृषि, उपमंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) फलों के बगीचे की सूची मय क्षेत्रफल, खर्चा तथा आमदनी के संलग्न है। वे बगीचे राजस्थान बनने के पहले के लगे हुए हैं। राजस्थान बनने के बाद कोई बगीचा नहीं लगाया गया।

(ख) उपरोक्त बगीचों से १,१५,१५००० की आमदनी हुई। पूर्ण विवरण उपरोक्त सूची में संलग्न है।

(ग) इस विभाग द्वारा कहीं नहीं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : सूची में जो दिया हुआ है उसमें भरतपुर में खर्चा बहुत ज्यादा है और आमदनी कम है, इसका क्या कारण है कि खर्चा ज्यादा और आमदनी कम ?

श्री अध्यक्ष : कहीं पर आमदनी ज्यादा भी है।

Page No.9

श्री दौलतराम सारण : कहीं खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, तो कहीं खर्चा कम है और आमदनी ज्यादा हैं। इसका कारण विस्तार से तो मैं इस समय नहीं बता सकता पर जो पुराने बगीचे हैं, उनको नये तरीके से सुधारना, नये प्रकार के पेड़ लगाना, नये ढंग से तैयार करना आवश्यक हो वहां खर्चा ज्यादा आ जाता है और कई अच्छे बगीचे मिले हुए हैं उसमें यह सब कुछ नहीं करना पड़ता है वहां खर्चा कम और आमदनी ज्यादा हो जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : भरतपुर इलाका बहुत अच्छा इलाका है। वहां २१००० का खर्चा है और आमदनी १४ हज़ार ही है, इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ये सरकार कॉमर्शियल बेसिस पर चलाना चाहती है या एक्सपेरिमेन्टल तरीके पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : ये बगीचे नर्सरी का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ये दो दो चार चार एकड़ के बगीचे हैं, क्या इकोनोमिक होंगे ? क्या इनको रखना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनको नहीं रखना चाहते उनके लिए रेवेन्यू विभाग को लिखा गया है कि इनको आप ले लें।

श्री मुरलीधर व्यास : फलों के विकास के लिये राजस्थान में ऐसी योजना बनाई है क्योंकि अधिक से अधिक बाग लगा सकें।

श्री नाथूराम मिर्धा : बाग लगाने के लिये जो प्राइवेट जमीनों में नया बाग लगाना चाहें उनको फी एकड़ ३०० रुपयों का लोन देते हैं और पुराने बाग हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए १०० रुपया फी एकड़ के हिसाब से लोन देते हैं और ५ साल तक लोन रिकवर नही करते हैं। नरसरी के प्लान्ट्स की जरूरत होती हैं तो दूसरी नरसरीज़ से भी दिलाते हैं और हमारी नरसरी से भी देते हैं। इसके अलावा नये प्रोजेक्ट्स इरिगेशन के तैयार हो रहे हैं, वहां जिनको जमीनें अलॉट करेंगे तो उनको यह कहेंगे कि इतना बगीचा लगाना चाहिये। जो मदद चाहेंगे उनको मदद देंगे। फलों का उत्पादन राजस्थान में ज्यादा हो इसके लिये राजस्थान सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है।

श्री मुरलीधर व्यास : अब तक दी गई मदद से क्या कोई इस प्रकार के बगीचों का निर्माण हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां हुआ है। बहुत हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : कहां कहां पर हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कहां पर हुआ है यह कोई मेरी जेब में तो है नहीं सो बता दूं कि कहां हुआ है।

एक माननीय सदस्य : कहां पर हुआ है यह आपकी मालूमात में नहीं है या आपकी जेब में नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे मालूम नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास: जेब में आप फल रख सकते हैं बगीचे नहीं रख सकते । आपने सैंकड़ों लोगों को इस बेसिस पर लोन दिया है, इसलिये पूछा है कि कहां कहां पर लोगों ने बगीचे लगाये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछें ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आप जेब में बगीचे मत रखिये, आप जेब में रुपये रखिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

स्वायत शासन संस्थाओं के चुनाव

१४३५ श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर - श्री जगदीशप्रसाद द्वारा पूछा गया) :

क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

१. ३१ जनवरी, सन् १६५६ तक कितनी नगरपालिकाओं व जिला बोर्डों की अवधि समाप्त हो चुकी थी परन्तु जिनके चुनाव नहीं कराये गये और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया । ऐसी समस्त स्वायत्त शासन संस्थाओं को एक सूचो मय कारणों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

२. जयपुर नगरपालिका के चुनाव अभी तक न कराये जाने का क्या कारण है ?

उप-स्वायत्तशासन मंत्री(श्री पूनमचन्द) : १. १६ नगरपालिकाओं की अवधि चुनाव सम्पन्न न होने के कारण बढ़ाई गई । उनकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । जिला बोर्ड में से किसी की भी अवधि समाप्त नहीं हुई है ।

२. प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : (सीकर) मालपुरा व टोडारायसिंह में नोमिनेशन ले लिए गए थे फिर भी वहाँ मियाय बढ़ाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने तारीख नहीं देखी । आपने ३१ जनवरी तक का ही पूछा है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : जब आपने नोमिनेशन ले लिया तो उसके बाद आपने स्थगित क्यों किये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नोमिनेशन होने के बाद में अध्यक्ष के चुनाव के लिये तारीख निकलती है । चुनावों के ६ - ७ स्टेजेज होते हैं । अगर एक में भी कुछ फर्क रह जाता है तो आगे बढ़ाना पड़ता है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नोमिनेशन ले लिये थे, फिर क्यों आगे समय बढ़ाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चुनाव कम्पलीट नही हुए इस वजह से ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने बताया कि प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, यह कब तक सरकार के विचाराधीन रहेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब तक फाइनल नहीं होगा तब, तक । एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइज नहीं देगा तब तक ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें काफी समय लग जावेगा। अन्दाजन तारीख बता दें कि कब तक हो जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी तहकीक नहीं कहा जा सकता। तारीख नहीं बताई जा सकती।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अभी यह नया विधेयक बना है, इसके साथ सब के इलेक्शन की शुरूआत कर देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें बड़ी गड़बड़ी हो जावेगी। अभी नया विधेयक तो राष्ट्रपति के पास जावेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपको चुनाव स्थगित करने में दिक्कत नहीं आती है। आप स्थाई आधार पर चुनाव क्यों नहीं कराते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो कानून के अन्दर होते है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सोला बसिया, देवली में ये समाप्त हुआ हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि यह ३१ जनवरी तक के हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १४३६

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४३७

श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४३८

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट।

लालसोट की ग्राम पंचायत में उप-सरपंच को मीटिंग में भाग लेने से रोक

१४३९ **श्री प्रभुलाल पुरोहित** : (लालसोट): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सच है, कि सरपंच ग्राम पंचायत बिलूणा तहसील लालसोट दिसम्बर के महिने से उप सरपंच को मीटिंग में भाग लेने से रोक रहा है ?

(२) क्या यह भी सच है कि उप सरपंच ने पंचायत विभाग में इसके बाद में निवेदन भी किया और सरपंच के नाम आदेश भी पंचायत विभाग से मिला परन्तु सरपंच ने आज्ञा का पालन नहीं किया ?

(३) क्या सरपंच, बिलूणा पंचायत के विरूद्ध सरकार अनुशासन नहीं मानने के कारण कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब ? और अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सही है कि रामधन नामक पंच को भी मीटिंग में उप सरपंच के समर्थन में मदद करने से पंचायत में नहीं आने दिया जाता ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) :

(श्री दौलतराम)

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, कार्यवाही जारी है।

(४) जी हां।

एक माननीय सदस्य : क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दौलतराम : उसको नोटिस दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कारखानों में कन्सेशन रेट पर बिजली

१४५० श्री **गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जिन जिन कारखानों को कन्सेशन रेट पर, बिजली दी जा रही है वह किस किस रेट पर और यह Cost of generation से किस कदर कम है ?

(२) Cost of generation और Concessional rate में फर्क को सबसीडी के रूप में पावर हाउस को मदद देने का सवाल सरकार के विचाराधीन था, तो क्या सरकार ने उसके बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ? अगर कर लिया है, तो क्या है ? अगर नहीं, तो कब तक करने का विचार है ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सरकार व इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रतिनिधियों की एक सभा अप्रेल में बुलाई जा रही है जिसमें इस प्रश्न पर विचार किया जावेगा। इसके बाद सरकार का अन्तिम निर्णय होगा।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री गिरधारीलाल : कारखानों को कन्सेशन रेट पर बिजली देने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुराने राज्यों का समझौता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The Government is supposed to charge the same rate from all the consumers. My question is whether under sec. 22 and 23 of the Electricity Act, the Government is supposed to charge the same rates from all the consumers.

श्री रामकिशोर व्यास : इसके पहले का एग्रीमेन्ट है उसको फोलो करना होगा। लेकिन जहां तक इलेक्ट्रिक बोर्ड का ताल्लुक है ...

श्री पी. के. चौधरी : My question is still not replied. My point is.

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : बालबियरिंग को किस हिसाब से बिजली दी जाती है ?

श्री भीखाभाई : १० पैसे।

श्री गिरधारीलाल : क्या इलेक्ट्रिक बोर्ड के प्रतिनिधियों को इस एग्रिमेंट की

(श्री गिरधारीलाल)

सूचना दी गई और मीटिंग में उनको बुलाया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मीटिंग बुलावेंगे ।

श्री गिरधारीलाल : तारीख बतादें ।

श्री रामकिशोर व्यास : तारीख बताने की क्या जरूरत है ?

एक माननीय सदस्य : क्या दूसरों को भी इस हिसाब से पावर देते हैं ?
क्या कई इंजिनियर कम होंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यदि ज्यादा होंगे ।

श्री पी. के चौधरी : Why not the agreement be treated as null and void. They should supply on the uniform rates.

श्री रामकिशोर व्यास : लीगल पोज़िशन यह है कि हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, नहीं ले सकते । एग्रिमेन्ट हो चुका है और हम लीगली ग्राउन्ड हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : My question is very specific. I have seen the legal position. When the agreements are in contravention of the provisions of Sec. 22 and 23 of the Electricity Act, why do you say they are legal? I say, they are illegal and should be cancelled.

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो यह राय दी है कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की धारा २२ और २३ के अनुसार यह इल्लीगल है तो हम इसको एग्ज़ामिन करा लेंगे ।

श्री गिरधारीलाल : कई कम्पनियों में पैसा बकाया है और वे पैसा नहीं देती, क्या यह सही है ?

श्री पी० के० चौधरी : चीपेस्ट रेट में किस किस को दी जाती है पॉवर ?

श्री रामकिशोर व्यास : नेशनल बॉल बियरिंग कं० को ।

श्री पी० के० चौधरी : I have not got the list.

श्री अध्यक्ष : National Ball Bearing...

श्री पी० के० चौधरी : What is the reason of giving them at this rate ?

श्री अध्यक्ष : Owing to old contract.

श्री मुरलीधर व्यास : जब किसी एक कारखाने को सस्ती बिजली दी जाती है तो उसका भार दूसरों को भुगतना पड़ता है । एक को कम पैसे में देना और दूसरे से ज्यादा पैसा लेना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं है । इसको बहुत जल्दी समाप्त करना चाहिये ।

श्री श्रीभानसिंह : क्या एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हुआ है, तो इसका भार स्टेट

(श्री श्रीभानसिंह)

गवर्नमेंट बीअर करेंगी और पेमेंट करेंगी या इलेक्ट्रिक बोर्ड ?

श्री अध्यक्ष : वह तो एग्रीमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हुआ है । इलेक्ट्रिकल बोर्ड तो सरकार से कहेगा कि आप दें। गवर्नमेंट पे करेगी ।

श्री पी० के० चौधरी : One point. These were the State Government I mean the Covenanting State who agreed. Whether they will continue...?

श्री अध्यक्ष : The successor Government is bound.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir...

श्री अध्यक्ष : That is a legal question. We need not go through it at this stage.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १३४१.

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

भाखरा क्षेत्र में ३० हज़ार एकड़ रकबे को अनकमांडेड घोषित करना

१४५२. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(१) क्या सरकार भाखरा क्षेत्र में ३० हज़ार एकड़ रकबा कमान्डेड से अनकमांडेड घोषित करनेवाली है ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

(३) यह रकबा किस किस तहसील के किस किस गांव का कितना कितना होगा ?

(४) क्या इस नहर के निर्माण में कोई बड़ी भूल या गलती सरकार से हुई है ?

(५) जहां यह रकबा अनकमांडेड घोषित होगा क्या वहां के किसानों की भूमि में भाखरा के अलॉटमेंट सम्बन्धी नियम लागू हो गये हैं ?

(६) क्या उन गांवों के जोहड़ों के नाल काश्त करवा दिये गये हैं ?

(७) क्या सरकार कोई ऐसा भी उपाय सोच रही है जिसके कारण वह रकबा अनकमांडेड न हो ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई):

(१) तथा (२) भाखरा प्रोजेक्ट राजस्थान में ६,२०,००० एकड़ रकबे के कमांड के लिये पानी, व पंजाब से एग्रीमेंट के अनुसार मिला था। लेकिन यह कमान्ड जब मोगों में बांटा गया तो कुछ ज़मीन अधिक ले ली गई और मोगों की कुल ज़मीन ६,४१,२६६ एकड़ हुई। यह २१,३६६ एकड़ का अधिक रकबा निकाल कर कमान्ड ६,२०,००० एकड़ ही रखा गया है ।

(श्री भीखाभाई)

(३) यह कमी निम्न प्रकार है :

हनुमानगढ़ तहसील	३,६६० एकड़।
भादरा तहसील	११,११२ एकड़।
नोहर तहसील	१३,८१७ एकड़।
कुल जमा	२१,२६६ एकड़।

गांव वार विवरण बहुत की विस्तृत होगा। अत : नहीं दिया जा रहा है।

(४) कोई गलती नहीं हुई है। नहरें ६,२०,००० एकड़ के अनुसार ही बनाई गई हैं।

(५) जी नहीं। इस रकबे पर यह नियम लागू नहीं किये जायँगे।

(६) जी नहीं।

(७) जी नहीं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि पंजाब गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ था वह भाखरा केनाल की नहरों की खुदाई से पहले हो गया था ?

श्री भीखाभाई : एग्रीमेंट हुआ वह ५१ में हुआ था।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न साफ था कि नहरों की खुदाई से पहले एग्रीमेंट हो गया था ?

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आंकड़े बताये गए थे कि इतनी सिंचाई हो सकेगी तो क्या यह सही है कि सरकार ने लोगों को धोखे में रख कर सिक्योरिटी और लोन बोन्ड्स दे दिये ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

श्री भीमसेन : इतना रकबा है और इस में नहरें खोदी जा चुकी हैं, काश्तकारों की ज़मीन का अलॉटमेंट भी हो गया और किश्तों से रुपया भी चुका दिया ?

श्री भीखाभाई : काश्तकारों ने इस आशा से कि पानी मिलेगा उन्होंने ही नहरें खोद ली हो तो सरकार को उसकी जानकारी नहीं है। जो पंजाब से पानी मिलनेवाला था, कमान्ड हो सकता है, पानी कितने में दिया जा सकता है वह मैंने आपको पहले ही बता दिया।

श्री भीमसेन : मेरा सवाल साफ था। कमान्ड एरिया था, नहरें खोदी जा चुकी है, माइनर्स निकाली जा चुकी हैं, किसानों को ज़मीन अलॉट हो चुकी हैं और किसानों से किश्तें भी ली जा चुकी हैं।

श्री भीखाभाई : प्रश्न यह है कि कमान्ड में कितना एकड़ है। दरअसल कमान्ड में भूमि है, पानी कितनी को दिया जावेगा यह प्रश्न है। आज भी ग्रोस कमान्ड ज्यादा है लेकिन पानी देने का सवाल है उसमें मैंने बताया उतने को ही मिलेगा।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल साफ था कि वहां नहरें खोदी जा चुकी हैं, माइनर्स निकाली जा चुकी हैं, किसानों ने नहरें खोद ली हैं, गवर्नमेंट ने जमीन का पैसा ले लिया है फिर पानी न मिले उसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है और इसका नोटिस देंगे तो मैं उसकी जानकारी करके बताऊंगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिन लोगों को जमीन अलॉट हो गई, नहरें खोद ली, पैसा दे दिया और उनको पानी नहीं मिल रहा है तो क्या आप उनको कम्पन्सेट करेंगे? क्या वह जमीन बेकार रहेगी?

श्री रामकिशोर व्यास : बेकार होने का प्रश्न नहीं है। जितने कमान्ड एरिया में पानी देना था, उतने का एग्रीमेंन्ट हुआ और एग्रीमेंट के हिसाब से पानी दिया जा रहा है। ज्यादा पानी मिल गया तो हर्ज नहीं है। जितना पानी मिलना चाहिये था उतना तो हम दे रहे हैं। किसी के नुकसान का सवाल नहीं है। नहरें तो किसान अपनी मर्ज़ी से हर जगह खोदते हैं।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : पैसा ले लिया गया किसानों से या नहीं?

श्री रामकिशोर व्यास : पानी दिया गया या नहीं? पानी दिए बिना पैसा चार्ज नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : जमीन का पैसा?

श्री रामकिशोर व्यास : I don't think so.

श्री अध्यक्ष : एक कमान्ड एरिया था, सरकार की ओर से नहरें बनी हुई थी? उसमें। जो टर्म्स थीं उनके अनुसार जमीनों का अलॉटमेंट हुआ, इन्स्टॉलमेन्ट्स में रुपया ले लिया गया या नही?

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, जमीन का पैसा लिया जा चुका है।

श्री रामकिशोर व्यास : इस सम्बन्ध में जानकारी करूंगा।

श्री भीमसेन : ६ लाख, ३० हजार एकड़ की सिंचाई होनी थी तो २ लाख, ३६ हजार की नहरें क्यों खो दी गई?

श्री रामकिशोर व्यास : पानी मिल गया। प्रोपोजल यह है कि जो एरिया इर्रिगेटेड नहीं हो सकता है वह राजस्थान केनाल से इर्रिगेट होगा और वह काम में आ जावेगा।

श्री भीमसेन : इर्रिगेशन ऑथोरिटी ने खोदी है तो क्या प्लान के अन्दर खोदी हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : प्लान में ही खोदी हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : बेकार जमीन पड़ी रहेगी पानी नहीं मिलने से, उनको कौन कम्पन्सेट करेंगे? क्या राजस्थान सरकार कम्पन्सेट करेगी?

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

मथुरेश दुग्धशाला सहकारी समिति, कोटा की रजिस्ट्री

१४४३. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा में मथुरेश दुग्धशाला सहकारी समिति की रजिस्ट्री के लिए कब आवेदन पत्र दिया गया?

(ख) क्या इसकी रजिस्ट्री हो गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उपमंत्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) दिनांक २०-१-५६ को।

(ख) जी हां।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): यह जो सहकारी समिति बनी है तो क्या सारे के सारे इकट्ठे होकर एक ही दूकान से दूध बेचते हैं या अलग अलग ?

श्री दौलतराम सारण : दूध बेचने वालों ने मिल कर सहकारिता के आधार यह कार्य संपादन करने के लिए ऐसा किया है। अलग अलग दूध देते हैं और सहकारिता के आधार पर सेवा करते हैं।

श्री रामेश्वरदयाल : रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : १४. ३. ५६ को।

श्री मूलचन्द डागा : आपने अपना सिद्धान्त क्या रखा है कि सारे इकट्ठे होकर मिल कर दूध बेंचते हैं या आदमी अपने पास अलग रखता है और लेने के लिए आते हैं उनको देते हैं ? क्या आधार है आपका ?

श्री दौलतराम सारण : इस सहकारी समिति को लोन नहीं दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : कोऑपरेटिव बेसिस पर है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रजिस्ट्रेशन के बारे में ही पूछा गया था और उसकी सूचना उपलब्ध कर दी गई। वह सहकारिता के आधार पर है, दूध मिल कर बेचते हैं या अलग अलग यह सब सूचना नहीं मांगी गई है। यदि आवश्यकता है तो इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामेश्वरदयाल : रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लाई कब किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने यह बता दिया कि १४. ३. ५६ को तो रजिस्ट्रेशन हुआ और एप्लाई जनवरी में किया। महीने, दो महीने तो लग ही जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : दूधशाला की सहकारिता बनाये तो कौनसा सिद्धान्त है, और उस पर देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आम सहकारिता से सम्बन्ध भी है तो उस सिद्धान्त पर दूध उत्पादन सहकारिता भी है।

श्री अध्यक्ष : That is another question.

यह लम्बा सवाल है।

श्री मूलचन्द डागा : रूल्स में है हुकम।

श्री अध्यक्ष : किस रूल में है बताइये।

श्री मूलचन्द डागा : इकट्ठे होकर दूध बेचते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप यह कहते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है लेकिन अभी तो रजिस्ट्री हुई है, काम करने का सवाल नहीं आता है।

प्रश्न संख्या १४४४

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

पुलिस थाना (मगोठ) में एक व्यक्ति की पिटाई

१४४५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : (अकलेरा–सु) : क्या गृह मंत्री नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री गाडूराम मीना, मगोठ जिला नागोर को ता० १०-३-५६ को पुलिस थाना में बुला कर सब-इन्सपेक्टर और मुन्शी ने बुरी तरह से मारा ?

(२) क्या यह सही है कि ये लोग थाने में शराब पी रहे थे ?

(३) क्या श्री गाडूराम ने अपनी चोटें डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल को भी बताई थी ? यदि हां, तो डी० आई० जी० ने क्या कदम उठाया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इसका उत्तर मैं अगले सप्ताह पेश करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल' ।

खानपुरा (झालावाड़) में कुंओं की मरम्मत पर खर्चा

१४४६. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) खानपुर तहसील, ज़िला झालावाड़ में सन् १६५८ में कुए बनवाने तथा पुराने कुओं की मरम्मत के लिए किस किस को कितनी कितनी धनराशि बांटी गई ?

(२) तकावी वितरण कमेटी ने किस तारीख को तकावी स्वीकार कर दी थी तथा उसके कितने दिन बाद तकावी वितरण की गई ?

उप-मंत्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) खानपुर तहसील में सन् ५८–५६ में १७० व्यक्तियों को नये कुंए बनवाने तथा पुराने कुओं की मरम्मत हेतु १,०६,४२०) रुपया ऋण दिया गया। सूची संलग्न है।

(२) सूची के कालम ७. व ८ में अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह रकम बांट दी गई या लेप्स हो गई ?

श्री दौलतराम, सारण : सूची के अन्दर दी गई रकम दे दी गई है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सरकारी कागजों में दे दी गई होगी । किसानों को मिली या नहीं ?

मंत्री, कृषि विभाग (नाथूराम मिर्धा): सूची में लिखने का मतलब कागज़ों में ही रह जाना नहीं, यह बांट दी गई है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह कैसे मालूम किया कि बांट दी गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : विभाग से ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अधिकारी से ?

श्री नाथूराम मिर्धा : छोटे से लेकर बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं और जो सूचना भेजी है वह सही भेजी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

ग्राम कुचोर 'आथूणी' तहसील नोखा के सरपंच के खिलाफ गबन का मामला

१४४७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : (१) (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल जौहरी बाज़ार, जयपुर) (२) श्री सूरजमल (फलौदी-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम कुचोर आथुणी, तहसील नोखा, ज़िला बीकानेर के सरपंच श्री गणेशराम के खिलाफ कोई गबन का मामला है ? अगर हां, तो कब से और कितने का ?

(ख) अब तक उक्त व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां । सन् १९५६-५७ से ४६४ रुपये, पौने ग्यारह आने का ।

(ख) केस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दिया जा चुका है इसलिए कार्यवाही नहीं करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : कब दिया जा चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : १-७-५८ को ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या एन्टी-करप्शन विभाग में इस प्रकार का नियम है कि कोई भी मामला उसको दिया जाय तो उसका निर्णय छ महिने में ही हो जाना चाहिये तो फिर इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : इस केस के अन्दर जांच का कुछ समय निकला लेकिन ४०६, ४२० आई० पी० सी० के अन्तर्गत केस रजिस्टर किया जा चुका है ।

श्री मुरलीधर व्यास : रजिस्टर किया गया यह तो ठीक है किन्तु इतना लम्बा समय कैसे लगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एन्टी करप्शन विभाग इसका जवाब दे सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वह भी तो सरकारी डिपार्टमेन्ट है; उसके रूल्स में इस प्रकार का प्रोविजन है कि जो भी मामला इस विभाग में जाये उसका फैसला छः महिने में हो जाना चाहिये फिर इसमें ज्यादा समय क्यों लग रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका जवाब एन्टी करप्पशन विभाग ही दे सकता है ।

Page No.20

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर मुकदमा तो आपने भेजा है आप ही बताइये कि उसमें इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने तो केस एन्टी करप्शन विभाग को भेज दिया है। अब तो उसका काम है कि वह इसमें कार्यवाही करे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : दो साल तक केस एन्टीकरप्शन विभाग में रखा रहा इसका क्याकारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सन् ५६ में इत्तला आई थी, उसके बाद डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी कराई गई। उसके बाद वह मामला एन्टी करप्शन विभाग को भेजा गया।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उक्त व्यक्ति ने जो गबन किया है उसके खिलाफ पंचायत डिपार्टमेन्ट द्वारा क्या कार्यवाही की गई और क्या की जायेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो जब मामला एन्टी करप्शन विभाग से फाइनल होकर आयेगा उसके बाद कहा जा सकता है। साबित होगा तभी सज़ा दी जा सकती है।

श्री गिरधारीलाल : साबित तो हो गया।

श्री मूलचन्द डागा : यह जो ४२० का केस दर्ज कर दिया तो पंच ने ऐसा कौनसा काम किया जो ४२० के अन्तर्गत आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे इसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं हमने तो रिपोर्ट भेज दी अब यह उनका काम है कि वे ४०६ लगायें या ४२०।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : इसमें डिले इसलिए हो रही है कि आपने मुकदमा चलाने की स्वीकृति नहीं दी है,आपकी मन्जूरी के अभाव में मामला पेन्डिंग चल रहा है और कोर्ट में चालान नहीं हो रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास कोई सेंक्शन पेन्डिंग नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : क्या आपने सेंक्शन दे दी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता हमने तो रिपोर्ट भेज दी अब यह उनका काम है मुकदमा बनाने का। अगर हमारे सेंक्शन के लिए आयेगा, तो हम दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

थाना बूढादीत से मुल्ज़िम को फरारी

१४४८. **श्री रामनारायण वर्मा**: (पीपल्दा-ध्रु) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि थाना बूढ़ादीत से एक मुलज़िम भाग गया है ?

(२) यदि हां, तो कब और किसकी असावधानी से ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इसकी जांच के बाद एक सिपाही को दोषी ठहरा कर उसे मुअत्तिल कर दिया गया ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि उक्त मुलज़िम की देखरेख के लिये जिस सिपाही की तैनाती थी उसे थानेदार ने दूसरे काम पर लगा दिया और पीछे से मुलज़िम भाग गया ?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(५) यदि हां, तो इस केस में थानेदार को दण्ड न दिया जाकर उक्त सिपाही को क्यों दंडित किया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(१) जी हां।

(२) अभियुक्त दिनांक १६–१–५६ को लगभग १ बजे दिन को कॉन्स्टेबल माधोलाल तथा एस० सी० नशीर मोहम्मद की असावधानी (गफलत) से भाग गया।

(३) जी हां, कान्स्टेबल माधोलाल जिसकी हिरासत में से अभियुक्त भाग गया था, मोअत्तिल कर दिया गया है ।

(४) जी नहीं, यह असत्य है।

(५) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : थाने की चौकीदारी में कितने कॉन्स्टेबल थे उस समय ?

श्री रामकिशोर व्यास : यही था माधोलाल ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि माधोलाल को थानेदार ने उस समय किसी काम पर भेज दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या इस सम्बन्ध में सरकार के सामने यह शिकायत पेश हुई थी कि थानेदार की साजिश से मुलज़िम फरार हो गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मुलज़िम किस जुर्म का था ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि वह मुलज़िम इसलिए भागा की रातको पुलिस ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मुलजिम थाने की जेल में था या बाहर ?

श्री रामकिशोर व्यास : थाने में जेल नहीं पुराने मकानात हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि पुलिस में जो इन्क्वायरी रिपोर्ट आयी है उसमें यह बात आयी है कि जिस समय वह भाग रहा था, गांव के किसी व्यक्ति से यह कहा कि मुझे जाने दो नहीं तो ये पुलिस वाले मेरी जान ले लेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप इन्क्वायरी रिपोर्ट देखिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

तहसील सराड़ा हॉस्पीटल का वार्षिक बजट

१४४६ श्री देवीलाल (सारदा-सु) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील सराड़ा हॉस्पीटल का दवाइयों का वार्षिक बजट कितना है ?

(ख) क्या तहसील की जन संख्या के आधार पर दवाइयां दी जाती हैं ?

(ग) क्या सन् ५६–५७ व ५८ में वार्षिक बजट के अनुसार दवाइयां दी गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(घ) क्या सराड़ा हॉस्पिटल में नर्स की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो कितने दिनों से वहां पर नर्स नहीं है ?

उप मंत्री (श्री भीखाभाई)

(क) २००० रु० का।

(ख) हर डिस्पेन्सरी को दवाइयां वहां के मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकतानुसार बजट की स्वीकृति, धनराशि को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

(ग) हर वर्ष बजट के अनुसार दवाइयां दी गई थीं केवल ५६–५७ में २००० रु० से कम की दवाइयां दी गई थीं। इसका कारण यह है कि स्थानीय मेडिकल ऑफिसर ने जिन दवाइयों की मांग की थी उनकी कीमत केवल १०२४८ रु० १५ आ० ३ पाई ही बनती थी।

(घ) व्यवस्था तो है परन्तु नर्स के अभाव के कारण वहां काफी समय से नर्स नहीं है।

श्री देवीलाल : बहुत सी दवाइयां प्राप्त नहीं हुई उसका कारण क्या है ?

श्री भीखाभाई : दवाइयों के लिये तो २००० रुपया रखा गया है।

श्री देवीलाल : लेकिन जो दवाइयां मांगी जाती हैं वह नहीं दी जातीं, इसका कारण क्या है ?

श्री भीखाभाई : जो दवाइयां उपलब्ध होती है वे दी जाती हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने बताया 'आवश्यकतानुसार' तो आवश्यकता का आधार क्या है ? क्या मरीजों की संख्या या क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रोगियों की संख्या और वहां जितने बेड्स होते हैं उसकी आवश्यकता के मुताबिक देते हैं।

श्री देवीलाल : मरीजों की तो संख्या अधिक है किन्तु दवाइयों के लिए बहुत कम प्रोविजन रखा जाता है इसका क्या कारण है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको जो सूची दी गई है वह देखिये दवाइयां ज्यादा भी दी गई ५८–५९ में २२०० रुपये की दवाइयां दी गई है। आवश्यकतानुसार अधिक दवाइयां भी दी जाती हैं।

सूतरगढ़ कृषि फार्म जमीन की अवाप्ति

१४५०. **गिरधारीलाल** (नोखा) :

Page No.23

(श्री गिरधारीलाल)

क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) सूरतगढ़ स्थित कृषि फार्म कब खुला ?

(२) उपरोक्त कृषि फार्म में कुल कितने एकड़ ज़मीन अवाप्ति की गई ।

(३) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों की ज़मीन उक्त कृषि फार्म के लिये अवाप्ति की गई उनको सरकार की ओर से अन्य जगह ज़मीन दे दी गई है ?

उप मंत्री, कृषि विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूरतगढ़ कृषि फार्म १५ अगस्त १९५६ को खुला था।

(२) इस कृषि फार्म में १२९५२ एकड़ भूमि आवाप्त की गई जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जितनी भी मौरुसी मतरूका वा मेकबुजा आरजी काश्तकारान की ज़मीन कृषि फार्म सूरतगढ़ के लिये आवाप्त की गई उसमें से सिवाय २१४ एकड़ भूमि के जिनके आसामी गैर हाजिर थे ज़मीन तबादले में दे दी गई है । उपरोक्त २१४ एकड़ में से भी १५६ एकड़ के आसामी देर से हाजिर हो गए और उनको तबादले में भूमि देने की मिसले विचाराधीन है। शेष ५८ एकड़ भूमि ऐसी है जिसके आसामी अब तक हाजिर नहीं हुए । इस वजह से उनको तबादला नहीं दिया जा सका। भूमि के तबादले की विशेष सूचना के लिये दो सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये),

श्री गिरधारीलाल : सूची नहीं मिली है ।

श्री दौलतराम सारण : मैं आपको दे दूंगा ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : बारह हज़ार एकड़ भूमि में से कल्टीवेशन कितने हज़ार एकड़ पर हो रहा है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आसामी गैर हाज़िर थी, कब से गैर हाज़िर थी ?

श्री दौलतराम सारण : जब से ज़मीन ली ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या उनको बेदखल करके लाया गया ?

श्री दौलतराम सारण : वे ये ही नहीं घर छोड़कर चले गये ।

श्री गिरधारीलाल : सूची मिली नहीं बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूँ, इसको कल, ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पार्वती बांध में कच्चे बांध का कार्य

१४५१. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(डॉ० बहादुरसिंह)

(क) पार्वती बांध में कच्चे बांध का कार्य क्या पक्की भूमि से प्रारम्भ किया गया ?

(ख) कच्चे हिस्सों से पानी झरने के कारण,जो प्रतिरोधात्मक कार्यवाही की गई उसमें कितना व्यय किया गया था ?

उप-मंत्री, सिंचाई विभाग (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां ।

(ख) करीबन ५१००० रूपये ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह ५१ हज़ार रूपये खर्च किये गये थे वे प्लान के अन्दर के थे या बाहर के ?

श्री भीखाभाई : प्लान के अन्दर के थे ।

प्रश्न संख्या १४५२

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

राज्य में सिंचाई की संख्यिकीय सूचना

१४५३. श्री पी० के० चौधरी(फुलेरा): Will the Minister in charge of Agriculture be pleased to state:—

Is it correct that a statistical appraisal of irrigation well works in the State was made by the Directorate of Economics and Statistics ? If so, a copy of the report prepared as a result of the appraisal may be placed on the table of the House.

उप मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण)

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पी० के० चौधरी : The Director is not conducting any survey regarding these wells.

श्री दौलतराम सारण : सर्वे शुरू हो रहा है उसकी रिपोर्ट नहीं आई ।

श्री पी० के० चौधरी : कब से शुरू होगई ?

श्री दौलतराम सारण : मार्च १९५९ से ।

तहसील बामनवास में पानी की व्यवस्था का अभाव

१४५४. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील बामनवास में ऐसे कितने गांव है जहां गर्मी में पानी की कोई व्यवस्था नहीं तथा सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : तहसील बामनवास में ऐसा कोई गांव नहीं जहां गर्मी में पानी की कोई व्यवस्था न हो । जहां जहां कमी महसूस की गई है वहां नये

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

कुंयें बनवा दिये गये हैं और उनकी सूची सदन की मेज पर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री पृथ्वीराज : कई गांव ऐसे है जहां वे लोग बोराल नदी का पानी पीते हैं।

मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : इस साल कुंओं के लिए और गांवों की जल योजना के लिए और रुपया दिया गया है और यह कार्य डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट केमिटीज़ करती है आप भी उसके सदस्य हैं, कहीं पर कमी मालूम हो तो आप वहां कुंए बनवा सकते हैं

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या ऐसा भी सरक्युलर जारी किया गया है कि जिसमें एम. एल. एज. से सजेशन्स मांगे गये हैं ? जिन जिन गांवों में पानी की कमी है वहां की फहरिश्त भेंजे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, ऐसा है माननीय सदस्य भी डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट केमेटी के सदस्य है और रुपया जो है वह रूरल वाटर सप्लाई केमेटी और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट केमेटी के ज़रिये वितरण किया जाता है । माननीय सदस्य, भी उसके सदस्य है उसमें वे अपना सुझाव भेज सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज : कमेटी ने भिजवा दिया, पर उसको भी कलेक्टर ने मन्जूर नहीं किया । टालते टालते दो साल हो गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग से इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइये।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सरकार माननीय सदस्य के इस क्वेश्चन को अपनी रिकमन्डेशन के साथ कलेक्टर को भेजेगी ? या डवेलपमेंट बोर्ड को भेजेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसी आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं उसके मेम्बर हैं और अपना सुझाव वहां वे स्वयं दे सकते हैं।

प्रश्न संख्या १४५५

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

उम्मेद को-ऑपरेटिव सोसायटी (जोधपुर) में रुपयों के शेयर्स

१४५६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मन्त्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व जोधपुर स्टेट में उम्मेद कोऑपरेटिव सोसायटी नाम की कोई संस्था सरकार की देखरेख में बनी थी ? तथा उसके पांच पांच रुपयों के शेयर्स निकाले गये थे ?

(ख) यदि हां, तो उसके कितने सदस्य बनाये गये और कितनी रकम उक्त शेयरों द्वारा इकट्ठी की गई ?

(ग) उक्त सोसायटी की आज क्या

(श्री मूलचन्द डागा)

स्थिति है ? इसकी रकम किन किन में बकाया है और कितनी रकम किस मद में सरकार में जमा है ? पूरी सूची दीजियेगा ।

उप मन्त्री, सहकारी विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां ।

(ख) २१११ सदस्य बनाये गये और ३३६८०) हिस्सों द्वारा १६८४००) की रकम इकट्ठी की गई ।

(ग) चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : सूची तो नहीं मिली । पर यह बताने की कृपा करें उसकी स्थिति क्या है ? शेयर सब लेने को तैयार हैं, करजा दिया है वह सब देख चुके हैं । कितने लोगों में बाकी है ?

श्री दौलतराम सारण: अब लगभग दो हज़ार भागीदारों में ४ लाख ५७ हजार के करीब बाकी रह गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : इतनी बड़ी रकम बकाया है उसकी वसूली का क्या इन्तजाम करते हैं ? क्या साधन निकलते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी है यही सब काम करती है । वसूल करने की कार्यवाही करती है ।

श्री मूलचन्द डागा : कम से कम कितने सालों से वसूली नहीं हो रही है । क्यों नहीं सरकार उनको जो वेतन वगैरह दिया जाता है उसमें से कटौती का सुझाव करती है ।

श्री दौलतराम सारण : मैं तो कह रहा हूं कि वसूली हो रही है । आप फिर यह कैसे कहते हैं कि वसूली नहीं हो रही है । मेरी जानकारी के अनुसार ८ हज़ार प्रति मास की औसत से वसूली हो रही है ।

श्री मूलचन्द डागा : रकम बकाया दो लाख और कितनी ही है । और यह बकाया है पांच साल से सो यह देरी क्यों हो रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस कोऑपरेटिव सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी है, उसके मेम्बर हैं, वे ही लोन देते हैं, और वापिस रिकवर करते हैं । उनको कोई शिकायत नहीं है । न लेने वाले को शिकायत है, न देने वाले को है । आपको इसमें क्या दिक्कत है ?

श्री मूलचन्द डागा : सोसायटी का काम ठीक नहीं हो रहा है । ये सब बातें लोग करते है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज तक एक भी शिकायत हमारे पास इस तरह की नहीं आई ।

श्री मूलचन्द डागा : आज तक सैकड़ों कर्मचारियों ने शिकायत की है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो सैंकड़ों की बात करते हैं । एक भी कर्मचारी की शिकायत नहीं हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : डिपार्टमेंट में भी नहीं आई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री भैरोंसिंह ।

प्रश्न संख्या १४५७.

श्री भैरोसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दलपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

पाली में सरकार द्वारा निर्धारित भाव से मंहगे भाव में अनाज की बिक्री

१४३८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या रसद व खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने पाली जिले में सस्ते अनाज की दुकानों के अलावा भी गेहूँ के भाव जनवरी, सन् १६५६ मास में निर्धारित किये और यह आज्ञा निकाली कि कोई भी व्यापारी २० रुपये फी मन से ज्यादा भाव में गेहूं नहीं बेच सकेगा ।

(२) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में सोजत तहसील व सुमेरपुर व जोधपुर शहर में गेहूं २० रुपये फी मन से ऊंचे भाव में बिकता था और अभी भी बिकता है ?

(३) यदि हां, तो फिर पाली शहर में ही गेहूं २०) रुपये प्रति मन के हिसाब से बेचे जाने की आज्ञा क्यों दी गई ?

मन्त्री खाद्य एवं रसद (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (१) जी नहीं । गेहूं के भाव निर्धारित नहीं किये गये और न ऐसी कोई आज्ञा ही निकाली गई थी ?

(२) हां, यह सही है ।

(३) प्रश्न के भाग १ के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि कलेक्टर ने आज्ञा न होते हुए भी सारे पाली नगर में एक रेट फिक्स कर दी और सारे बाज़ार में यह हुआ कि किसान धान ला नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने एक रेट फिक्स कर दी थी कि इस रेट से बेचना होगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो गेहूँ सीज किया गया उसके लिये कहा होगा कि इस भाव से बेचो और ऐसा कह कर वह गेहूं व्यापारियों को वापिस कर दिया होगा ।

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, यह तो अलग बात है, कलेक्टर ने यह कहा कि इस रेट से, दूसरा गेहूं भी अधिक नहीं बेच सकोगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी हमारे पास सूचना नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : एक शिकायत रानीवालों ने की, सोज़त वालों ने भी शिकायत की, अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न होता है उसका उत्तर एक महिने, डेढ़ महिने, दो महिने के बाद जब आता है तो उसका महत्व चला जाता है । पन्द्रह, बीस दिन के भीतर भीतर अगर आता है तो कुछ कहां भी जा

Page No.28

श्र [मूलचन्द डागा]

सकता है। इसलिए समय पर अगर आए तो असर होता है। नहीं तो बाद में उसका महत्त्व चली जाती है।

श्री अध्यक्ष : वे तो कह रहे हैं कोई ऐसी रेट नहीं निर्धारित की गई।

श्री मूलचन्द डागा : रेट फिक्स कर दी और सारे बाज़ार में कर दी अगर आप चाहे तो जांच कर लीजिये। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब प्राइसेज़ तेज जा रहे थे तब उनको सीज़ करने का पॉवर था, सीज़ करके कह देते हैं कि इस भाव से बेचना चाहिये। इसलिये इससे पहले भी उन्होंने इस तरह से कह दिया होगा कि इस भाव से तेज बेचोगे तो सीज़ कर लिया जावेगा। इसलिये इन दोनों बातों में कोई डिफरेन्स नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : ठीक है, मैं अब की तो नहीं कह रहा हूं। आपकी इस सीज़ की बात को तो मानता हूं। पर सवाल तो यह है कि सीज़ करते, कानूनन रेट फिक्स करने का कोई अधिकार उनके पास नहीं था। सीज़ करने के बाद कह सकते थे। पर पहले ही रेट फिक्स करने की बात किस आधार पर उन्होंने कही। इसकी जांच आप कर सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि दोनों बातें एक सी ही हैं। कोई फरक नहीं हैं, सीज करके प्राइस फिक्स कर दें या इससे ज्यादा बेचेंगे तो सीज़ करके भाव तै कर देंगे। दोनों में कोई अन्तर नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : जो काश्तकार अनाज लाते थे बेचने के लिए सोजत, राणी की मंडियों में, वहां पर कलेक्टर ने बिना कानून के ही रेट फिक्स कर दी कि इस से कम बेच नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : वही तो ये कह रहे हैं कि बिना सीज़ किये पहले ही उन्होंने कह दिया हो कि इससे ऊंची रेट पर बेचोगे तो सीज़ कर लिया जावेगा, इस भय से लोगों ने पहले ही इसी रेट पर बेचना शुरु कर दिया होगा। यह हो सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : जी, यह बात नहीं है। इस मामले को और ढंग से घुमाकर न रक्खा जावें आप इसकी जांच कर लीजिये।

मंत्री, कृषि (श्री नाथूराम मिर्धा): जांच क्या...

श्री मूलचन्द डागा : कृषि मन्त्री जी उत्तर देने लग गये।

(हंसी)

बात सही कह रहा हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इसकी और जांच कर लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): इस प्रकार से बिना कानून के कलेक्टर को कहां तक अधिकार है। किस कानून के

Page No.29

(श्री मुरलीधर व्यास)

अन्तर्गत इस प्रकार से भाव बान्ध सकता है ! ऐसा कौनसा कानून था जिसके अन्तर्गत भाव बान्ध सकते थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब दिया। आपने सुना होगा। जो सीज़ किया जाता है उसकी रेट फिक्स करने का अधिकार उसको है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री रावतराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४५५

श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १४५७

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी : 1457 may be replied-

गवर्नमेंट प्रेस द्वारा मोनो मेटल की खरीद

१४५७. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर—श्री पी. के. चौधरी द्वारा पूछा गया): क्या मंत्री मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष गवर्नमेंट प्रेस द्वारा नेशनल टाइप फाउन्ड्री बोराज ठाकुर का रास्ता जयपुर से, तीन हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से मोनो मैटल खरीदा गया था ? यदि हां, तो कितना और किस तारीख को ?

(ख) जिस तारीख को यह खरीद की गई उस दिन मोनो मैटल की मारकेट प्राइस क्या थी ?

(ग) क्या यह सही है कि गवर्नमेंट प्रेसेज़ के द्वारा यह रिपोर्ट आई कि यह मैटल अच्छा नहीं है ?

(घ) क्या यह सही है कि मैटल की जांच मोनोमशीन के निर्माता ने कलकत्ता में की तथा यह राय दी कि यदि इस मोनो मैटल से मशीनें चलाई जाती है तो मशीन खराब हो जायेगी ?

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कोई कार्यवाही करनी उचित समझती है ? कलकत्ता के एक्सपर्ट्स के जो विचार आये हैं वे सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

मन्त्री, मुद्रण और लेखन सामग्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) हां, पत्र संख्या १२२७६ दिनांक २४-८-५७ से मेसर्स सिन्ध नेशनल टाइप फाउन्ड्री जयपुर को दो दो टन मोनो मैटल जयपुर व जोधपुर प्रेसों को प्रति टन रुपया २४९९) की दर से सप्लाई करने का आर्डर दिया गया था।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ख) चार टेन्डर समय पर आये थे उन्होंने मैटल के निम्न भाव दिये थे :

१. मैसर्स डेल्टा मैटल रिफाइनरी कलकत्ता दर २८८० प्रति टन।

२. मैसर्स बिनानी मैटल वर्क्स प्रा० लि० कलकत्ता २८५० प्रति टन।

३. मैसर्स एन्डियन स्मैल्टिंग एण्ड रिफाइनरी कम्पनी लि० कलकत्ता दर २७२० प्रति टन।

४. मैसर्स सिन्ध नेशनल टाइप फाउन्ड्री जयपुर २४६६ प्रति टन the lowst Tender was of M/s Sind National Type Foundry Jaipur.

(ग) मोनो मशीन सिर्फ जयपुर व जोधपुर प्रेसों में ही है। मोनो मैटल अच्छा न होने की रिपोर्ट केवल जोधपुर प्रेस से ही आई थी, जयपुर प्रेस में काम में लिया गया और कोई रिपोर्ट इस किस्म की नहीं आई।

(घ) हां, सुपरिन्टेडेन्ट प्रेस जोधपुर ने मैटल की जांच मैसर्स मोनो टाइप कॉरपोरेशन कलकत्ता से कराई थी जिन्होंने लिखा है कि कॉपर की मात्रा ज्यादा होने से हम उसको मोनो मशीन पर काम लेने की सिफारिश नहीं करते। रिपोर्ट की नकल संलग्न है।

(ङ) रिपोर्ट कलकत्ता संलग्न है। आइन्दा कार्यवाही के लिये चूंकि जोधपुर सप्लाई की शिकायत है उसके लिए जो सेम्पल एप्रूव किया गया और ऑर्डर में जो स्पेसिफिकेशन मैटल का लिखा गया उसके विरुद्ध अगर साबित हुई तो कोई एक्शन लिया जा सकेगा जिसकी तहकीकात व जांच की आवश्यकता है और एक्शन लिया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह जांच कलकत्ता के एक्सपर्ट से किस तारीख को कराई गई ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : सन् ५८ में हुई है।

श्री पी० के० चौधरी : परजेज़ करने से पहले उसका सेम्पल केमीकली टेस्ट करा के फिर लिया था ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : यह तो हमारे यहां परचेजिंग कमेटी है उसने नमूना देख कर किया।

श्री पी० के० चौधरी : नमूना जो आप को दिया तो मैटल ऑफ प्योरिटी की जांच कमेटी ने कैसे की ? मैटल का सेम्पल भेजकर के स्पेसिफिकेशन का कैसे जांच किया without there being a chemical test,

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह नहीं बता सकता कि कमेटी ने कैसे किया लेकिन इसके लिए कमेटी का अपना आधार है।

श्री पी० के० चौधरी : यह तो मैं समझ गया whether the metal is of an approved specification. वह कमेटी कैसे समझ सकती है Unless they have analysed so whether yhey ananlysed it before accepting t he tender.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि ऐसा करना चाहिये। इस समय मेरे पास

Page No.31

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सूचना नहीं है कि यह किस आधार पर निर्णय किया कि इसमें लीड कितना होना चाहिये ? किस तरह का यह होना चाहिये ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जोधपुर प्रेस को जो माल सप्लाई किया गया वह खराब है, क्या इसकी जांच कराई जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : उसी की तो जांच हो रही है ।

कस्बा सूरजगढ़ जिला झुंझुनू में फरजी सहकारी समिति के नाम से ऋण

श्री गोकुलचंद जाटव : अध्यक्ष महोदय, १४४१ नम्बर का प्रश्न है इसका उत्तर दिया जाना चाहिये । यह कोआॅपरेटिव का मामला है और इसमें गबन की बात कही गई है १७।। हजार की । प्रश्न श्री लक्ष्मीचंद जी का है ।

१४४१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर-श्री गोकुलचन्द जाटव द्वारा पूछा गया): क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनू के सूरजगढ कस्बे में श्री बनारसीदास छामड़िया नामक व्यक्ति ने फर्जी सरकारी समिति बना कर १७,५०० के करीब रुपया का गोलमाल कर लिया ?

(ख) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के इन्सपेक्टर की जांच से यह प्रमाणित भी हो गया व तथाकथित शेयर होल्डर ने सहकारी समिति से अपना संबंध न होने की बात कही है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

सहकारी उप-मंत्री (श्री दौलतराम सारण) (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सूरजमल (फलौदी-सु.) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १४५५ का उत्तर दे दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, समय बहुत हो गया है ।

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदी लाल, सदस्य विधान सभा, ने हिन्डौन तहसील के गांव खेड़ी से २ महाजन के लड़के व १ कुम्हार तथा गांव चनाटा से ३ और लड़के दिनांक २३ अप्रैल, १९५९ को डाकुओं द्वारा उड़ा ले जाने से संबंधित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इस संबंध में सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है कि—

(१) डाकुओं द्वारा उड़ा लिये गये व्यक्तियों में से श्री नेमीचन्द अपने गांव को वापस चला आया है तथा कुम्हार को डाकुओं ने गांव से जाते वक्त ही छोड़ दिया था ।

(२) आई० जी० पुलिस ने इस घटना की सूचना पाते ही आर०ए० सी० के दो प्लेटून्स

(श्री अध्यक्ष)

हिन्डौन भेज दिए तथा वे स्वयं भी वहां गए। इस क्षेत्र में पुलिस की शक्ति भी बढ़ा दी गई है।

(३) पुलिस और डाकुओं की इस बीच में एक दफा मुठभेड़ भी हुई जिसमें तीन डाकुओं को घायल किया जाना बताया जाता है। चूंकि सरकार द्वारा इस संबंध में प्रयत्न जारी हैं और सदन को इसकी सूचना देने के पश्चात् यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि इस पर इस समय विचार किया जावे। अतः मैं उपरोक्त प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : सूचना है कि उसके बाद में एक और आदमी आ गया है।

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) : वह डाकुओं को पैसा देकर वापिस आये या बगैर पैसा दिए हुए ?

श्री रामकिशोर व्यास : बगैर पैसा दिए हुए।

डॉ० बहादुरसिंह : मुझे पूरी तरह से मालूम है लोगों ने बीस बीस हजार रुपए डाकुओं को दिया है और इसमें भी मुझे उम्मीद नहीं कि वह बिना पैसा दिए आये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका फर्माना गलत है वह तो एनकाउन्टर में से भाग कर आ गए।

श्री पी० के० चौधरी : This is wrong expression. लेकिन आपका फर्माना गलत है The Hon'ble Member may say that his information is wrong.

श्री रामकिशोर व्यास : आपने भी अन्दाजे से फरमा दिया कि पैसे को देकर आये It is absolutely incorrect.

श्री अध्यक्ष : श्री दामोदरलाल व्यास।

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री दामोदर लाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक १९५८ आई एम सारी १९५९ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि That the Bill be referred to a Select Committee, the personnel of which will be given later on, with the recommendation that the Committee should submit its report within a week".

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : on a pont nt of information Sir. अभी तक जितने भी टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट्स आये हैं उनका नम्बर दिया गया है और यह समझ में नहीं आता कि इस पर सीरियल नम्बर नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ५९ का सीरियल नम्बर १ ही होगा।

श्री चन्दनमल वैद्य (सरदारशहर): आपने तो अभी ५८ ही कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने ५८ के बजाय ५६ कहा था,

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : तो फिर भी आपने गलत इनफ़ोर्मेशन दी है, यह अमेन्टमेन्ट नम्बर २ है।

श्री दामोदर लाल व्यास : आप इसको नम्बर १ कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : यस श्री सोहनलाल भटनागर

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी भूमिसुधार के कानूनों को सुनहरी अक्षरों में लिख रहे है लेकिन साथ ही में वह काली स्याही भी रखते हैं और उससे एक दो पेज लिख जाते हैं। जब टिनेन्सी एक्ट को बनाया गया तो उसमें कई अधिकार किसानों को दिये और उसमें एक यह भी था कि किसान अपनी ज़मीन में इम्वप्रूमेन्ट कर सकता है, सुधार कर सकता है और उस सुधार में एक चीज़ दी हुई थी जिसकी डेफ़ीनेशन है कि :

"The definition of the term' imp-rovment' includes dweling house ere-cted on the holding by the tenant, for his own occupation or a cattle-shed or a store-house or any other constuorc-tion for agricultural purposes erected or set up by him on his holding.

तो उसमें किसानों को अधिकार दिया था कि अपनी होल्डिंग पर मकान या दूसरी कोई भी चीज़ जैसे कैटल शैड्स वगैरह एग्रीकल्चर पर्पज के लिए खड़ी कर सकता है और इस टिनेन्सी एक्ट के इस प्रोविज़न के पहले दूसरे कई राज्यों के अन्दर किसानों को यदि अपना मकान या कैटल शैड बनाना पड़ता था तो तहसीलदार की इज़ाजत लेनी पड़ती थी। इसलिए लेजिस्लेशन ने यह उचित समझा कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए किसानों को अधिकार दिये जाने चाहिए। तहसीलदार से इजाज़त लेने में दिक्कतें बहुत होती थीं। पटवारी तंग करता था और समय पर कार्य नहीं होता था। इसलिए लेजिस्लेचर ने यह रखा कि वह स्वतः अपने खेत पर बिना किसी इजाज़त के इम्प्रूवमेन्ट कर सकता है, मकान बना सकता है, कैटल शैड बना सकता है केवल एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। लेकिन इसके बाद में जब हमने टिनेन्सी अमेन्डमेन्ट की धारा २ को देखा है तो जो अधिकार किसानों को दिये हैं उनको छीना जा रहा है। उसमें लिखा है कि तहसीलदार की इजाज़त से बना सकते हैं और स्वतः बनाने का अधिकार हम छीन रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री यह कह सकते हैं कि आज इन अधिकारों को लेकर इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं और उनका यह भी कहना है कि जैसे म्युनिसिपल टाउन के अन्दर बहुत सी दूकानें वगैरह बनाई जा रहीं हैं अब और इसीलिए यह प्रोविज़न रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मै निवेदन करूंगा कि जो माननीय मंत्री महोदय को यह भ्रांति है वह बिल्कुल ग़लत है क्योंकि इम्प्रूवमेन्ट की डेफ़ीनेशन में बड़े मकान या दुकान वगैरह नहीं आते हैं। क्योंकि उसमें एक खास बात है कि वह एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो भ्रांति माननीय राजस्व मंत्री महोदय को है वह ग़लत है। अगर यह प्रोविज़न यों का यों रख दिया गया और सारे राजस्थान के किसानों के ऊपर जिम्मेदारी रखी

Page No.34

(श्री सोहनलाल भटनागर)

कि अगर उनको कोई मकान अथवा दूसरी चीज़ बनानी है तो उनको तहसीलदार की इजाज़त लेनी पड़ेगी तो मेरे ख्याल से किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक दो साल तक तो कागज़ात ही पड़े रहेंगे और आज तक जितने भी इजाज़त आदि देने के अधिकार दिये गये हैं उनमें हम देखते हैं कि पटवारियों के पीछे पीछे भागना पड़ता है और समय पर कार्य नहीं होता है। उनका जो मेटीरियल इकट्ठी होगा वहां समय पर कार्य नहीं होगा जिससे उनको काफी नुकसान होगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह दृष्टिकोण बिल्कुल गलत है।

दूसरे जो अधिकार धारा ४ में दिया गया है वह बिल्कुल ठीक है कि आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को आज इजेक्टमेन्ट के अधिकार दिये गये हैं कि जब वह वापिस लौटें तो उनको ज़मीन वापिस मिल जाये। इसके लिए तो कोई एतराज नहीं हो सकता लेकिन इसमें क्लॉज़ ५ दिया गया है उसमें इजेक्टमेन्ट ऑफ़ सरटेन ट्रेसपासर का प्रोविज़न है तो ट्रेसपासर्स के लिए सिक्स्थ टाइम ऑफ दी एनुअल रेन्ट का प्रोविज़न है। जब कि ओरीज़ोनल बिल टिनेन्सी का पास हुआ था उसमें १० गुना मुआवज़ा सालाना रेन्ट का प्रोविज़न था। मैंने इसका विरोध किया था कि यह बहुत ही ज्यादा होगा और इससे किसानों पर अधिक भार होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इतने साल के प्रचलन के बाद मैं देखता हूं कि जो रेन्ट लिया जायेगा वह सेंक्शन्ड रेंट रेट से लिया जायेगा और जितनी भी जमीन सरकार की है उस पर बहुत पहले भूमिदार ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है और जब उनको बेदखल किया जाता है तो उनसे केवल ६ गुना मुआवज़ा लिया जाता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसी ज़मीन का लगान कहीं एक आना और कहीं दो आना बीघा होता है। इसलिए जो कुछ हरजाना लिया जाता है वह बहुत कम होता है। जो ट्रेसपासर है वह कभी भी ज़मीन से बेदखल नहीं होता लेकिन जुर्माना जमा कराने के बाद अपना कब्जा जारी रखता है। इस वज़ह से वह ज़मीन जो बची हुई है, सिवाय चक की जो ज़मीन बांटी जा सकती है वह नहीं बांटी जा रही है। इसलिए धारा १८३ में तरमीम लाई जा रही है, तो मेरे ख्याल से जो ६ गुना मुआवज़ा रखना चाहते हैं वह ठीक नहीं है। इसको बढ़ाना चाहिए।

दूसरा प्रोविजन जो उस वक्त, अध्यक्ष महोदय, १८६ में था कि तीन महीने के अन्दर दावा करके जो भी ट्रेसपासर होता था उसको इजेक्ट करने के बारे में समेरी रेमेडी रखी थी उसको जब विलोपित किया जा रहा है और १८७ की नई धारा रखी जाती है कि एक रेग्युलर सूट के मुताबिक कार्यवाही की जाय, इससे मुझे एतराज नहीं होगा कि समेरी रेमेडी के बजाय रेग्युलर सूट की धारा रखी जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज़मीन और इम्मूवेबल प्रोपर्टी के संबन्ध में समेरी रेमेडी के अन्दर दफ़ा १८६ में स्पेसिफ़िक रिलीफ़ दी हुई है वह टिनेन्सी एक्ट में जितनी एग्रीकल्चर लैण्ड है उसको जुरिस्डिक्शन से आउट कर दिया है। इस संबन्ध में रेवेन्यू बोर्ड के और हाई कोर्ट के फैसले हो चुके हैं कि एग्रीकल्चर लैण्ड, वह स्पेसिफ़िक रिलीफ़ के मातहत जाती

Page No.35

(श्री सोहनलाल भटनागर)

है, नहीं लिये जा सकते हैं। मेरे ख्याल से जो समेरी रेमेडी का प्रावीज़न था उसको हटाना ठीक नहीं है। उसको बकरार रखा जाना चाहिये।

दूसरा माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन क्लॉज़ ७ के बारे में है और खास तौर से जो प्रोविज़न रखा गया है उसमें लिखा गया है कि 'Provided that no decree for possession shall be passed where the plaintiff, at the time of the passing of the decree, is liable to ejectment in accordance with the provisions of this Act within the current agricultural year. माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रोवीज़ो यों का यों ही रखा जाय तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे और वह गलती होगी इस कानून के राज्य में। क्योंकि कहीं भी ऐसा प्रोवीजो नहीं है वह उसमें हम इन्ट्रोडयूस कर रहे है। इसमें कह रहे हैं कि यदि किसी ट्रेसपासर को इजेक्ट कर दिया गया है लेकिन इजेक्ट करने वाले को यह अधिकार था, उसका कब्जा था तो इजेक्टमेंट की डिक्री नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हम फोर्सिबल डिस्पज़ेशन को रिकगनीशन दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि दफ़ा ६ में एक मकान का मालिक है और वह टिनेन्ट को बेदखल करता है तो वह कानून हाथ में लेकर बेदखल नहीं कर सकता है। उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। वहां पर असलियत सामने आयेगी अगर उसको ज़बरदस्ती बेदखल किया गया है तो समेरी रेमेडी के मुताबिक कब्जा मिल सकेगा। इसलिए यह प्रोवीजो ज्यों का त्यों ही रखा जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि लैण्डलॉर्ड, टिनेन्ट को जबरदस्ती बेदखल कर देता है तो बेदखल करने के लिए उसको अदालत में जाना चाहिए जहां कि सारे इश्युज़ डिसाइड होगें। जो जबरदस्ती डिसपजेस कर देता है तो इस प्रोवीजो की वजह से टिनेन्ट डिसपजेशन का सूट लायेगा तो बेदखली नहीं हो सकेगी जब कि आज फोर्स से गैर कानूनी ढंग से लैण्ड लॉर्ड ने कब्जा कर लिया है तो उसको हम रिकगनीशन देगें। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोविजन खतरनाक होगा इक्विटी और जस्टिस के लिहाज से और हम फोर्स को रिकगनीशन देंगे। इससे उसका प्रोटेक्शन होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, १८७ की नई धारा जो एड की जा रही है और उसके अन्दर जो पहले डिसपजेस हो गया वह मालिक नहीं करता है यानी जो तीन महीने की मियाद थी उस मियाद के समाप्त होने की वजह से अधिकार नहीं मिलेगा और दावा खारिज होगा तो वापिस तीन साल तक वह मालिक कर सकता है। यह धारा बिल्कुल ठीक है और ३ साल तक जितने पुराने नाजायज़ कब्जे हुए है उनको ठीक करने के लिए प्रावधान रखा गया है उसमें ऑब्जेक्शन की बात नहीं है।

इसमें दो एक चीजें मुख्य हैं एक तो खेती के ऊपर, होल्डिंग के ऊपर इम्प्रूवमेंट करना है तो तहसीलदार की इज़ाज़त लें और दूसरा पोसीबल इजेक्टमेंट को रिकिगनीशन दे रहे हैं यह दोनो चीजें इस बिल के अन्दर खतरनाक हैं। यह किसानों के लिए गरीबों के लिए बड़ी ही आपत्तिजनक हो सकती है, दुःखदायी हो सकती है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इन खामियों को मानते हैं

(श्री सोहनलाल भटनागर)

और संशोधन भी इस संबंध में उन्होंने प्रस्तुत किये हैं। यह उनसे जाहिर होता है। लेकिन उन संशोधनों से जो कुछ भी मेरे ऑब्जेक्शन हैं वे दूर नहीं हो सकते हैं और मेरे ख्याल से इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं निवेदन करता हूं कि यह छोटा सा बिल है लेकिन जो चीज है, जो प्रोविजन है, जो खराबियां हैं उनमें सुधार बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मेरा निवेदन है कि केवल एक सप्ताह के अन्दर यह सिलेक्ट कमेटी, उसके अन्दर जितनी खामियां है उनको दूर कर दिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 'राजस्थान टिनेन्सी एमेंडमेंट बिल, १९५९ के संबंध में जो प्रस्ताव आया है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय, उसका मैं समर्थन करती हूं।

इसके पहले माननीय सदस्य ने कई एक कारण इसके समर्थन में बता दिये हैं कि क्यों इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि यह छोटा सा विधेयक जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में कुछ संशोधन करने के हेतु प्रस्तुत किया गया है इसमें कई एक खामियां रह गई हैं और अगर उन कमियों को ठीक नहीं करेंगे तो आगे चलकर जनता को बहुत तकलीफ होने वाली है।

टिनेन्सी एक्ट का संबंध अधिकतर किसान वर्ग से होता है। किसान वर्ग बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए किसी कानून को बनाते समय उसमें कोई प्रावधान रखते समय हमको देखना पड़ेगा कि वह कानून ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करता है या नहीं। जैसा कि हमें पहले माननीय सदस्य ने बताया कि इसमें धारा ६६ और ६७ में जो संशोधन चाहा गया है उसके द्वारा अब तक जो किसान को अधिकार मिले हुए थे कि अपनी जमीन में कोई भी सुधार कार्य कर सकता है और सुधार कार्य के लिए इम्प्रूवमेंट में स्पष्ट किया हुआ है कि रिहायशी मकान या जानवरों के रहने के लिए शैड या सामान रखने के लिए दूसरा मकान वगैरह बनाने की बात थी। यह सुविधा बहुत सुन्दर थी। किसान के लिए बहुत अच्छी थी। लेकिन न जाने सरकार ने क्यों यह महसूस किया कि सरकार अब इसको फिर तहसीलदार की अनुमति से बनाने की बात करना चाहती है। मैं सोचती हूं कि यह ठीक नहीं है। कोई किसान न तो नाजायज तौर पर ज़मीन रोकना चाहता है और न अपनी ज़मीन को किसी तरह से नुकसान पहुँचाना चाहता है। उसकी खुद की मन्शा यही रहती है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा खेती हो। वह खेती में मदद पहुँचाने वाली व्यवस्था ही वास्तव में करेगा। इसलिए हमको तो किसान पर ही छोड़ देना चाहिए कि यदि वह जरूरत समझता है तो वहां पर रिहायशी मकान बना सकता है। झोंपड़ी बना सकता है। और साधन वगैरह रखने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था कर सकता है। तहसीलदार से अनुमति लेने वाली बात जिसको हम इस संशोधन के द्वारा करने जा रहे हैं, इसको रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं महसूस करती हूं।

दूसरी बात जो सैनिक सेवा से लौटे हुए लोग हैं उनको ज़मीन देने की बात है, इसका मैं समर्थन करती हूं कि यह देनी चाहिए,

(डॉ० चन्द्रकला)

लेकिन सोचने की बात यह होगी कि जब तक सैनिक सेवा में वे थे उनकी जो जमीन यहां पर थी उसको काश्त कौन करता था ? यदि वे लोग कर सकते थे, जो कि बाद में ग्रासामी से हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन मान लिया जाय कि दूसरे काश्त कर रहे हैं, और एक लम्बे अर्से से काश्त कर रहे हैं तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि आखिर बेदखल करके उसको भूमिहीन कैसे बना देगें। उसके बारे में सोचने की व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी। जहां सेना से लौटे हुए लोगों की बात कहते हैं वहां पर यह भी सोचना पड़ेगा कि जमीन का उपयोग करने वाले जो लोग थे उनके लिए फिर क्या होने वाला हैं ?

इसके बाद में जो अलग १८३ में संशोधन मांगा गया है उसमें सरकार की भावना चाहे यह हो कि अनपढ़ किसानों को परेशानी से बचाने के लिए यह प्रयत्न किया गया है। जहां पर ६ गुना पैसा लेकर उनको अधिकार देने की बात है मेरे ख्याल से उसमें भी ज़रा सोच विचार करके करने की आवश्यकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसी तरह से भूधिरों को मुआवजा लेकर अधिकार दिये गये थे लेकिन वह बहुत कुछ सफल नहीं हुआ। इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि अनपढ़ किसानों की दिक्कतें हैं उनको दूर कराया जा सके।

इसके बाद जो १८६ धारा में संशोधन चाहा गया है उसके लिए विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है उसमें और सरकार की भावना में विरोधाभास दिखाई पड़ता है। एक जगह तो यह बताया है कि अगर इजेक्टमेंट होने के बाद निश्चित समय में नहीं दे सकता है तो वह टाइम बार्ड हो जाता है यानी समय से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए कोई रह नहीं जाता है कि वह दावा कर सके। अगर वह दावा करता है तो समय बढ़ाने की ज़रूरत होती है लेकिन यह तो इसमें लिख दिया है कि बहुत से आसामियों के आवेदन पत्र काल तिरोहित होने के कारण नामंजूर कर दिये गये हैं । यद्यपि ऐसे पीड़ितों को राहत देना आवश्यक है यहां तक तो ठीक है। तथापि संक्षिप्त प्रतिकार को प्रार्थना के आवेदन पत्रों की समयावधि बढ़ाना भी उचित नहीं है, एक ओर तो हम उनको टाइम बार्ड होने पर असुविधा से बचाना चाहते हैं और दूसरी ओर टाइम नहीं देना चाहते हैं। हम सब यह जानते हैं कि किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, कानून की पेचीदगी जानने वाले वे लोग नहीं हैं इसलिये यदि हम उनको भूलभुलैयों में डालेंगे तो देखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत और सुविधा देने की आवश्यकता है जिससे राष्ट्रीय कार्य अधिक अन्न उपजाओं में अधिक से अधिक वे ध्यान दे सकें। इसलिये यह जो छोटा सा संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसमें कई एक कमियां हैं और जो संशोधन आया है उससे हल नहीं निकलता है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति के सामने रखा जाय। प्रवर समिति के सामने अधिक समय नहीं लगाया जाय यह छोटा सा विधेयक है इसलिए थोड़े ही दिनों में प्रवर समिति इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट दे सकती है। उसके बाद में हम सर्वांग संपूर्ण विधेयक के रूप में उसको तैयार कर सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I will like to speak on this. अध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रवर समिति को देने का जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : मैं खुद इसको मानने को तैयार हूं।

श्री पी० के० चौधरी : मेरे व्यूज तो सुन लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : You can give your views in the Select Committee. You will be there if you choose.

श्री पी० के० चौधरी : But you cannot have all the members in the Select Committee. अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कुछ प्रोविजन रखे गये हैं, खास करके क्लॉज़ २ है जिसको इम्प्रूवमेन्ट के लिये रखा है : "To section 66 of the Tenancy Act, the following be added:— "Provided that on such improvement as is reffered to in sub-clause (a) of clause (19) of section 5 shall be made except with the sanction of the Tehsildar applied for and accorded in the prescribed manner;" अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेंट है उससे क्लॉज़ १६ ऑफ सेक्शन फ़ाइव में एक एग्रीकल्चरिस्ट की ऑथोरिटी है कि उसकी लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग काऊ शेल्टर, काऊ शेड शेल्टर या एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिये कोई बिल्डिंग खड़ी कर सकता था, बना सकता था। लेकिन इस क्लॉज़ में अमेन्डमेन्ट लाकर यह प्रोविज़न कर रहे हैं कि कोई काऊ शेड या टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो उसको तहसीलदार की इजाज़त लेकर बनाना चाहिये, मंत्रीजी एक अमेन्डमेन्ट लाये जिसके द्वारा लिमिट करेंगे, सारे राजस्थान में उसको लागू नहीं करेंगे लेकिन जयपुर म्युनिसिपल एरिया से १० माइल के एरिया में लागू करेंगे और दूसरी जगह ५ माइल के रेडियस की लिमिट करेंगे और बाकी जगह यह लागू नहीं होगा। मेरा निवेदन यह है कि इससे भी प्रोब्लम हल नहीं होती है आप जयपुर म्युनिसिपल एरिया में करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। म्युनिसिपल एरिया में रेस्ट्रिकशन हैं। यहां पर जो एग्रीकल्चरल एरिया है हम उसको अरबेनाइज़ेशन के लिए एनकरेज़ नहीं करना चाहते हैं। जयपुर में १० माइल और दूसरी जगह ५ माइल का प्रोविजन करते हैं तो अरबेनाइज़ करेंगे। लेकिन यह रेस्ट्रिक्शन रहना नहीं चाहिये और जो डेफ़िनेशन है वह रहनी चाहिये कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात है इजेक्टमेंट की। आपने क्लॉज़ में रखा है : "......a tresspasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, on the issue of a notice by the Tehsildar in case of land held directly from the State Government and in other cases on the suit of the person or persons entitled to admit him as tenant, and shall be further liable to pay as penalty...may extent to six times the annual rent." जहां तक ट्रेसपासर का सवाल है डेफ़िनेशन की सेक्शन की सब क्लॉज़ (१२) के नीचे डेफिनेशन दिया है कि ट्रेसपासर कौन होता है। मान लीजिये एक सब-टिनेन्ट है उसको

(श्री पी० के० चौधरी)

टिनेन्सी एक्ट में राइट देते हैं उसके अनुसार उसका जो ऑक्युपेशन हो जाता है उसका खुद का खातेदारी राइट हो जाता है और उसको कोई इजेक्ट नहीं कर सकता । लेकिन यह जो अमेन्डमेन्ट आप यहां रख रहे हैं उससे लैंड होल्डर को यह खातेदारी राइट मिलने वाला है वह सब टिनेन्ट हो जाता है । सब टिनेन्ट का पीरियड खत्म हो गया लेकिन बाद में भी वह ज़मीन काश्त करता है तो इस अमेन्डमेंट को लाकर आप ऑथोरिटी देते हैं कि किसी भी सब टिनेन्ट को इजेक्ट कर सकते हैं । इस सारे के सारे बिल में पीस मील लेजिस्लेशन न लाकर जब सीलिंग बिल पास हो जावेगा उसके बाद बहुत सी चीजें जो लाना चाहते हैं उसका प्रोबलम एराइज़ नहीं होगा इसलिए आप सीलिंग बिल को पहले पास करें और जो पीस मील लेजिस-लेशन लाते हैं उनको न लावें क्योंकि वे कन्फयूजिंग हैं । जो सब टिनेन्ट है उसको टिनेन्सी राइट मिल गया है उसको भी इस बेसिस पर आप अनसैटल्ड करने जा रहे हैं। लेजिस्लेशन इस कारण से करते हैं कि टिल्लर ऑफ लैंड को बेनिफ़िट मिले, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि इससे टिलर्स ऑफ दि लैंड को नुक्सान पहुंचता है । मिसाल के तौर पर पिछले सेशन में हमने बिस्वेदारी और जागीरदारी एबोलिशन बिल पास किया, उससे यह समझा था कि बिल पास होने से जो ज़मीन पर काश्त करते हैं और जो टिनेन्ट्स है उनको फ़ायदा पहुँचेगा । लेकिन यह रखा था कि जमींदार और बिस्वेदार कौन हैं इसे गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी । इसकी मिसाल मेरी कान्स्टिट्युएन्सी में मिलेगी । सांभर शामलात के १२ विलेजेज़ में २०, २५ साल पहले बापोतीदारों और बिस्वेदारों ने अपनी २ ज़मीन टिनेन्ट्स को दे दी थी उसका नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेंट के एग्जीक्युटिव ऑर्डर से वे सारे के सारे टिनेन्ट्स बन गये और बापोतीदार उन सब को इजेक्ट कर सकते हैं। यह चीज़ मैं मन्त्री जी के अटेनशन में भी लाया हूं । बापोतीदार शुड एक्च्युली बी क्लासिफाइड एज जमींदार एण्ड बिस्वेदार उनको टिनेन्ट डिक्लेयर करके जो परमानेन्ट टिनेन्ट थे उनको बाइ वन स्ट्रोक ऑफ पेन सब-टिनेन्ट कर दिया । जो बापोतीदार हैं वे आज उनको इजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । जनरेशन्स से, जो लोग पर्मानेन्ट टिनेन्ट थे उन सारे के सारों को डिसपजेस कर सकते हैं तो यह कानून जो हम जल्दबाजी में पास कर रहे हैं उसके रिपरकशन्स क्या होंगे उस के बारे में सोचते नहीं हैं । मैं बापोतीदारों की बात कह रहा हूं । १२ विलेजेज़ में टिनेन्ट्स हो गये हैं । इस बिल को पास करेंगे तो बापोतीदार, when all the former tenants have now been declared as sub-tenants, now the bapotidars will eject all those people. क्योंकि आपने प्रोविजन रखा है if any person who is entitled to admit a tenant, can dispossess a tenant who is not there with his permission. तो इसका क्या रिपरकेशन होता है । जो...

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not been able to follow the argument that there will be wholesale dispossession of tenants or sub-tenants. Which provision the Hon'ble. Member is referring ?

Page No.40

श्री पी. के. चौधरी : Clause 5.

"183. Ejectment of certain trespassers...(1) Not-with standing anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of the land without lawful authority shall be liable to ejectment, on the issue of a notice by the Tehsildar in case of land held directly from the State Government and in other cases on the suit of the person or persons entitled to admit him as tenant, and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part where of he has been in such possession a sum which may extend to six times the annual rent."

Now"...on the suit of the person entitled to admit him as tenant..." वे जो बापोतीदार है, उन्हें आपने टिनेन्ट डिक्लेयर कर दिया है, वे उसमें किसी को एडमिट कर सकते हैं, वहां क्या करेंगे under the rules they will eject all those people whom you have declared today as sub-tenants, जुलाई १६५८ में सारे के सारे परमानेन्ट टिनेन्ट हैं, आपने जुलाई १६५८ में एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू कर दिया, कि बापोतीदार जो आज तक टिनेन्ट नहीं माने जाते थे, उनको टिनेन्ट माना जायगा। इसका नतीजा यह हुआ कि १२ विलेजेज़ थे hundreds of permanent tenants have been declared as sub-tenants. सारे के सारे शिकमी काश्तकार करार दे दिये हैं। उसके बाद जो बापोतीदार थे, उनको हटाने के लिए, उनको डिसपजेस करने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर ला रहे है, फिर कानून में प्रोविजन कर देंगे। मेरा निवेदन है कि इन सब काम्प्ली-केशन को अवॉइड करने के लिए, माननीय सदस्य, जो सलूम्बर में आने वाले है, ने प्रस्ताव रखा है इसे सलेक्ट कमेटी में देने का, उसको मंजूर करना चाहिए। आपने इसमें जो ट्रेस पासर का प्रोविजन रखा हैं, वह ज़बरदस्त प्रोविजन है। इसमें इजेक्टमेंट करने के लिए लिखा है, अगर किसी ने लैंड रिटेन कर रखा है अनलॉफुली। मान लीजिये मैं शिकमी काश्तकार हूं, चार, पांच साल से काश्त करता हूं और टिनेन्सी एक्ट में प्रोविजन है कि अगर मैंने तीन साल तक काश्त किया तो खातेदारी राइट मिल सकता हैं, ऑन माई एप्लीकेशन। इसमें प्रोविजन करते हैं। "Not with standing anything to the contrary in any provision of this Act." आज शिकमी काश्तकार नहीं होगा he might have retained the land then he is liable to ejectment notwithstanding anything contained in this Act. शिकमी काश्तकार का जो पीरियड है, उसको आपने एक्सटेन्ड नहीं किया तो उसका रिटेन्शन कानून के अन्डर में इल्लीगल हो जायगा। जब इल्लीगल हो जाता हैं then he is liable to ejectment. तो मैं समझता हूं कि इस तरह का कानून पास करते हैं और पीस मील लेजिस्लेशन करते हैं तो उसका बुरा असर पड़ सकता हैं। इसका एडवर्स असर पड़ सकता है। इसलिये मैं समझता हूं इसे सिलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये। इसके साथ ही टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल लाने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि पहले सीलिंग बिल पास कर दीजिये, फिर जो लैंड के झगड़े आयें, उनके लिए जो नये टिनेन्सी लेजिस्लेशन ला रहे हैं, उनको लाने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं निवेदन करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और

(श्री पी० के० चोधरी)

पहले सीलिंग बिल लायें और उसको पहले पास कर दिया जाय । Then fifty percent of your troubles will be finished. If it is necessary, you take this up after that.

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की किसी धारा में कोई दोष नजर नहीं आता, फिर इसे सिलेक्ट कमेटी में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव · किया है, इसका मुझे आश्चर्य है । माननीय मंत्रीजी भी उधर झुके हुए नज़र आते हैं, जब कि कई बिलों को, जिन्हें सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने में बड़ी आना कानी करते नजर आते हैं । मैं समझता हूँ कि इसमें कौनसी बात है, जिसके लिए इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय । सबसे पहली बात जो सैक्शन में दी है, ६६. ६७ के अन्तर्गत दी है, वह इसलिये है कि आज जब सीलिंग बिल आ रहा है, तो लोगों की ज़मीन सीलिंग में न चली जाय, वे मकान बना रहे हैं, उन्होंने ज़मीन कब्जे में करली है । उन लोगों से ज़मीन लेने के लिये आवश्यक हो जाता है कि किस प्रकार का नियम होना चाहिये, जिसकी वजह से वे तहसीलदार से परमीशन लेकर हाउस इरेक्ट करा सकें, बैलों के मकान के लिये कुछ कर सकें, बीज़ भंडार बना सकें । जो लेजिस्लेशन आ रहा है और जिसके बारे में आपत्ति की गई है, मैं समझता हूँ यह आवश्यक है । क्या आप यह चाहते हैं कि जो काश्त की ज़मीन है, वह छोटे छोटे कामों में ली जाय, बैलों के लिये मकान बना लें, बीज़ भंडार बना लें, और इस प्रकार सारी ज़मीन दबा लेना चाहें, यह गलत बात है । आज आवश्यकता इस बात हो सकती है कि किसानों को परेशानी होगी, काश्तकारों को तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यह आवश्यक है क्योंकि काश्तकार अपनी ज़मीन को रिहायशी पर्पज के लिए काम में न लें और अधिक उत्पादन करने का पर्पज़ है, वह डिफीट न हो जाय, उसके लिए जरूरी है कि इस प्रकार का लेजिस्लेशन आना चाहिए । इसके बारे में जो आपत्ति करते हैं, ये आपत्तियां निराधार हैं । यह हो सकता है कि आपकी ज़मीन हो और इस कारण मन में कमजोरी महसूस हुई है । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि आपने जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसमें यह है कि १-५ ज़मीन के ऊपर रिहायशी मकान बना, सकता है । फिर कोई बन्धन है नहीं । तहसीलदार के पास एप्लीकेशन देने पर १-५ ज़मीन के ऊपर मकान बनाने, बिल्डिंग तैयार करने की इजाज़त मिल जाती है, तब आपत्ति कहां रह जाती है, यह समझ में नहीं आता। ये वे लोग हैं जो सीलिंग की वज़ह से सारी ज़मीन को रिहायशी पर्पज में लाना चाहते हैं और सीलिंग पर्पज डिफीट करना चाहते हैं । ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिये । इसलिए इस कानून के विरोध में जो बातें कहते हैं और जो डिले करने का मार्ग अपनाना चाहते हैं, वह गलत है, उसको मैं अच्छा नहीं कह सकता हूं ।

दूसरे इसमें रखा गया है, १८२ धारा के तहत कि जो कोई लोग फौज में बाहर चले गये हैं । जब वे रिटायर होकर आयें तो निश्चित् रूप से उन्हें कोई जगह चाहिए । पुरानी रियासतों में ऐसे लोगों को ज़मीन दी जाती थी, जो लोग फौज से वापिस आते थे,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उनको ज़मीन देकर बसाया जाता था, उनके ऊपर लगान नहीं लगता था, उन्हें माफी लगान की ज़मीन दी जाती थी। उनकी ज़मीन पर किसी ने नाजायज तरीके से कब्ज़ा कर लिया है, कानूनी कब्जा जमा लिया है तो कानून में अमेंडमेंट है, उसके अनुसार उन्हें अधिकार दिलाया जायगा, वह ज़मीन वापिस दिलाई जायगी और वे बिल्कुल निराश्रित नहीं रहेंगे। हमारी सरकार फौजी ऑफिसरों को सेटल करना चाहती है, वह बराबर रहेंगे। इसके अलावा इसमें छः सात एग्जेम्प्शन हैं। कोई विधवा हो, बालक हो, बीमार हो जो खेती नहीं कर सकता है, इसमें यह जोड़ा गया है कि कोई व्यक्ति फौज़ से रिटायर हो कर आता है, उसकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं इसमें आपत्ति होने का प्रश्न नहीं और इसे सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रश्न क्यों होता है।

इसके अलावा धारा १८७ में अमेंडमेंट किया है, वह अच्छा है कि किसी व्यक्ति को डिसपजेस कर दिया गया है, उस व्यक्ति को पजेशन मिलना चाहिए। अगर वह व्यक्ति पजेशन लेने में फेल हो गया है, तो उस व्यक्ति को पजेशन प्राप्त करने के लिए कानूनी अधिकार देते हैं जिन लोगों ने नाजायज़ तरीके से कब्जा कर लिया है, उसके लिए धारा १८७ में प्रावधान रखा है। यह अच्छी बात है। जो व्यक्ति अपना हक प्राप्त नहीं कर सके, वह ज़मीन पर कब्जा करने लिए सूट लगा सके। इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। इसमें जो तीन चार अमेंडमेंट्स को लेकर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वे कह सकते हैं कि इस पर सूट न लिया जाय, अमेंडमेंट न किया जाय और मकान बनाने की इजाज़त दी जाय। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि सीलिंग का पर्पज डिफीट हो जाय, अधिक उत्पादन की योजना डिफीट हो जाय। ऐसे लोग ही संशोधन लाते हैं। मैं समझता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता नहीं है। जो मामूली संशोधन हो, आप चाहते हो कि तहसीलदार से इजाज़त नहीं ली जाय तो अमेंडमेंट वहां हो सकता है और हाउस अगर सहमत होगा तो उसे हटा दिया जायगा। इस बात को लेकर इसे सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर इसे डिले करा जाय, तो इसका पर्पज डिफीट हो जाता है। इसलिए मैं सलेक्ट कमेटी में भेजने का विरोध करता हूं और चाहता हूँ कि इसे रेगुलर तरीके से पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है, कि अब तक जो रेवेन्यू लेजिस्लेशन, टिनेन्सी का लेजिस्लेशन था, उसका लक्ष्य और टार्गेट, लैंड लॉर्ड जागीरदार और ज़मींदार आदि थे, अब मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, अब सरकार का बार टिनेन्ट्स पर आया है। किसी प्रकार आया, इसके लिए मैं निवेदन करूं कि जो टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल हमारे सामने है, उसमें जो अमेंडमेंट हैं, उसमें पहला अमेंडमेंट यह है कि टिनेन्ट अपनी ज़मीन के ऊपर रहने के लिए कोई मकान नहीं बना सकता। अव्वल तो मकान की बात छिपी हुई है, पहला यह है कि ज़मीन को इम्प्रूव

(श्री रघुवीरसिंह)

करने के लिए सैंक्शन चाहिए। मैं समझता हूँ यह रीएक्सनरी मालूम पड़ता है। एक तरफ आप ज़मीन का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अधिक पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ यह कहें कि ज़मीन के इम्प्रूवमेंट का यदि काम करें तो सैंक्शन लेकर करें। मैं समझता हूं कि यह आधार होगा कि पहले ज़मीन के इम्प्रूवमेंट के लिए सैंक्शन ली जाय, तहसीलदार उस पर सैंक्शन दें, तब ज़मीन को इम्प्रूव कर सके मैं कहूँगा यह रीएक्सनरी कानून है। आपको ज़मीन के इम्प्रूवमेंट करने के लिए लोगों को एनकरेज करना चाहिए, न कि रोक लगानी चाहिए। अगर तहसीलदार मन्जूरी नहीं देगा तो इम्प्रूवमेंट बन्द कर देगा। कहा यह जाता है कि सीलिंग को डिग्रेड करने के लिये, सीलिंग परपज़ को डिफीट करने के लिये इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह गलत चीज़ है। कोई भी काश्तकार अपनी ज़मीन में पैदावार करना छोड़ कर अपनी ज़मीन को किसी ऐसे काम में ले कि पैदावार बन्द हो जाय, यह कभी ख्याल तक नहीं किया जा सकता। सीलिंग आने के बाद जब काश्तकार के पास थोड़ी ज़मीन रह जायगी तो वह कभी नहीं चाहेगा कि उस ज़मीन में पैदावार न करके ऐसे उपयोग में ले ले कि पैदावारहोना बन्द हो जाय। आज थोड़ी सी ज़मीन हमारे पास रह गई तो हमें चाहिये कि इसमें अधिक से अधिक उपज बढ़ायें। वह तभी होगा कि लेटेस्ट मेथड्स खाद बढ़ाने के, खेती की रखवाली करने के और खेती को चारों ओर से घेरने के अमल में लायेंगे। तभी संभव होगा कि थोड़ी सी ज़मीन रहने पर भी अपना जीवन बसर कर सकें, नहीं तो सीलिंग आने के बाद इतनी कम ज़मीन रह जायगी कि काश्तकारों को भूखों मरने की नौबत आवेगी। इस इम्प्रूवमेंट के मार्ग में रोड़ा अटकाना कि तहसीलदार की इजाज़त से काश्तकार इम्प्रूवमेंट कर सकता है, यह प्रावधान तो बड़ा घातक है।

दूसरी बात यह है कि समेरी रेमेडी मौजूद थी, उसको सूट की रेमेडी देते हैं। समेरी रेमेडी इसलिये रखी थी कि हमारी ज़मीन अधिक दिनों तक सस्पेन्स में न पड़ी रहे सब–टिनेन्ट यह समझता रहे कि यह ज़मीन मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी, उधर टिनेन्ट देखते है कि यह ज़मीन इस सब-टिनेन्ट से छुड़ा लूंगा तभी इम्प्रूवमेंट करूंगा। और इस तरह कई वर्षों तक उस ज़मीन पर किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और वह ज़मीन यों ही सस्पेन्स में पड़ी रहेगी। इस झगड़े को मिटाने के लिये सरकार ने टिनेन्सी लेजिस्लेशन में प्रावधान रखा था कि जल्दी से जल्दी इजेक्टमेंट का झगड़ा तय हो जाय और समेरी के रूप में तीन महिने के अन्दर अन्दर दर्ख्वास्त दे कर अगर ज़बरदस्ती हटा दिया हो तो फौरन रीइन्स्टेट करा दें ताकि ज़मीन बर्बाद न हो पर अब इसके लिये रेगुलर सूट की रेमेडी देते हैं, सूट तीन साल तक चलेगा, टिनेन्ट यह समझता रहेगा कि मैं इसका मालिक रहूंगा कि नहीं और सब-टिनेन्ट समझता रहेगा कि मैं इसका मालिक रहूंगा कि नहीं, दोनों में से कोई भी उस पर दिल लगा कर खेती नहीं करेगा। तो यह जो प्रोविज़न है वह हमारे टिनेन्सी लेजिस्लेचर और टिनेन्ट्स पर कुठाराघात करने वाला है। मैं तो इस कानून का मूल रूप से ही घोर विरोध करता हूं। मिलिटरी के परसोनल्स के लिये है इसके लिए दूसरा अमेंडमेंट लाया जा सकता है।

Page No.44

(श्री रघुवीरसिंह)

इम्प्रूवमेंट करने से काश्तकारों को हम इस प्रकार का प्रावधान रख कर रोक रहे हैं तो हम गांवों में जाकर लोगों से क्या कहेंगे कि हमने ऐसा कानून बनाया है कि तुम खेती में सुधार करोगे तो तहसीलदार की मन्जूरी लेनी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसको विथड्रा कर लिया जाय और इसको विथड्रा करने के बाद आवश्यक हो तो एक दो दूसरे अमेंडमेंट्स लाये जा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में खास कर तीन चार महत्वपूर्ण बातें इसमें दी हैं। एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स में इन कारणों की सब बातें स्पष्ट कर दी जाती तो इतनी बहस नहीं होती। डिटेल में समझा दिया जाता तो सब लोगों के दिल दिमाग की सफाई हो जाती और ज्यादा बहस नहीं होती। जो सबसे पहला संशोधन इसमें सुधार के नाम पर लाया जा रहा है कि ज़मीनों में किस प्रकार का सुधार करना है तो तहसीलदार से इजाज़त लेनी होगी और सीमा निर्धारित कर दी है कि ज़मीन का इतना हिस्सा सुधार में लिया जा सकता है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसकी आबादी अधिकांश किसानों की आबादी है, उनके लिये कानून बनाने हैं तो गहराई से देखना पड़ता है कि कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा, वे लोग कितने शिक्षित हैं कैसा उनका जीवन स्तर है, आज के ज़माने के माफिक आज हम उन्हें इतना आगे बढ़ा सके है कि नहीं इस दृष्टिकोण से देखा जाय....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी इजाज़त से माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरे कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं तो इस बिल को और उन अमेंडमेंट्स को साथ रख कर बहस करेंगे तो डिबेट थोड़ी करटेल हो जायगी और टू दी पोइन्ट होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी मेरे पास नहीं आया....

श्री दामोदरलाल व्यास : कल ही सर्कुलेट कर दिया था। मैं स्पष्ट कर दूँ, मेरी मन्शा यह नहीं है जैसा कि राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि तमाम सुधारों के लिये तहसीलदार की इजाज़त लेनी पड़ेगी यह न मालूम उन्होंने कहां से लिया है। ड्वेलिंग हाउसेज़ बनायेंगे। उनके लिये रेस्ट्रिक्शन रखा गया है। मेरे अमेंडमेंट में रखा गया है कि जयपुर शहर से दस माइल्स के एरिया में, कोई मकान बनाता है तो उसको इज़ाज़त लेनी होगी ,.

श्री पी० के० च[illegible] (फुलेरा) : काऊ शेड्स भी हैं Cow-sheds other buildings for agricultural purposes.

श्री दामोदर लाल व्यास : That goes without saying of course.

श्री पी० के० च[illegible] : Any construction for agricultural purposes. Dwelling house is a different matter.

श्री दामोदरलाल व्यास : १० माइल्स के एरिया में, वहां मकानात के परपज के लिये कन्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिये, तादाद मुकर्रर होनी चाहिये कि इतनी तादाद में

Page No.45

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मकानात होंगे। यह नहीं हो सकता कि इधर तो इतनी आबादी बढ़ रही है और उधर किसान कृषि की ज़मीन को आबादी लैंड में कन्वर्ट कर दे। सिटीज़ के लिए ५ माइल्स का एरिया और म्युनिसिपल टाउन्स के लिये ३ माइल रिजेक्ट किया है। और गांवों में इसे एप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। तहसीलदार से इन एरियाज़ में ही इजाज़त लेनी पड़ेगी। जयपुर १० माइल्स सीटीज़ ५ माइल्स और म्युनिसिपल टाउन्स ३ माइल्स एरियाज़, इनमें इजाज़त लेनी पड़ेगी। वह भी ऑल इम्प्रूवमेंट्स के लिये नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट्स के लिये, इसमें दिया है: "Provided that all or any of the improvements referred to in sub-clause (a) of clause (19)" So improvements as defined in sub-clause (1) of clause (19)... ड्वेलिंग हाउस में ये आ जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी: कहां से १० माइल्स मानेंगे, जयपुर के सेंटर से ?

श्री दामोदरलाल व्यास: It is from Municipal limits. म्युनिसिपल लिमिट होती है वहां से। आज भी म्युनिसिपैलिटी के लिए ऐसा ही है।

श्री पी० के० चौधरी: That becomes about 12 miles.

श्री दामोदरलाल व्यास: Hon'ble Member is not conversant with the present law which applies to 10 miles area of Jaipur City, otherwise it should not have been discussed so much. मैं आप से अर्ज कर रहा हूं और इस बात की जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ कि जयपुर में १० मील के अन्दर की हद रखी है। यह जयपुर शहर के डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट को देखते हुए रखा है। हम जानते हैं कि शहर बढ़ेगा तो हमें आबादी लैन्ड में एग्रीकल्चरल लैन्ड को कनवर्ट करनी पड़ेगी। हम शहर के एक्सपेन्शन को नहीं रोक सकते, उसको बन्द नहीं कर सकते। मगर ऐसी हालत में ऐसा तो नहीं कर सकते की पहले से ही यह बात लेकर बैठ जावें।

श्री पी० के० चौधरी: कोई काश्तकार बापोतीदार तो नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास: There are different rules for allotment of land there are restrictions within 10 miles of Jaipur. इसलिए यह समझाने की बात नहीं है और जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया यह रेस्ट्रिक्शन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

दूसरी बात फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बापोतीदार की कही और ऐसा इन्टेन्शन लगाया that there will be wholesale ejectment, it is unintelligible to me at least. मेरे ख्याल से उनको इसमें गलत फ़हमी हो गई है इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन दिया है against ejectment.

श्री पी० के० चौधरी. अभी तक आपने कुछ नहीं किया है। बहुत दिनों से इस सम्बन्ध में मैं आपको कहता आ रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास: यह ठीक है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आप बहुत दिनों से बापोतीदार के लिए कह रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आपकी आज्ञायें और आपके ऑर्डर सभी तहसीलदार के पास पहुँच गये हैं और वे लोग कोई आपके ऑर्डर को मानते नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : If the Bapotidars or their tenants in Sambhar area have not been able to get redress of their grievances, it does not affect this amendment. This is quite, a different amendment. Therefore. there should be no apprehension in the mind of the Hon'ble Member that they will be ejected by the Bapotidars. Those who are in possession of land will be treated as khatedar tenants, and so far as this amendment is concerned, they are not affected.

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : तो क्या यह माना जावे कि रूरल एरिया में इसका कोई असर नहीं होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अमेंडमेन्ट है आप देख लें।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : आबादी में रेस्ट्रिक्शन आप कहीं लगादें लेकिन इसको इम्प्रूवमेंट का नाम मत लगाइये कि इम्प्रूवमेंट agricultural land should not be converted into Abadi land.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): It must be for agricultural purposes and it must not be for residential or other purposes.

श्री अध्यक्ष : यह बातें तो सिलेक्ट कमेटी में तय की जा सकतीं हैं और इसीलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं। इसके लिये ज्यादा बहस न होकर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी स्पष्टीकरण माननीय राजस्व मंत्रीजी ने किया कि शहर की सीमाओं में इस प्रकार का प्रतिबन्ध रहेगा और यह बताया गया है कि सुधार के रूप में उन्होंने यह किया है। यह तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह रखना चाहिये और प्रतिबन्ध लगना चाहिये। इससे आप क्या लाभ उठाना चाहते हैं अगर इसके लिये साफ बात होती तो ज्यादा ठीक रहता फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने साफ नहीं कहा। मैं यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल एरिया में जो छोटे छोटे गांव लगे हैं जैसे बीकानेर से दो तीन मील की दूरी पर छोटे छोटे गांव हैं जैसे शिवबाड़ी आदि हैं।

उन लोगों पर भी इस प्रकार का असर होगा तो आप यह चीज़ सोचें कि गांव के लोगों पर इसका असर नहीं होगा यह कैसे हो सकता है ? अवश्य होगा। हां, जो लोग शहर से दूर हैं उन पर असर नहीं हो सकता है और आस पास के गावों पर तो इसका अवश्य असर होगा। अगर कोई व्यक्ति शहर में डेरी फार्म खोलना चाहता है तो उसको हर बात के लिए गवर्नमेन्ट का गुलाम बने रहना पड़ता है और हर कार्य के लिए इज़ाजत लेनी होगी। मैं समझता हूँ कि इससे

(श्री मुरलीधर व्यास)

कोई विशेष लाभ नहीं है। ऐसी धारायें आपने जो रखी हैं मुझे तो किसी प्रकार अच्छी प्रकट नहीं होती।

दूसरी बात फौजी लोगों के लिए भी आपने रखी हैं। मैं मानता हूँ कि यह ठीक है, इसी प्रकार ट्रेसपासर के बारे में है और बेदखली के बारे में भी है। लेकिन जितनी भी बेदखलियें हुई हैं और उनको दूर करने के लिये कानून बनाये हुए हैं कि उनके फैसले तीन महीनों में नहीं हुए इससे उनको क्या राहत पहुंचती है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो फैसला करने का तरीका है वह गलत है और किसानों के साथ काम करने का तरीका है वह पुराना नौकरशाही का है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि न तो इसके लिए पहले प्रोविजन था और न अब है। तीन महीनों का लिमिटेशन है for filing of an application and that period is being extended to the advantage of the tenants. यह कहीं भी किसी जगह नहीं है कि केस तीन महीनों में डिसाइड हो जाए। ऐसा अब तक किसी कानून में कहीं नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : तीन महीनों का समय रखा है उसको बढ़ाया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि कलेक्टर के पास जिस समय इस प्रकार की शिकायत आए तो कलेक्टर को चाहिए कि स्पोट पर पहुंच कर देखे और किसानों से मिले व पंचायत के लोगों से मिले और पता लगाए कि कौन इसका असली हकदार है। इस प्रकार से मुकदमों को निपटाने की कोशिश करते तो बहुत से किसान बरबादी से बच जाते और उनको बहुत राहत मिलती। बहुत से किसान आज इन्साफ के लिए तड़पते हैं फिर भी बेदखली के मामलों में उनको इन्साफ नहीं मिल रहा है और वे बेदखल के बेदखल हैं। किसान कलेक्टरी में चक्कर खाता है और हैरान होता है। आपने कानून का जाल इस प्रकार बिछा रखा है कि वह किसी न किसी तरह अपने अधिकारों के लिए जाल में फंसा रहे। बेदखलियों को दूर करने के लिये जो कुछ हो रहा है वह मैं यह कहूँगा कि ना काफी है। आज जैसलमेर से, पोकरण से और दूसरे स्थानों से सैकड़ों दरख्वास्तें आई जिन पर किसानों के दस्तखत हैं। मेरे पास हैं जिसमें तहसीलदार ने, मिल कर जो जमीन जोतने थे उनके नाम पट्टे न करके दूसरों के नाम जमीन दर्ज करली और पट्टे दूसरों के नाम पर कर दिये जिसको वे लोग पैसा देते थे। नतीजा यह हुआ है कि सैकड़ों किसान बेदखल किये जा रहे हैं। सैकड़ों किसान जैसलमेर कलेक्टरी में आए थे और हमेशा चक्कर काटते रहते हैं। उनको चक्कर काटना पड़ता है। अगर स्थान पर जांच हो जाती है तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। सैकड़ों लोग गैरकानूनी बेदखलियां करते हैं। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि अगर इस प्रकार की एक भी अर्जी सरकार के पास आए तो सरकार को चाहिए कि स्पोट पर उसकी जांच करे और इससे बहुत जल्दी फैसला हो सकता है, जो सरकार को करना चाहिये। मैं एक दरख्वास्त जिसमें बहुत से किसानों के हस्ताक्षर हैं सदन के सामने रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : It is only about ejectment of trespassers. और कोई बात नहीं है । जो ट्रेसपोस करता है उसके लिए यह प्रोविज़न किया जा रहा है और उसकी लिमिटेशन बढ़ा रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि समय क्यों बढ़ाया गया है ? सरकार ने पहले से ही इस सम्बन्ध में....

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें साफ़ लिखा है कि तीन महीने में किसान बेखबर रहता है, टाइम खत्म हो जाता है then he loses his right on account of lapse of time. इसलिए सफ़िशियेन्ट लिमिटेशन देने के लिए बढ़ाया है । इसमें सरकारी कर्मचारी या लाल फ़ीताशाही नहीं है । हम देख रहे थे कि समय कम है और किसान को सहूलियत देने के लिए इस लिमिटेशन को बढ़ा रहे हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर :That is not for the tenants.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सिलेक्ट कमेटी में हैं और उनको बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन आपने जो क्रान्तिकारी कानून बनाया है उसको देखते हुए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस पर गहराई से सोचना चाहिये और विचार करके ही करना चाहिए ।

ट्रेसपासर्स के लिए तो मैं कहूँगा कि सरकारी कर्मचारी ही ट्रेसपासर्स बन गये हैं । गंगानगर और सूरतगढ़ में जाइये । सरकारी जितनी जमीन है ऐसे लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है, जमीन को ज़बरदस्ती जोत ली है, वे लोग उनसे लाभ उठा रहे हैं जहां कि सरकार को लाभ पहुंचाना चाहिये था, यदि सरकार नीलामी बोली लगाती तो सरकार को तीस हज़ार रुपया मिल सकता था । इस तरह से जुर्माना करने से तो और भी अधिक ट्रेसपासर्स होते जावेंगे । सरकारी कर्मचारी सरकारी जमीनों पर काम करेंगे और मनमाने तरीकों से लाभ उठावेंगे । यह जो व्यवस्था रखी गई है उससे मैं समझता हूँ कि इसके द्वारा मूलभूत जो समस्या है उसको हल नहीं किया जा सकेगा । यह कहा गया है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय तो मैं तो कहता हूं कि इन बातों पर पहले ही खयाल रखा जाना चाहिये था जबकि लैंड रिफोर्म्स किया है तो उससे किसानों को किस हद तक लाभ मिला है और नहीं मिला है तो क्या क्या दिक्कतें खड़ी हो गई हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है । इन सब बातों पर पहले ही विचार करना आवश्यक है । इस बुनियादी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए प्रस्ताव रखा है वह ठीक है और इस पर शीघ्र ही सिलेक्ट कमेटी का निर्णय होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

१. मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ।
२. श्री तेजाराम ।
३. श्री महादेवप्रसाद बंका ।
४. श्री आबिदअली ।
५. श्री गोपीसहाय ।

Page No.49

(श्री अध्यक्ष)

६. श्री सोहनलाल भटनागर ।
७. डॉ० चन्द्रकला ।
८. श्री गोवर्धनसिंह केन ।
६. श्री चुन्नीलाल ।
१०. श्री हजारीलाल ।
११. श्री दयाकृष्ण विजय ।
१२. श्री रामप्रसाद लड्ढा ।
१३. श्री रघुवीरसिंह ।
१३. श्री नरपतसिंह ।
१५. श्री मुरलीधर व्यास ।
१६. श्री मनरूप राम परिहार ।

श्री दामोदरलाल व्यास : दो बिल और हैं जिनकी अवधि १८ तक है इसलिए इसकी २० कर दी जाय । On 18 th there are already two Bills.

श्री अध्यक्ष : सलेक्ट कमेटी अपना प्रतिवेदन २० मई प्रस्तुत को करेगी ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इस बिल पर बोलना था, आप खड़े हो गये.......

श्री दामोदर लाल व्यास : Sir the Honble' Member's name may also be included in the list. He will contribute to this Bill.

श्री अध्यक्ष: इसके लिए खड़े हुए थे ।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा प्रस्ताव है कि उनका नाम इसमें और एड कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : जो उसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें, जो विरोध में हों 'ना' कहें ।

स्वीकृत

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया गया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि राजस्थान मेटरनिटी बेनिफ़िट (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मेटरनिटी बेनिफ़िट अमेंडमेन्ट बिल,१६५८ के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जावे ।

सबसे पहले सन् ५३ में हमारी सरकार ने एक विधेयक बनाया था और वह विधेयक अब लागू था लेकिन भारत सरकार ने आई० एल० ओ० की रिकमन्डेशन को ध्यान में रखते हुए एक स्तर बनाया । समान स्तर लागू हो उस पर मद्दे नज़र रखते हुए सन् ५३ का जो कानून था उसमें संशोधन करने की आवश्यकता सरकार को महसूस हुई है। इस संशोधित विधेयक को लाने के सम्बन्ध में मैं श्रम मंत्रीजी को बधाई देती हूँ उन श्रमिक महिलाओं की ओर से जिनको

(डॉ० चन्द्रकला)

राहत देने के लिए यह बिल लाया गया है।

हम सब जानते हैं कि हमारे यहां राजस्थान में महिला श्रमिकों की थोड़ी संख्या है। हमारे यहां केवल श्रमिक वर्ग की थोड़ी सी महिलायें जाकर फैक्टरियों में काम करती हैं जब कि दूसरे देशों की फेक्ट्रीज़ में बहुत सारी महिलायें काम करती हैं और कोई एक स्तर पर काम करती हैं। यहां भी हालात को देखते हुए सरकार ने अपनी दृष्टि में फेक्ट्रीज़ में काम करनेवाली महिलाओं को लिया है। किन्तु यह नहीं सोचा है कि धीरे २ समय बदलेगा, देश की आर्थिक हालत के कारण आगे जाकर हर एक महिला को उपार्जन के लिए कार्य करना पड़ेगा और ऐसा जमाना आनेवाला है। इसलिए जो कानून बनाना है वह दूर दृष्टि से बनाना है। जो कानून सन् ५३ में बना था वह छोटा सा कानून है और उसमें ६–७ धारायें हैं। अब उसकी ४, ५, ६ धाराओं में संशोधन किया जा रहा है।

जहां तक संशोधन का सवाल है मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जहां प्रसूति लाभ का सम्बन्ध है समय को बढ़ा कर छः सप्ताह का समय किया है। निश्चय ही दूसरे विभागों में जहां महिलायें काम करती हैं प्रसूति लाभ के लिए उनको छः सप्ताह का समय पहले और पीछे मिलता है। यही श्रमिक महिलाओं को भी दिया गया है, यह वस्तुतः अच्छी बात है। चूंकि यह मूल विधेयक का संशोधन है और उस संशोधन को हम लागू करने जा रहे हैं तो प्रवर समिति को देते समय, मैं इस बिल का विरोध किसी तरह नहीं करना चाहती हूँ और यह भी नहीं कहना चाहती हूं कि बहुत सारी कमियां हैं और उस दृष्टि से यह आना चाहिये था किन्तु एक विधेयक बना हुआ है और उसको ध्यान में से देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी कमियां हैं, उनके लिए संशोधन ला रहे हैं तो उन बातों का भी विचार कर लें कि जिससे यह संशोधन अच्छा बन जावेगा और उससे श्रमिक महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा।

जहां तक समय बढ़ाने का सवाल है, धारा ४ में जो बात कही गई है वह ठीक है लेकिन इसके मूल में एक शब्द है : No employer shall knowingly employ. तो यहां पर 'नॉइंगली' लिखा हुआ है, यह इतनी बचत का है कि एम्प्लोयर को बहुत सारी छूट दे सकता है और बहुत सारी बातें अनुचित हो सकती हैं उसके लिए जस्टीफिकेशन पैदा कर सकता है। इसलिए इस और भी ध्यान दें तो अच्छा है।

५ वीं धारा में संशोधन किया गया है वह संशोधन मेरी समझ में नहीं आया। चूंकि भारत सरकार की रिकमन्डेशन थी कि एक समान स्तर बनाया जाय और इसी दृष्टि से यह संशोधन लिया गया है। इसमें लिखा गया है "एवरेज डेली अरनिंग्स" के स्थान पर 7/12ths part of the average daily wage or 12 annas... इससे पहले यह था कि कोई महिला प्रसूति लाभ लेना चाहेगी और छुट्टी जावेगी तो एवरेज़ डेली वेज़ या बारह आना जो भी ज्यादा हो महिला को दिये जावेंगे। लेकिन जो संशोधन

(डॉ० चन्द्रकला)

अब आ रहा है ७।१२ का यह हमारी समझ में नहीं आया। इस प्रकार से कम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत सरकार ने रिकमन्ड किया है कि यह तो समानता लाने के लिये ऐसा करना पड़ा, मैं समझती हूँ इसमें भी दो दृष्टिकोण होते हैं जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं समानता लाने के दो दृष्टिकोण होते हैं, कोई अच्छा काम हो उसमें हम कमी कर दें तो इस तरह से भी समानता लाई जा सकती है। दूसरा किसी में लाभ हो और वह लाभ पहले मिलता हुआ हो उसमें कमी नहीं की जाकर उसमें बढ़ोतरी करके भी समानता लाई जा सकती है। यहां पर जो पहले मिलता था वह पूरे दिन की मज़दूरी मिलता थी, १२ आना जो ज्यादा होता वह मिलता। ७।१२ के हिसाब से दिन की मज़दूरी दी जायेगी तो वह उससे कम पड़ेगी। इस पर तो कम से कम आप विचार करें कि आखिर इस तरह की दर करने की आवश्यकता क्यों मालूम पड़ी?

इसके साथ साथ प्रसूति की बात भी कही गई। मिस केरेज़ के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि तीन सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। मुझे तो अफसोस होता है इस तरह की बातें करते समय महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य की बात को ध्यान में नहीं रखा जाता। मिस केरेज़ या अबोर्शन जो होता है यदि एडवान्स स्टेज़ में होता है तो मेरी राय में महिला श्रमिकों को वही सहूलियतें मिलनी चाहिये जो एक प्रसूति को मिलती है। यहां पर एक नियम बना दिया गया है कि तीन सप्ताह की छुट्टी मिलेगी। प्राइमरी स्टेज़ में तो यह ठीक हो सकता है लेकिन एडवान्स स्टेज़ में मिस केरेज़ जो होता है उसमें स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगी किया तो वे इस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर संशोधन करें लेकिन इसमें संशोधन अवश्य करें। इससे महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य का सम्बन्ध है क्योंकि हमारी महिलाओं का स्वास्थ्य प्रसूति पर निर्भर करता है। उस समय यदि देखभाल ठीक प्रकार से होती है तो स्वास्थ्य ज्यादा नहीं बिगड़ सकता। यहां जो प्रावधान है महिला समाज के लिए वह किसी प्रकार भी हितकर होनेवाला नहीं। इस पर सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अच्छा होगा इसको आप हटा दें, इसको न रक्खें, प्रसूति के लाभ के जो नियम हैं वे बाकयदा मिस केरेज़ पर भी लागू होने चाहिये।

आगे चल करके इस विधेयक में कहा गया है कि महिला श्रमिक अगर क्वालिफाइड हैल्थ विज़ीटर्स से या नर्स से मदद लेती है, उनकी सरविसेज़ लेती है तो उसको पांच रूपये का बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार से इस चीज़ को प्रोत्साहन देना ठीक है क्योंकि बहुत सी औरतें ऐसी दकियानुसी ख्याल की होती हैं कि वे अधिकतर आजकल के जो वर्तमान की सुविधायें या वैज्ञानिक उपचार हैं उनको काम में लेना पसन्द नहीं करती। इस प्रकार के प्रोत्साहन से वे आगे बढ़ सकती हैं, यह ठीक है। आगे चल कर कहा है अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दस रूपया उनको दे दिया जायेगा। वैसे तो सब फैक्टरीज़ के लिये यह अनिवार्य होना चाहिये। फैक्ट्रीज़ के जो मालिक हैं या जो सरकार की फैक्टरी है वहां महिला श्रमिकों के लिये सारा इन्तज़ाम होना चाहिये। उसके स्वास्थ्य

डॉ० चन्द्रकला)

की रक्षा, डिलीवरी का सारा का सारा इन्तज़ाम वहीं होना चाहिये । इसमें यह प्रावधान रखा हुआ है कि वे फैक्ट्रीवालों से दवा या ऐसी कोई सहायता नहीं लेंगे उन्हें दस रूपया सहायता के बतौर दिया जायेगा। हमको दस रूपया सहायता न रख कर यह कम्पलसरी कर देना चाहिये सब फैक्टरीवाले इस प्रकार का इन्तज़ाम करें तभी जाकर महिला श्रमिकों को फायदा हो सकता है। अगर कुछ रखना ही है तो दस रूपये से होता क्या है ? जिस तरह से प्रसूति पर खर्च करना पड़ता है, जितना खर्च करने की आवश्यकता होती है उसको देखते हुए यह दस रूपये का फाइनेन्स कोई अधिक बात नहीं है। इसके साथ साथ जो मुख्य बिल है उसमें लिखा हुआ है कि जो महिला-श्रमिक छुट्टी पर जाना चाहेगी उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर, वैद्य या हकीम से उसके लिये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा । कानून बनानेवालों ने जो यह प्रावधान रखा है वह क्या सोच विचार कर रखा है, यह मैं नहीं कह सकती जो उन्होंने महिला श्रमिकों के लिये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर, वैद्य या हकीम की बात कही है और उनसे सर्टिफिकेट चाहा है । क्या डिलीवरी के सम्बन्ध में सर्टिफिकेट मेडिकल डॉक्टर या वैद्य या हकीम दे सकता है ? होना तो यह चाहिये था कि किसी मिडवाइफ या लेडी हैल्थ विज़ीटर्स या दाई का सर्टिफिकेट देने पर ही उसको छुट्टी मिल जानी चाहिये। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है वे महिला डॉक्टर के सामने तो जा सकती हैं किन्तु किसी वैद्य या हकीम के पास जाना उनका मुश्किल है, आप इसमें लेडी डॉक्टर का प्रावधान रख सकते हैं, वैद्य और हकीम का सवाल ही नहीं आता। इनकी यहां रखने की ज़रूरत ही नहीं। आपको इसकी जगह लेडी हैल्थ विज़ीटर या मिडवाइफ या दाई का सर्टिफिकेट रखना चाहिये। अगर आप ऐसा नहीं रखते हैं तो इस बिल से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता।

कई बार हम यह देखते हैं कि हमारे श्रम मंत्री महोदय का रूख महिला समाज और महिला रोगियों के प्रति कुछ उपेक्षा पूर्ण रहता है। जब कि हम देखते हैं कि रेलवे में भी जनरल डिब्बों के साथ साथ महिलाओं के लिये अलग डिब्बा रखा जाता है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री महोदय इस बिल में दूसरी ही बात करते हैं। जनाना अस्पताल के बारे में हम कई बार कहते हैं उसके लिये जनाना अस्पताल एक एडीशनल चीज़ है लेकिन हम देखते हैं कि उस जनाना अस्पताल में डिस्पेन्सरी नहीं, औषधालय नहीं, चिकित्सा सम्बन्धी कोई सुविधा नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि वह जनाना अस्पताल है। महिला समाज के लिये, प्रसूति के लिये सर्टिफिकेट लाने के लिये आप वैद्य और हकीम को रखते हैं । जाने कहां से इस प्रकार के प्रोविज़न आ जाते हैं, मैं समझ नहीं पाई इसलिये इस पर अच्छी तरह से सोचने की ज़रूरत है। सोच विचार कर ऐसे संशोधन लायें जिनके कारण सरकार को यश मिले और श्रेय मिले और महिला अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों और उनको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले।

अन्त में चल कर पेनेल्टी क्लॉज़ रखा गया है उसमें जो भाषा काम में लाई गई है एक्सीडिंग ...

(डॉ० चन्द्रकला)

म० पू० १०. २८

(श्री निरंजननाथ, आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

और जगह तो नोट एक्सीडिंग होता है और इसमें एक्सीडिंग दस रूपया रखा है इससे कम तो करने की बात नहीं । महिला श्रमिक जो फायदा नहीं उठायेगी, कानून को नहीं मानेगी तो उस पर दस रूपया या इससे ज्यादा फाइन हो सकता है । इस पर नोट बढ़ना चाहिये, जो यह उल्टापन है उसको कम करना चाहिये । इन सब बातों को देखते हुए, यह हालां कि छोटा सा विधेयक है लेकिन इसमें बहुत ध्यान से देखने का है । जिस विधेयक को ले करके संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसमें हम यह देखें इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत सोचने की आवश्यकता है । इसमें मसिला श्रमिकों का सवाल है और आनेवाले ज़माने में हम देखेंगे कि महिला श्रमिक अधिक से अधिक कार्यक्षेत्र में आनेवाली हैं वैसी हालत में कार्यक्षेत्र में आयेगी, मातृत्व का जिम्मा भी साथ में रहनेवाला है । इसके साथ साथ जो हमारी महिला श्रमिकों की स्थिति है, श्रमिक वर्ग की महिलायें दोहरी ड्यूटी देती है । उपार्जन के क्षेत्र में वह उतना ही काम करती हैं जितना कि पुरुष करते हैं । उसके साथ साथ उनको घर गृहस्थी का भार, अपने कुटुम्ब की सुख, सुविधा, भोजन इत्यादि का सब का इन्तज़ाम करना पड़ता है । उसके साथ साथ मातृत्व का उत्तरदायित्व भी वह सम्भालती हैं । सरकार को चाहिये कि वह इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक सुविधा दें । जहां तक उपार्जन का सवाल है उसमें किसी तरह की कन्सेशन की आवश्यकता नहीं । श्रम का उतना ही पारिश्रमिक मिले जितना उसको मिलना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हो सकती । लेकिन जहां तक मातृत्व के निभाने का सवाल है उसको निभाने के लिये उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की आवश्यकता है वहां हमारी सरकार को उदारतापूर्वक सोचना चाहिये । इसी दृष्टिकोण से यह बिल लाया गया है, भारत सरकार की रिकमन्डेशन पर ही इसको समान स्तर पर लाने का प्रयत्न किया गया है, यह सुन्दर बात है । इस उद्देश्य को अच्छी तरह पूरा कर सकें, महिला समाज को अधिक से अधिक राहत दे सकें, इन बातों को सोचते हुए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय । यह विधेयक महिला श्रमिकों के सम्बन्ध में है अतः इस वजह से भी यह ज्यादा विचारणीय है, इसको जल्दी ही पास करना है तो इसको एक दो बैठकों में ही विचार करके प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित होकर आ सकता है और पास किया जा सकता है । इसी उद्देश्य से ही मैंने प्रस्ताव रखा है । आशा है माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री दयाकृष्णविजय (छबड़ा) : माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा है....

(लाउड स्पीकर के आवाज़ करने पर)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह जनसंघ का विरोध हो रहा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैं इस आधार पर इसका समर्थन करता हूं कि जो दलीलें माननीय

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सदस्या द्वारा पेश की गई हैं उनमें आपके कुछ अनुभव का भी आधार हो सकता है। महिलाओं की समस्याओं को पुरुष कम समझते हैं। माननीय सदस्या ने कहा कि उनको जो सुविधाएं नहीं मिली हैं, वे मिलनी चाहिये। इस आधार पर मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और साथ ही यह कहूँगा कि इस प्रवर समिति में महिलाओं को ही रखा जावे ताकि उनके अनुभव का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाय।

श्री चन्दनमल वैद : आपको भी अनुभव कराया जाय।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय : मेरे बजाय श्री चन्दनमलजी वेद को रख दिया जाय। इसमें मुझे को ऐतराज नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें एवरेज़ जो रखा है ७।१२ का यह न्यायोचित नहीं है। जैसी माननीय सदस्या ने शंका प्रकट की कि केन्द्रीय एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार के सभी कानूनों में समानता लाने के प्रयास में उनका वेतन स्तर कम किया जा रहा है यह न्यायोचित नहीं है। अगर राजस्थान में एवरेज़ इन्कम अधिक दी जाती है इससे तो वह दी जाती रहनी चाहिये। आज राजस्थान महिला श्रमिक में वैसे ही उत्साह कम है। और प्रदेशों में और दक्षिण की तरफ महिला श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है और उद्योग धन्धे भी काफी हैं। राजस्थान में यह स्थिति नहीं है, न यहां अधिक उद्योग धन्धे ही हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें काफी उदारता के साथ नियम बनाने चाहिये। इन सभी बातों पर सलेक्ट कमेटी में ज्यादा अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजा जाना उचित ही है।

दूसरी बात छुट्टियों का जो प्रावधान रखा गया है उस पर उन्होंने शख्त आपत्ति की है। मैं भी आपत्ति करूंगा। जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया जावे वह महिला-वैद्य द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिये। ये सब जगह उपलब्ध न हो, जहां महिला-वैद्य उपलब्ध न हो वहां ऐसा प्रावधान रखा जा सकता है पर जहां प्राप्त हैं, वहां प्राथमिकता उन्ही को दी जानी चाहिये।

तो मैं फिर इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और वैसे यह बिल छोटा सा भी है जल्दी विचार किया जा सकता है। इससे उनकी कठिनाइयों पर गहराई से विचार किया जा सकेगा और ऐसा होने से महिला श्रमिकों को उत्साह और बल मिलेगा। प्रवर समिति में उक्त सुझावों पर भी विचार किया जावे तो अच्छा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स में कहा गया है कि उन लोगों की जो कन्वेन्शन हैं, रिकमन्डेशन हैं उसमें मैटेरनिटी बेनिफिट का जो स्टेन्डर्ड ले डाउन किया है उसको सेन्टर के और दूसरी स्टेटों के एट पार

(श्री पी० के० चौधरी)

लाने के लिये इस विधेयक को रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों की रिकमन्डेशन थी करीब १६३० में रिकमन्डेशन की थी और इसके ऊपर से हिन्दुस्तान के करीब २ सब जगह पर जो आज के एग्ज़िस्टिंग प्रोविज़न्स मैटरनिटी के हैं वे १६३० से हैं।

अब सवाल यह हो गया है कि जो बिल लाया गया है हम तो उसको इस दृष्टि से देखना चाहते हैं कि जो इस बिल में एग्ज़िस्टिंग कन्डीशन्स हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट होते हैं या नहीं, एग्ज़िस्टिंग बेनिफिट से ज्यादा बेनिफिट इससे मिलता है या नहीं, तो यह कन्सीडरेशन के लायक है, नहीं तो नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय,जो एग्ज़िस्टिंग एक्ट है उसमें जहां पर चैक लाना चाहिये था इस नये एक्ट से, वहां वह चैक तो लाये नहीं उल्टे जो बेनिफिट पहलेवाले में था उसे और कम ही किया है। इसमें हम सबसे पहले क्लॉज़ ३ को देखते हैं। जहां मैटरनिटी बेनिफिट का वेजेज़ है उसमें एग्जिस्टिंग एक्ट में ८ वीक का है। वहां इसमें ७।१२ रखा है। चार वीक पहले और चार वीक चाइल्ड-बर्थ के बाद में का प्रोविज़न था। अब इसमें छःवीक पहले और छःवीक बाद में किया है। पहले ८ वीक का वेजेज़ का बेनिफिट मिलता था। आज वैसे छुट्टी १२ वीक की देते हैं पर वेजेज़ केवल ७।१२ का देते हैं। इसका सिम्पल मैथेमेटिकल कैलकुलेशन से कम्यूट करेंगे तो ७ वीक का कम्यूटेड वेजेज़ होता है। अब इसमें एक वीक का वेजेज़ कम मिलेगा। पहले ८ वीक का मिलता था। तो १२ वीक की छुट्टी तो ठीक है पर टोटल इमोल्यूमेंट जो है वह ८ के बदले ७ ही वीक का मिलेगा।

दूसरी बात इसमें पैनेल्टी भी रखी है। १२ वीक्स से पहले कोई ड्यूटी रिज्यूम नहीं कर सकती। तो इसके कॉन्सीक्वेन्सेज़ क्या होंगे ? रेस्ट से पैसे को वे ज्यादा समझते हैं। एक फीमेल वर्कर डेली वेजेज़ पर निर्भर करती है। उसके पास अर्निंग अगर नहीं रहेगी तो ऑटोमैटिक्ली टेन्डेन्सी रहेगी कि जल्दी से ड्यूटी रिज्यूम कर सके। बाद में तो आप रिज्यूम करने नहीं देंगे। और उधर ८ वीक के बजाय ७ वीक का आप वेजेज़ देंगे तो दूसरा काम क्या करेंगी, जिसका कि नोटिस देने का आपने प्रोविज़न रखा है। उसमें जाकर ४२० होगी। क्या करेंगी ? छः हफ्ते पहले नोटिसन हीं देगी। नोटिस देगी महीने पन्द्रह दिन पहले जब उससे ड्रैग नहीं किया जा सकेगा तब नोटिस देगी। तो नतीजा यह होगा कि फुल बेनिफिट लेने के लिये ज्यादा दिन नहीं लेगी और शॉर्टर नोटिस देगी और रेस्ट जो मिलेगा वह १२ वीक का नहीं होगा आप तजुर्बा करके भी देख सकेंगे।

तो आज जिसको प्रोग्रेसिव मेज़र मान कर ला रहे हैं उससे हम दूर चले जाते हैं। एक तो आज जो उसको टोटल इमॉल्यूमेन्ट मिलता है उससे उसको कम मिलेगा और १२ हफ्ते का उसको रेस्ट देंगे then she will try to avoid remaining on leave for 12 weeks. That is human nature. Economic necessity will driven her to do it. तो उसका नतीज़ा क्या होगा कि चाइल्ड

(श्री पी० के० चौधरी)

बर्थ के बाद ६ हफ्ते से पहले किसी तरह उसको आप रिज्यूम नहीं करने देंगे, 'देयर इज़ प्रोविज़न फॉर इट', तो क्या करेंगे कि ६ हफ्ते पहले जो चाइल्ड बर्थ की छुट्टी पर जाने का था 'शी विल रिड्यूस दैट पीरियड'। जब वह नोटिस देती है प्रेगनेन्सी का कि मैं फलां तारीख से छुट्टी पर जाऊंगी तो इसका रिकाग्निशन तब होता है जब कि वह वूमेन वर्कर नोटिस देती है। इसलिए जब वह नोटिस देगी तो वह १५ दिन पहले नोटिस देगी तो you cannot take any action against her. She will say that she mis-calculated the time. मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया। तो वहां पर जाकर आप पैनल क्लॉज़ नहीं लगा सकते नोटिस के लिए। तो आपकी जो मन्शा है उस वूमेन वर्कर को रेस्ट देने की वह आपकी मन्शा पूरी नहीं होती। तो इसको मैं प्रोग्रेसिव नहीं मानता हूं।

दूसरी बात आपने कही है कि आई० एल० ओ० की सिफारिश के मुताबिक इसको लिया है। उनकी सिफारिश १२ वीक की थी। तो एक रॉयल कमीशन ऑन लेबर, १६२६ में अपाइन्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें भी सिफ़ारिश की थी कि उसको मिनिमम इमॉलुमेन्ट्स देने चाहिए और उसको एवरेज़ डेली वेज़ होनी चाहिए और इससे उसको कम्पन्सेशन नहीं मिलना चाहिए। यह सन् १६२६ की रिकमन्डेशन थी। उसके बाद में जाकर गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने लेबर इन्वेस्टीगेशन कमेटी अपोइन्ट की थी। यह लेबर इनवेस्टीगेशन कमेटी किस साल में अपोइन्ट हुई थी यह तो याद नहीं है वह १६४० के आसपास अपोइन्ट की थी। तो उस लेबर इन्वेस्टीगेशन कमेटी ने यह सिफ़ारिश की थी कि एवरेज़ डेली वेज उसको मिलनी चाहिये। तो आज से बीस पच्चीस साल पहले समझ लीजिए जो गवर्नमेंट कमेटीज़ और कमीशन्स थे उनकी जो रिकमन्डेशन्स थीं उससे आज हमारा स्टैप कोई रिट्रोगेट नहीं होना चाहिए। यह जो पहले कमेटीज़ थीं उनका आउट लुक २५ साल पहले का ज्यादा प्रोग्रेसिव था। It is more inclined on the side of the labourers. उस समय लेबरर्स के इतने साइड में नहीं थे Their sympathy for them was not so much as we have today, or atleast we claim to have today. आज हम ज्यादा सिम्पेथी क्लेम करते हैं, सोशियेलिस्टिक पेटर्न की बात करते हैं और सोशियेलिज्म को हमने एक्सैप्ट किया है, कॉन्स्टीट्यूशन वगैरह के अन्दर भी। तो जो बीस पच्चीस साल पहले की सिफ़ारिश थी उसके समान भी हम नहीं जाते। जो रॉयल कमीशन था 'विच वाज़ अपोइन्टेड बाई दी इम्पीरियल गवर्नमेन्ट' उसकी सिफ़ारिश थी उतना लिबरल भी आज हम नहीं हो सके It was appointed by the Imperial Government. यह आज १२ वीक्स का रेस्ट देना चाहिए और एवरेज डेली वेज़ उसको मिलनी चाहिए।

दूसरी बात उसमें नोटिस पीरियड की है। पहले ७ महीने का था। आज आपने नोटिस पीरियड में यह लिखा है कि: She should be in the employment atleast between 35 and 40 weeks before the week in which the confinement takes place or in which notice of pregnancy is given before confinement under sub-section (1) of section 6 whichever is more advantageous to her..." याने ७ महीने से उसको लेबर

(श्री पी० के० चोधरी)

मिलता था, यह कन्डीशन थी । फीमेल लेबर है जिस तारीख से कनफ़ाइनमेन्ट होता है यानि नोटिस देती है उससे ७ महीने पहले वह इम्प्लॉयमेन्ट में है 'देन शी इज एन्टाइ-टल्ड टू दिस बेनीफिट'। आज हमने क्या किया है कि ३५ वीक की जगह ४० वीक कर दिया है । वह उस एम्प्लायर के यहां नौकरी पर ३५ से ४० हफ्ते पहले नौकरी पर होनी चाहिए तो उसको यह बेनिफ़िट मिलेगा । तो लगभग यह आता है ६ से १० महीने का पीरियड । मतलब उसका कन्सेप्शन जिस दिन हुआ, उसके आगे पीछे का आपने पीरियड रख दिया । पूरे ६ महीने का जो पीरियड होता है उसका नहीं । पहले यह था कि प्रेगनेन्सी के बाद भी अगर कोई वूमेन एम्प्लॉयमेन्ट में होती है तो भी उसको कम्प-न्सेशन मिलने का राइट का । पर जो आपने यह ३५ से ४० वीक कर दिया तो इसका मतलब यह है कि कन्सेप्शन से पहले अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो ही उसको यह बेनिफ़िट होगा । तो यह ज्यादा एडवर्स रहता है । आपका जो ड्राफ्टमैन है या जो कानून विभाग है उसने ३५, ४० वीक का प्राविज़न क्यों रखा है उसका भी मुझे साइकोलॉजिकली एप्रोच मिला है । मुझे महसूस होता है कि उन्होंने, यह एम्प्लॉइज़ स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट में से इसको उठा लिया है । उस एम्प्लॉइज़ स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट में यह है कि कोई वूमेन, फीमेल लेबर है she will be entitled to maternity benefit if she has paid her contribution atleast once between the 35 th and 40 th week before the confinement. उपाध्यक्ष महोदय, जो एम्प्लाइज़ स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट है जैसे कन्ट्री-ब्यूटरी प्रोविज़न है यानि एम्प्लाइज़ को कन्ट्रीब्यूट करना है और उसमें गवर्नमेन्ट को कन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और एम्प्लॉयर को करना पड़ता है और यह तीनों के कन्ट्रीब्यूशन से चलता है । सिर्फ उनको मेटरनिटी का बेनिफिट मिलता हो यह नहीं है उसको और भी दूसरे बेनिफ़िट मिलते हैं । उसको सिक लीव बेनिफ़िट मिलता है और कई बातें उसके अन्दर मिलती हैं । उस एक्ट में यह प्रोविज़न नहीं है कि ३५ से ४० वीक पहले एम्पलॉ-यमेन्ट में रहे । उसमें प्रावीज़न यह है कि : she must have paid one contribution. अब वह कितना लिबरली लेते हैं । सरकारी कन्ट्रीब्यूशन से फॉर दी हॉल पीरियड कन्ट्री-ब्यूशन मिलेगा it will be out of her contineous contribution, Goverment's contineous contribution and employ-ee's contineous contribution. लेकिन वहां कंटीन्यूअल कन्ट्रीब्यूशन की जगह एन्टाइटलमेन्ट के लिए कंट्रीब्यूशन रखा है only one contribution betbeen the 35 th and 40th week तो उनको आप यहां पर लागू कर देते हैं तो वह फेयर नहीं होता है । इसके अलावा ऐसा भी होता है कि किसी ने नोकरी ३५ से ४० वीक के पहले कर ली और बीच में छोड़ कर चली जाये सपोज़ शी वाज़ ए कैजुअल लेबरर उसने कन्सेप्शन का पहले नोटिस दे दिया और फिर चार महीने काम नहीं किया and then she gets confined, then she will be entitled. अब उसमें जहां लीगल कन्डीशन थी that benefit which she was to get out of her contineous contribution. जिसमें खुद का कन्ट्रीब्यूशन शरीक है उसमें सिर्फ एक ही कन्ट्रीब्यूशन ६ महीने में होता है । ६ और १० महीने के बीच में १ वीक

(श्री पी० के० चौधरी)

का एक कन्ट्रीब्यूशन देने से वह एन्टाइटल हो जाती है। अब उस प्रोविज़न को यहां पर रख दिया है तो ठीक नहीं होता है। मुझे मालूम है कि जिन्होंने यह बिल ड्राफ्ट किया है उन्होंने स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट को अपने सामने रख कर इसको ड्राफ्ट किया है। because that was a benefit she was to get out of her contineous contribution. आपने १० महीने का कन्टीन्यूअल कन्ट्रीब्यूशन की जगह पर एक ही कन्ट्रीब्यूशन रखा है provides she has paid only one contribution between the 9th and 10 th month. वह रखा था तो क्या मतलब था ? That was much more liberal. जब वह कन्डीशन रखी गई है कि जितने भी सीज़नल वर्कर्स यानि जो केजुअल लेबरर्स हैं, हालांकि केजुअल लेबर्स की कन्डीशन यह है कि दूसरी जगह पर एम्प्लॉयड नहीं हो employment in the same factory or in the same place. अब यह सारे के सारे इसमें से डिप्राइव्ड हो जायेंगे। आपकी इस क्लॉज़ से तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो ओरीजिनल क्लॉज़ थी सेवन मन्थ्स की that was much more congenial to them rather than this clause. इसलिये आपका जो एमेंडमेंट है वह न तो प्रोग्रेसिव हुआ है और न वह आगे जाकर उनके हक में हुआ। मैं उसको उनके हक में नहीं मानता हूं।

दूसरी बात, आपने जो एक और क्लॉज़ रखी है वह भी बड़ी ऐसी है। गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने हैल्थ इन्श्योरेन्स स्कीम, स्टेट, इन्श्योरेन्स स्कीम लेने से पहले एक कमेटी एपॉइन्ट की थी आई०एल०ओ० के मातहत, उन्होंने सारे हिन्दुस्तान के लेबर को एक्ज़ामिन किया था और एक परटीनेन्ट मामला बताया था कि जो मेटरनिटी बेनिफिट का स्टेट गवर्नमेन्ट ने प्रोविज़न किया है। प्रेगनेन्सी का पता लग सकता है काफी जल्दी ही। किसी की शक्ल सूरत से मालूम हो जाता है जब कि एक वूमेन प्रेगनेट हो जाती है। आंख नाक से समझा जाता है कि वह प्रेगनेन्ट है कि नहीं। दूसरी चेन्जेज़ इन दी फ़ीगर नज़र नहीं आती। इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। एम्प्लॉयर को मालूम हो जाता है। यह एक परसिस्टेन्ट कम्प्लेन्ट अगेन्स्ट दिस एक्ट कि स्टेट्स एक्ट्स में प्रेगनेन्सी के पीरियड में डिसमिसल के अगेन्स्ट में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पहले के एक्ट में ड्यूरिंग दी प्रेगनेन्सी पीरियड में डिसमिसिल के सम्बन्ध में जो पुराना प्रोविज़न था वह यह था कि इन सबक्लॉज़ (३), वह एक्स्ट्रेक्ट में दिया हुआ है, और सेक्शन ५ में कि बिना नोटिस के डिसमिसल किया जायेगा। "No notice of dismissal given without sufficient cause by any employer to a woman within the period of pergnancy shall have the effect of depriving her of maternity benefit" ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ प्रेगनेन्सी ६ महीने का आता है। आपने जो यह प्रोविजन लिया है an employer shall not dismiss a woman if a notice is given. नोटिस तो नहीं आयेगा। वह देगी महीने दो महीने पहले से जब से कि उसको जाना है। मैंने कहा कि आपने आधार कर दिया तो एक ६ दिन का नोटिस देगी, ६ हफ़्ते का नोटिस नहीं देगी। अब वह प्रोटेक्शन जो रहता है तो नोटिस देने के बाद प्रोटेक्शन रहता है। उसके पहले वह डिसचार्ज कर सकता है। अभी का जो एक्ज़िस्टिंग एक्ट है उसके खिलाफ़ भी गवर्नमेंन्ट

(श्री पी० के० चौधरी)

ऑफ इंडिया की कितनी कमेटीज़ थी सारी की सारी ने, सिर्फ आपके राजस्थान के एक्ट के लिये ही नहीं, सारी स्टेट्स के लिए जनरल रिमार्क रहा है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है अगेन्स्ट दी डिस्मिसल। उसका प्रोटेक्शन इतना ही रखा है कि विदआउट सफ़िशियेन्ट कॉज़ वह नहीं कर सकता है और सफ़िशियेन्ट कॉज़ बताना एम्प्लॉयर के लिए आसान होता है। अगर वह दो दिन के लिए एब्सेन्ट रहती है तो वह सफ़िशियेन्ट कॉज़ माना जायेगा। उसको हार्ड वर्क दे दिया और काम नहीं हुआ तो वह माना जायेगा। किसी तरह से भी एक एम्प्लॉयर चाहे तो एक एम्प्लाई को किसी तरह से भी डिस्मिस कर सकता है। वह सफ़िशियेन्ट कॉज़ का आपका जो प्रोटेक्शन था कि सफ़िशियेन्ट कॉज़ होगा तब डिस्मिस करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे,वह प्रोटेक्शन डिस्मिसल के अगेन्स्ट में नहीं दिया है। प्रोटेक्शन इतना ही था कि वह डिस्मिसल कर दें तो मेटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। But there was no ban against dismissal. डिस्मिसल से बान नहीं किया था। यहां डिस्मिसल से बान कर रहे हैं लेकिन जब नोटिस दे दिया तो वह नोटिस ६ हफ्ते पहले देगी तो आपने प्रोविज़न कर दिया कि during the entire pregnancy period, once a woman has conceived उसके बाद में किसी तरह से डिस्मिसल नहीं होना चाहिये। डिस्मिसल होता है if it is brought to the notice and if it is established by the Medical Authorities, then she must be reinstated. यह प्रोविज़न होना चाहिए था। इसके ऊपर सारी जो लेबर एक्सपर्ट्स की कमेटी आपने एपोइन्ट की उसकी सिफ़रिश थी। आगे जाकर यह पता नहीं यह सब क्लॉज़ (३) में नया सब्स्टीट्यूशन लाते हैं वह ज्यादा रिट्रोग्रेट हो गया है और उससे उनको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आपका क्लॉज़ ऐसा आना चाहिए था कि उसको स्टेट प्रोटेक्शन देती If at all you can bring an amendment, then bring an amendment so that dismissal during pregnancy will be prohibited.

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून बना रहे हैं यह कानून गवर्नमेंट सरविसेज़ जो हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। गवर्नमेंट सरविसेज़ पर हो तो गवर्नमेंट रूल बना देती है और लिबरल व्यू लेती है। लोकल बोडीज़ की सरविसेज़ हैं उसके लिए लिबरल रूल बना देती है। अच्छे फर्म्स होते हैं उसके स्टेन्डिंग ऑर्डर होते हैं। वहां पर स्ट्रोन्ग लेबर यूनियन रहती है वह वहां अच्छे कानून व एग्रीमेंट बना लेती है, लेकिन जो लेबर डे टू डे होता है, कोई माइका माइन्स में काम करता है, कई मशीनों पर काम करते हैं where the labourers are not organised उनके लिए इन सारी कन्डीशन्स की ज़रूरत है इसलिए conditions which you make, they should be rigid and always they should be in the favour of employees. तो इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बिल का जो प्रोविज़न है वह बाकी में जाकर फ़ायदा नहीं होता है। मैं तो समझता हूँ कि एक्जिस्टिंग बिल से ज्यादा फ़ायदा पहुँचता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मैंने जो एमेंडमेंट पेश किये हैं वे सारे के सारे मंत्री महोदय एक्सेप्ट कर लें तो मैं समझता हूं कि यह बिल ठीक ढंग का हो जायेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि

(श्री पी० के० चौधरी)

इसको सलेक्ट कमेटी में लाकर रिवाइज्ड करना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में दर्ज है कि यह आई० एल० ओ०के कन्वेन्शन के मुताबिक है और कन्वेन्शन को क्रियान्वित करने के लिये यह बिल यहां लाया गया है। भारत सरकार की ओर से एक कमेटी एपॉइन्ट की गई थी। उन्होंने एक मोडल बिल ड्राफ्ट करके सब स्टेट के पास भेजा था कॉमेन्ट के लिए। उसके बाद बिल को फ़ाइनेलाइज़ करके कुछ रिकमन्डेशन्स भेजी हैं। उनके मुताबिक इस बिल में एमेंडमेंट लाकर यह एमेंडमेंट यहां रखा गया है।

सबसे ज्यादा आपत्ति की बात जो माननीय सदस्य ने बतलाई वह ७।१२ के डेली एवरेज के लिए जो प्रोविज़न है उसके सम्बन्ध में। मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करूंगा कि ७।१२ का जहां पर एमेंडमेंट आयेगा उसकी बात हम दुबारा करेंगे। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो मोडल एक्ट था उसमें ७।१२ या १२ आने पर-डे है और उसके साथ केरल में भी जो अभी लेजिस्लेशन पास हुआ नई गवर्नमेंट के आने के बाद वहां पर भी ७।१२ या १२ आने पर-डे रखा है। मैं समझता हूँ कि आई० एल० ओ० के जो कन्वेन्शन्स हैं वे मोडल एक्ट में............

श्री पी० के० चौधरी : आई० एल० ओ० एवरेज वेजेज़ का है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस तरह से सबसे पहली आपत्ति यह है कि एवरेज डेली अर्निंग्स रखी जाय बजाय ७।१२ के तो अगर कोई एमेंडमेंट आयेगा तो उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं समझता हूं कि इतनी बात कहने के बाद जो बाकी के प्रोविज़न हैं उनको जैसे हैं वैसे ही पास कर लें। माननीय सदस्य इसको विड्रा कर लेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव, प्रवर समिति में विधेयक को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मेटरनिटी बेनिफ़िट एमेंडमेंट बिल, १९५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा अमेंन्डमेंड है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ स्वीकार की गई ।

क्लॉज ३

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३, पार्ट ए में मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह इस प्रकार है In clause 3, sub-clause (1) delete part (a). मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि ७ न करके एवरेज डेली वेजेज रहना चाहिये । इसके लिये आर्गुमेन्ट मैंने पहले दिये हैं। I don't want to repeat those words. मैं मानता हूं मन्त्रीजी इसको मंजूर करेंगे ।

दूसरा क्लॉज ३ के पार्ट (सी) में मेरा अमेन्डमेन्ट है : In clause 3. sub clause (1) part (c) replace the words "between thirty five and forty by the words "ten weeks" ३५ और ४० वीक्स था उसके बजाय १० वीक्स रिप्लेस करने का मेरा अमेन्डमेन्ट है। इसके संबन्ध में मैं अपने आर्गुमेन्ट्स पहले दे चुका हूं।

फिर सब-क्लॉज (३) में जो नया सब क्लॉज है उसमें Add the word 'not' between 'shall' and 'have'. वह जो क्लॉज है उसमें यह है : "An employer shall not dismiss a woman once a notice of pregnancy has been given except for gross misconduct, and such dismissal shall have the effect of depriving her of maternity benefit." इसके बाद में सेन्टेन्स है वह बडा डेन्जरस है : "such dismissal shall have the effect of depriving her of maternity benefit."

इसमें प्रोवाइड यह किया है कि मिस-कंडक्ट के सिवाय और किसी कारण से हटा नहीं सकेंगे और मिस कंडक्ट के कारण हटायेंगे तो मेटरनिटी का बेनिफ़िट उठाने का हक उसको नहीं मिलेगा। उसमें यह रखा है : "And such dismissal shall-after that I insert not- shall not have the effect of depriving her of maternity benefit." यह मान लीजिये कि सी को मिस कंडक्ट के नाम से टरमीनेट करते हैं तो भी उसको मेटरनिटी बेनिफ़िट मिलेगा। सी विल

११.५ म० पू०

(श्री मनोहर कोठारी, सभापति, पदासीन)

इसमें यह दे दिया है कि डिसमिसेल के अगेन्स्ट में प्रोविजन नहीं है और मान लीजिये ऐसी इन्सटान्स होती हैं कि किसी कारण से हाज़िरी पर लेट आती है, प्रेगनेन्सी के टाइम पर सुबह चक्कर वगैरा आते रहते हैं तो नेचुरली सी विल कम लेट। ऐसे मामले में भी मिस कंडक्ट कह कर उसको हटा देते है। मेटरनिटी का बेनिफ़िट देने से बचने के लिये तो अब जो यह प्रोविजन रखदेते हैं : shall not be deprived. कंपलसरी बेनिफ़िट रख देते हैं तो चाहे मिस कंडक्ट के कारण ही रिमूव किया हो तो भी उसे मेटरनिटी बेनिफ़िट मिल जायेगा तो इसकोएवोइड करने के लिये जो डिसमिसल होंगे वे रुक जायेंगे to avoid or to pay। जो डिस्मिसल होगे not to due to actual misconduct इसके लिये जो डिसमिसल होंगे वे सारे रुक जायेंगे । जो अमेन्डमेन्ट रखा है : They will not be deprived. और मैं मानता हूं कि यह बड़ा रीज़नएबल अमेन्डमेन्ट है इस लिये मन्त्रीजी इसको भी मंजूर करेंगे ।

श्री सभापति : डॉ चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, विधेयक की क्लॉज ३ के संबंध में मेरे कई एक संशोधन प्रस्ताव हैं। पहला संशोधन मेरा उप-खण्ड (ए) में है : 5 (1) (a): for the words' average daily earnings'the words 'seven-twelveth of the average daily wage' shall be substitued इसको हटा देने के संबंध में है जिसके बारे में मन्त्रीजी अभी स्वीकार कर चुके हैं ऐसा मैं मानती हूं।

इसके बाद दूसरा संशोधन उपधारा (३) में है और वह इस तरह से जैसा कि अभी फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य (श्री पी.के. चौधरी) ने रखा है उसमें मैंने यह चाहा है: An employer shall not dismiss a woman once a notice of pregnancy has been given यहां तक तो इसे रखा जाय और बाकी सब हटा दिया जाय। एक्सेप्ट फोर ग्रॉस मिस कंडक्ट। मिस कंडक्ट शब्द ऐसा है जिसका बहुत कुछ दुरूपयोग हो सकता है । जैसा मैंने पहले भी कहा था शायद सभी उससे सहमत होंगे महिला श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाय। मैं सोचती हूं कि इस बारे में मन्त्री-जी को संशोधन स्वीकार करना चाहिये और जो भावना है उसको देखते हुए ऐसा रहना चाहिये जिससे महिला श्रमिकों को किसी प्रकार से कठिनाई या दिक्कत न हो।

मेरा तीसरा संशोधन उप खण्ड (४) में है वह उपधारा ४ इस प्रकार है : "A medical bonus of ten rupees shall be payable to woman worker on maternity leave if no pro-natal, confinement or post-natalcare is provided by the employer free of charge" पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की धारा की कतई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हरेक एम्पलोयर की यह ड्यूटी होनी चाहिये कि जहां हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं वहां पर महिलाओं के लिये हर प्रकार की केयर होनी चाहिये, यह महिला श्रमिक पर छोड़ना चाहिये कि वह उसका उपयोग करती है या नहीं। यदि वह किसी कारण उसका उपयोग नहीं करती है तो उसको १० रु० का बोनस देने का प्रावधान रखा है। मेरा संशोधन यह है कि १० रु. की रकम कम है, उसके बजाय २५ रुपये होने चाहिये। पहली बात तो यह है कि सारी सुविधा हो और यदि वह फ़ायदा नहीं उठाती है तो महिला श्रमिक को आर्थिक सहायता के लिये उसे रुपये दिये जायेंगे और यह भी महिला की चोयस पर होना चाहिये या तो वह वहां पर जो सहूलियतें उपलब्ध हैं उनका उपयोग करे या २५ रु० लेकर अपनी व्यवस्था खुद करे। जैसी कि इस बिल की भावना है अधिक से अधिक एड प्रसूति के समय उसे मिले, अधिक से अधिक मिले इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा है और मैं आशा करती हूं कि मेरे संशोधनों को और फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य के संशोधन को ध्यान में रखते हुए संशोधन स्वीकार करेंगे और इससे भी अधिक ख़्याल आप श्रमिक महिलाओं का रखेंगे।

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन, जो संशोधन फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखा और जो संशोधन अभी रखे गये हैं मैं उनके स्पोर्ट में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य फुलेरा से आये हैं उन्होंने यह रखा है कि उनको जो एवरेज टोटल वेजेज़ के बाद आर्थिक सहायता कन्फ़ाइनमेन्ट के टाइम पर मिलनी चाहिये वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण

(श्री श्रीभानसिंह)

संशोधन है क्योंकि हम यह देखें कि जिस टाइम पर कन्फाइनमेन्ट होता है तब जो अगर हम आर्थिक सीक्योरिटी या इकोनोमिक सीक्योरिटी उस समय उनको न दें तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो पीरियड ऑफ कन्फ़ाइनमेन्ट है या नोटिस देने का समय है उस समय को कम किया जायेगा इसलिये कि वेजेज जो हैं या जो कुछ सहायता मिलती है उससे ज्यादा दें और जब इस कानून को हम बनाते हैं और इस कानून की अवहेलना करने के लिये साधन बना लेते हैं तो जो बेनिफ़िट हम देना चाहते हैं वह मिलेगा नहीं। प्रेगनेन्सी के टाइम पर मैं यह जरूरी समझता हूं कि जितनी भी आर्थिक सहायता ज्यादा से ज्यादा दी जाय वह अच्छी होगी। क्योंकि आज कल हम हर तरह से जो प्राइस लेबल है, उसको देखें तो हमको मालूम पड़ेगा कि जो प्रेगनेन्सी के टाइम पर जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है उनकी प्राइस काफ़ी है और यह भी कहा जाय कि बियोन्ड केपेसिटी है और कम से कम जो केजुअल लेबर्स हैं, ऑर्डिनेरी लेबरर हैं, जिनके लिए कहा जा सकता है कि वे अफोर्ड नहीं कर सकती। जब अफोर्ड नहीं कर सकती और जब हम चाहते हैं कि जो लेबरर हैं, जो चाइल्ड हो, बर्थ जो हो, वह हेल्दी चाइल्ड हो तो उसके लिए हमको पूरे साधन देने पड़ेंगे जिससे कि जो चीजे हैं जिन चीजों की जरूरत है वे जरुरतें अपनी पूरी कर सकें। इसलिए आर्थिक सिक्योरिटी, इकोनोमिक सिक्योरिटी हो जब प्रेगनेन्सी के टाइम पर वर्क नहीं कर सकें, तब यह बहुत जरूरी है कि आर्थिक सिक्योरिटी दें और यह तभी दे सकते हैं जब वेजेज़ का ज्यादा एवरेज रखें। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका पीरियेड़ कम कर दिया, वेजेज़ कर दी, तो दिनों को देखते हुए यदि आंकड़े फैलायें तो यह नतीजा आता है कि वेजेज़ कम मिलती हैं। तो वेजेज़ जितनी बढ़ सकें, जैसी कि उनकी मन्शा है, यह संशोधन एक्सेप्ट करना चाहिए।

दूसरा मिस कन्डक्ट डिलीट करने का रखा है। उससे यह रखा है कि मिस कन्डक्ट की वजह से मेटरनिटी बेनिफ़िट से उन्हें डिप्राइव न किया जाय। इसके लिए मैं कहूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है, वह इसलिए कि अब्बल तो हम मिस कन्डक्ट की परिभाषा कर नहीं सकते और करने की भी हम कोशिश करें तो ऐसा जनरल इन्टरप्रिटेशन होगा जिसकी वजह से अगर एम्प्लायर चाहे तो चाहे जिस तरह के व्यवहार को, अप्रोच को, एक्शन को मिस कन्डक्ड में लेकर उसे डिसमिस कर सकता है। उदाहरण के रूप में मैं सदन के सामने रखूं कि मिस कन्डक्ट के कॉन्सीक्यूएन्सेज़ होते हैं, उनके लिए यह कहूं कि ह्यूमन फैलिटी ह्यूमन इनफॉरमिनिटी की वजह से किसी तरह से यह बर्डन यह कॉन्सीक्यूएन्स, प्रेगनेन्सी होती है तो मैं नहीं समझता हूं कि क्यों उसे मेटरनिटी बेनिफ़िट से डिप्राइव किया जाय? मैं नहीं समझता क्यों उसे डिसमिस किया जाय? आखिर यदि कोई बिना शादी किये वर्क करती है, डेली वेजेज़ करने के लिए और ह्यूमन फैलिटी, ह्यूमन वीकनेस से किसी तरह से Suppose there is a love affair with a worker. जो प्रेगनेन्सी कॉन्सीक्यूएन्स होता है तो उसको क्यों डिप्राइव किया जाय? हम आज के युग में देखें तो एक...

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : लव अफेयर्स के लिये डिप्राइव कर रहे हैं क्या?

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) : खड़े होकर कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : लव अफेयर्स के लिए भी रखा है?

श्री श्रीभानसिंह : मैं समझता हूं कि लव अफेयर्स की वजह से प्रेगनेन्सी होती है और एम्प्लॉयर मिस कन्डक्ट की वज़ह से डिप्राइव करेंगे। मैं इसे मिस कन्डक्ट नहीं समझता, यह तो लव का राइट है She could marry a man whom she likes. The ccnsequences are the same and why should she be deprived of the maternity benefit ? There is no logic. I mean the consequences of the Act is a pregnancy and a child. And therefore why a lady should be deprived of that ? मिस कन्डक्ट तो इस तरह से it is such a general term. जनरल टर्म की वजह यह है कि ह्यूमन फैलिटी ह्यूमन वीकनेस के कारण यह बर्डन है, यह कॉन्सीक्यूएन्स है It is a human fality. उसको सेफ़ गार्ड करने के लिए है। तो मिस कन्डक्ट को जहां तक यह इन्टरप्रिटेशन किया जाय कि इन-एफ़ीसियेन्ट वर्किंग है, तो मान सकते हैं। अगर अफीसियेन्ट वर्किंग की कमी है तो उसको हटाया जाय Why the child or the girl should suffer ? जब मिस कन्डक्ट इस तरह का हो तो मेटरनिटी बेनिफ़िट देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मेटरनिटी बेनिफिट क्यों न दिया जाय। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन यह एक तरह ऑबवियस है और जो सोसाइटी आज हमारी है और जो सरकम्सटान्सेज़ है, एन्वायरमेंट हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। मैं निवेदन करूं कि आज जो डेस्टीट्यूस होती हैं, वे केजूअल वर्कर, लेडी वर्कर होती हैं। वह वर्क कर रही है, अपना होम एस्टेब्लिश करें, उसमें यह कॉन्सीक्यूएन्सेज हो जाय तो उसके लिए कहें कि इसे मेटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मिस कन्डक्ट की परिभाषा स्पेसिफिक हो कि अगर इनएफ़ीसियेन्ट वर्किंग होगा तो उसको मिस कन्डक्ट के अन्दर लेंगे लेकिन अगर मिस कन्डक्ट को मानते हैं मेटरनिटी से, प्रेगनेन्सी से तो भी लेबर और चाइल्ड है उसको मिस कन्डक्ट से रेक्टीफाई करने के लिए, लीगेलाइज़ करने के लिए मेटरनिटी बेनिफ़िट देना पड़ेगा, उसको आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। तो जो संशोधन रखा है, मिस कन्डक्ट के आगे 'नोट' एड करने का, उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। आर्थिक सहायता उनको दी जाय। मेटरनिटी बेनिफ़िट के सिद्धान्त को यदि हम स्वीकार करते हैं तो उसके जो कॉन्सीक्यूएन्स हैं, उसको आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये जो कि और दूसरी प्रेगनेन्ट लेडी को उस टाइम में मिलती है। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह बहुत प्रोग्रेसिव और महत्वपूर्ण स्टेप है, इसको ऐक्सेप्ट किया जाय।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसमे मुझे इस बात का जरूर आश्चर्य हुआ कि जो मेटरनिटी बेनिफ़िट

Page No.65

(श्री मुरलीधर व्यास)

देना है, यह एक लीगल राइट है और जिसको हम मान्य करते हैं कि यह बेनिफ़िट उसको मिलना चाहिये। उसके बाद में यदि मिस कन्डक्ट के नाम से या किसी तरह रोंगफुली तरीके से डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि इस तरह उसको मेटरनिटी बेनिफ़िट मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसके सम्बन्ध में कि चाहे कुछ भी हो जो मेटरनिटी बेनिफ़िट का लाभ है, जहां पर कोई भी महिला, किसी भी स्थान में काम करती है उसको यह हक यूं ही मिल चुका है और इसके साथ इस प्रकार का प्रावधान रखें अगर वह रोंगफुल्ली, गलत तरीके से उसको हटाने का प्रावधान रख दिया गया तो मालिक कोशिश करेंगे कि कोई न कोई रास्ता निकाला जाय क्योंकि उन्हें पैसा देना पड़ता है। पैसा देने की हालत में, ऐसी परिस्थिति में, किसी न किसी तरह का चार्ज लगा कर उसे हटाने की कोशिश करेगा। वह चार्ज लगा कर उसको हटाने की कोशिश उस समय करे जिस समय उसको पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिये वह बहुत भारी पड़ेगा। दूसरे वह व्यक्ति ऐसे टाइम पर किसी न किसी प्रकार, क्योंकि उसकी जेब से पैसा जाता है, चार्ज लगा सकता है। मैं मानता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए कि मेटरनिटी बेनिफिट हर हालत में देना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का चार्ज लगा कर उसे डिसमिस भी करना चाहे। कार्य करते समय जब इस प्रकार डिलीवरी का मौका आता है तो हर हालत में, जब उसे यह बेनिफ़िट लेने का अधिकार है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए और मेटरनिटी बेनिफ़िट मिलना चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : गण पूर्ति का अभाव है।

श्री पी. के. चौधरी : I wanted to make an amendment to one of my previous amendments.

(गण पूरक घंटी)

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी : सभापति महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट क्लॉज़ ३ (सी). में था १० वीक्स की जगह में ४० डेज़ रखना चाहता हूं, instead 10 works 40 days रखना चाहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री): चैयरमैन महोदय, जो अमेंडमेंट मूव किये गये हैं उनमें से फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पहला अमेंडमेंट रखा है, क्लॉज़ ३ सब क्लॉज़ १ ७/१२ ऑफ दी एवरेज डेली वेज में, उसको स्वीकार करता हूँ। दूसरा उन्होंने रखा है १० वीक्स की जगह ४० डेज़ रखा है, उसको स्वीकार करता हूं। इसमें यह है कि डिसमिशल के बाद भी मेटरनिटी बेनिफ़िट मिलना चाहिए। साथ ही एक अमेंडमेंट जयपुर से आनेवाली माननीय सदस्या ने भी रखा है, उसके लिए अर्ज करूंगा कि मौजूदा प्राविजन है कि विथ सफीसियेन्ट कॉज, सफ़ीसियेन्ट कॉज़ लिखा हुआ है। इसमें अमेंडमेंट लाया गया है कि हटाने का राइट तब होगा जब ग्रॉस मिस कन्डक्ट होगा और वह भी उसने

Page No.66

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नोटिस दे दिया है उसके बाद मैं समझता हूं पहले का प्रोविजन है उसमें सफिसियेंट कॉज है। वह हटा देते हैं तो वह मिलता है पर ग्रोस मिस्कन्डक्ट हो तब हटाया जा सकेगा। ग्रोस मिस्कन्डक्ट की वजह से उसकी डिस्मिसल हो गया है तो भी उसको बेनिफिट मिलेगा, यह तो नहीं हो सकता। ग्रोस मिस्कन्डक्ट का रखना चाहिए और यह होना चाहिए कि किसी तरह इसका मिस्यूज न हो पर ग्रोस मिस्कन्डक्ट में हटा दिया है तो मेटरनिटी बेनिफिट मिल जावे, यह बात उपयुक्त नहीं है। डिस्मिसल हो तो फिर किसी तरह के बेनिफिट की हकदार नहीं होती।

तो जो दो अमेंडमेंटस हैं वे तो स्वीकार करता हूँ पर इस अमेंडमेंट के बारे में मैं कहूंगा कि इसको वापिस ले लें। जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या (डॉ॰ चन्द्रकला) ने जो अमेंडमेंट रखी है उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे उसे वापिस ले लें।

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment to sub clause 3 of clause 3.

श्री सभापति (श्री मनोहर कोठारी) : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने क्लॉज ३, सब क्लॉज ३ के लिये प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी॰ के॰ चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ तीन के सब क्लॉज़ १, २ और ३ में जो अमेंडमेंट श्री पी. के. चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव डॉ॰ चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ एज़ अमेंडेड पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ३ स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ और ५ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ और ५ स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रियेम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रियेम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह कि राजस्थान मेटरनिटी अमेंडमेंट बिल, १६५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक स्वीकृत किया गया।

राजस्थान पंचायत (संशोधन)

विधेयक, १६५६

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेअरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत अमेंडमेंट बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक, १६५६ का विरोध करता हूं। क्योंकि इसमें बलवन्तराय मेहता कमेटी की आड़ लेकर इस प्रकार की बातें रखी हैं जो अप्रजातान्त्रिक हैं। मूल एक्ट में हमने प्रावधान रखा था कि यदि किसी पंचायत का किन्हीं कारणों से समय पर चुनाव नहीं हो सके तो उस पंचायत की राज्य सरकार एक साल तक अवधि बढ़ा सकती है। नगरपालिका विधेयक में भी हमने अधिक से अधिक एक साल की अवधि बढ़ाने का प्रावधान रखा है पर आज राजस्थान सरकार ने मांग की है कि पंचायतों की दो साल की अवधि बढ़ाने का अधिकार सरकार को दिया जाय। पंचायतों की तीन साल की कुल अवधि होती है। दो साल की अवधि और बढ़ा दी तो आगे से भी ज्यादा अवधि और बढ़ा दी जायेगी। इस प्रकार का प्रावधान राजस्थान सरकार ने इसमें रखा है जो अप्रजातान्त्रिक है।

अब प्रश्न आता है कि क्या इस प्रकार की अवस्था आ सकती है? बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पांच हज़ार की संख्या की पंचायतें हैं उनकी संख्या को तोड़ कर कम करना चाहते हैं। यह तो दो, तीन महीने का काम है। इसके अलावा और क्या काम हो सकता है? ७ गांव बड़ी से बड़ी पंचायतों में होते हैं उनमें से चार गांव एक तरफ और तीन गांव एक तरफ करके गजट में नोटिफिकेशन निकाल दिया जाय और एक महीने की ऐतराजात सुनने की अवधि रख दी जाय। इतना ही तो काम है। नगरपालिकाओं का तो वोटर लिस्ट वगैरह का इतना झगड़ा रहता है फिर भी वहां तो एक साल का रखा है तो पंचायतों में इस प्रकार की अवधि बढ़ाना अनुचित है।

सीकर ज़िले का मुझे अनुभव है अवधि से ज्यादा समय हो गया कि जिनकी ५ हजार की आबादी है उनके ६ महीने से ज्यादा अर्सा बीत गया पर अभी तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं। अगर राजस्थान सरकार की ओर से ढिलाई नहीं बरती जाती तो माना जा सकता है कि राज्य सरकार अपनी ओर से ढिलाई नहीं कर रही है, इस लम्बे प्रोसेस में दो साल लगेंगे पर ६ महीने में सारा काम हो सकता है। अगर राजस्थान सरकार या सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करना चाहें तो, बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों को लागू करनेवाला विधेयक आगामी सत्र में प्रस्तुत होगा। पंचायतें,

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तहसील परिषदें और ज़िला परिषदें बनेंगी, डेढ साल तक चुनाव रुके रहेंगे और उस स्थान की पंचायत परिषदों में कौन प्रतिनिधि जायेंगे ? बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफ़ारिशों के आधार पर चार सरपंच चुने जायेंगे और आगामी दो साल तक अभी जो काम कर रहे हैं वे ही काम करते रहेंगे। दो, डेढ़ हज़ार की पंचायतें हैं वे एक प्रतिनिधि भेजेंगी और १० हज़ार की हैं उनको भी एक प्रतिनिधि भेजना पड़ेगा । तो इस प्रकार के प्रोविजन रखने से जो अधिकार मिलना चाहिये वह भी नहीं मिलेगा। यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार गलत होगा, आप इस प्रकार का अधिकार नहीं दे सकते। अगर आप यहां पर देते हैं तो पंचायतों के मूलभूत कानून के अधिकार समाप्त होने चाहिये। इसलिए इस प्रकार का विधान रखना गलत है। मैं यही कहूंगा कि माननीय मन्त्री इसको सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए ही रखना चाहते हैं। अतः मैं इसका विरोध करता हूं और आपके द्वारा, सभापति महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि इसे अस्वीकार किया जाये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति, यह जो पंचायत विधेयक है इसमें पांच धाराएं हैं और इस पर सदन विचार कर रहा है। मैं समझता हूं कि इसको जो नाम दिया गया है : ऑफिसर इन्चार्ज ऑफ पंचायत : मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायत के अधिकारी हो उनका नाम क्या हो ? मैं समझता हूं कि हम इस विभाग को जन जीवन और ग्रामीण जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यदि आपका मतलब इससे उस व्यक्ति से हो जो राजस्थान के पंचायतों का होगा तो उसका नाम आपने रखा है ऑफिसर इन्चार्ज। आपको किसी भी विभाग में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि इस प्रकार से ऑफिसर इन्चार्ज नाम रखा हो । न तो वह डाइरेक्टर है न चीफ पंचायत ऑफिसर है। हम तो यह चाहते हैं कि डाइरेक्टर और पंचायत ऑफिसर खत्म कर दिए जावें। मैं समझता हूं कि यह पंचायत विभाग के विपत्त में है। यह ठीक है कि इसको डेवेलपमेंट के साथ विलीनीकरण कर दिया जावे मगर यह नाम अजीब सा नाम होगा । इसलिए इस पर विचार करना आवश्यक है।

दूसरा संशोधन सरकार लाई है वह है कि एक साल के स्थान पर दो साल रखना चाहिये। एक पंचायत तीन साल के लिए चुनी। गई वह अवधि उसकी समाप्त हो गई अतः उनका उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने की पॉवर समाप्त हो गई। आपने एक साल और उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकार दे दिया और अब एक साल और बढ़ाने की बात करते हैं । मैं समझता हूं कि यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ जाना है। यदि हम एक व्यक्ति का चुनाव ५ साल के लिए करें तो इसका मतलब यही होता है कि उसको जनता ने ५ साल के लिए अपना विश्वास दिया है। अब आप यह कह सकते हैं कि हमें पंचायतों में परिवर्तन करना है और हम परिवर्तन करने जा रहे हैं इसलिए हमें मध्यकालीन व्यवस्था करनी है और इसलिए हम चाहते हैं। हमारी राज्य विधानसभा है आप किसी कारण यह प्रस्ताव करें

(डॉ० बहादुरसिंह)

कि ५ साल के बजाय ७ साल कर दें क्योंकि आपके हाथ में है ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर विधान सभा में संशोधन होगा तो होगा।

डॉ० बहादुरसिंह : पार्लियामेंट में हो सकता है। सभी विधान सभा कर सकती हैं लेकिन यह मतदाता की मंशा नहीं है कि आप उसकी अवधि बढ़ाते रहें। आपको एक साल का अधिकार दिया गया वह इसलिए कि आप अपनी व्यवस्था करें। यदि आपने अपनी व्यवस्था को नहीं की, जिस पंचायत को जो अयोग्य हो चुकी है और जो अपना लोगों में विश्वास खो चुकी है उसको कानून के द्वारा जनता पर आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं होगा अतः इसमें दो वर्ष की मियाद बढ़ाने की बात है वह अनुपयुक्त है। इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। या तो माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा वर्ना जनता खिलाफत करेगी।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन मेरे ऐतराजों पर माननीय मंत्री विचार करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, पंचायत एमेन्डमेंट बिल जिसमें बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों को क्रियान्वित करके व्यापक जनता के ढांचे को निर्माण करने की आवश्यकता है यह त महत्वपूर्ण बात है और इस बात को महत्व देना ही चाहिये। लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद यही है कि जनतांत्रिक ढांचा निर्माण हो और जो संशोधन लाया गया है वह किस प्रकार का है यह देखने की चीज है। आया वे संशोधन डेमोक्रेसी के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं या डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों की रक्षा नहीं करते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत जाते हैं? आज कोई भी सरकार जिसके हाथ में अधिकार हैं और अपने अधिकारों के बल पर किसी भी चुनाव की अवधि समाप्त होने पर, आकर यह कहे कि एक, दो महीनों के लिए चुनावों की अवधि बढा दी जावे तो उसको माना जा सकता है कि यह बात उचित है, सरकार को प्रबन्ध करने के लिए समय चाहिये। लेकिन जहां तीन वर्ष की सीमा निर्धारित हो वहां पर चार और पांच वर्ष करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करनेवाली सरकार अपने आपको जनतांत्रिक सरकार नहीं कह सकती। यह इस प्रकार का संशोधन और इस प्रकार की बात है कि जो लोग डेमोक्रेसी में विश्वास करनेवाले हैं इसको कतई अच्छा नहीं मानते और वे लोग यही कहेंगे कि ऐसा सोचनेवाले लोग हमारी डेमोक्रेसी को खतरा बना सकते हैं। यह संशोधन इस प्रकार का रखा है, मैं समझता हूं कि इसका असर जनता पर क्या होगा। अगर आप जनता को यह बताते कि दो वर्ष की अवधि बढाने से यह लाभ मिल जावेगा तो यह बात मान लीजाए और ठीक भी हो। लेकिन आप इससे क्या लाभ है वह तो नहीं बताते इसलिए आप ठीक समय पर चुनाव करावें। आप सोचेंगे कि पंचायतों के चुनावों की अवधि पूरी हो गई और आप साल, डेढ साल बाद उसका ढांचा बदल रहे

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं तो आप एक बार चुनाव करा लें बाद में ढ़ांचा बदल सकते हैं। परन्तु आप जिन स्थानों पर चुनाव होना चाहिये वह रोक कर अवधि बढ़ा दें तो यह कोई अच्छा तरीका डेमोक्रेसी का नहीं है । इससे आपको कुछ लोगों में तनाव है यह तो मालूम हुआ ही होगा वह भी समाप्त हो जाएगा और डेमोक्रेसी की भी रक्षा होगी। आज पंचायतों में हम देखते हैं कि वहां पर आपस में कई प्रकार के मतभेद हैं और कुछ लोगों ने जिन्हें तीन वर्ष के लिए पंचायत में कार्य करने के लिए भेजा था या जिनको अधिकार मिला उस अधिकार को लेकर जिन्होंने मनमाने तरीके से अत्याचार किए और लोगों को तंग किया, अब लोग यह चाहते हैं कि उन लोगों को जिन्होंने काफी अत्याचार किया है बदल दिया जावे । मगर आप फिर उनको मौका दे रहे हैं कि वे पंच बने रहें और उसी प्रकार से उन पर अत्याचार करते रहें । जो लोग इसी आशा में तीन साल तक बैठे रहे और पंचों के जुल्मों को सहते रहे, वह इसी आशा में कि समय समाप्त होने पर ये पंच के पद से हट जावेंगे क्योंकि उनके पास चुपचाप जुल्मों को सहने के अलावा और कोई तरीका नहीं था, अतः वे चुप रहे। इसके बाद आप दो वर्ष की अवधि और बढ़ा देते हैं तो इससे क्या लाभ होगा ? उन लोगों पर इसका बहुत बुरा असर होगा। इसलिए इससे लाभ आप बता देते तो सबको उसका अध्ययन हो जाता कि यह एक अच्छी चीज है, कोई बात नहीं। मगर सिर्फ यह कह देना कि कोई बात नहीं है; सिर्फ इतनी सी बात को लेकर दो वर्ष की मियाद बढ़ाना मैं समझता हूं कि बिल्कुल अनुपयुक्त है और कतई ठीक नहीं है और हमारे देश के जनतान्त्रिक सिद्धान्तों के जिन पर हमारा काम चलता है उसके खिलाफ है। हमारे जनतन्त्र की बुनियाद पंचायतों को ही माना गया है और उसके पीरियड को इस तरह से बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप उन बुनियादी सिद्धान्तों पर प्रहार करेंगे और इससे यही नतीजा होगा कि आम लोगों का विश्वास हटेगा । इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूं कि आप आज इतने डेमोक्रेटिक वे में थिंक करते हैं आपको चाहिये था कि इसके लिए आप रीजन्स बताते कि इससे यह लाभ होगा। अगर इससे कोई लाभ नहीं बताते हैं तो फिर आप समय की अवधि क्यों बढ़ाते हैं ?

अगर आपको बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्माण करना है तो चुनाव करवा लें और बाद में जो ढांचा कायम करना चाहते हैं वह कर लेवें लेकिन समय बढ़ाने के लिए तो मैं विरोध करता हूँ। मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर गंभीरता से विचार करें।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक जिस पर इस सदन में विचार हो रहा है, हालांकि इसमें केवल पांच ही धारायें हैं लेकिन इस विधेयक का असर राजस्थान की ग्राम पंचायतों पर, तहसील पंचायतों पर पड़ेगा। सभापतिजी, इसमें एक तो पहला संशोधन यह है कि इतने दिन जिस पंचायत अधिकारी को सी० पी० ओ० के नाम से पुकारते थे या डाइरेक्टर के नाम से पुकारते थे उसका नाम बदल दिया गया और अब

(श्री गिरधारीलाल)

ऑफ़िसर इन्चार्ज ऑफ़ पंचायत्स, उस अधिकारी के लिए यह शब्द प्रयोग में लाना चाहते हैं। जहां तक इस शब्द का महत्व है, पहले आप सी० पी० ओ० शब्द प्रयोग में लाये और दिमाग में ठीक नहीं जंचा तो डाइरेक्टर शब्द प्रयोग में लाये और फिर कहते हैं, जिस डाइरेक्टर शब्द को डेढ़ महीने पहले प्रयोग में लाये थे, अब दूसरा शब्द उसके स्थान पर काम में लावेंगे। मेरी यह समझ में नहीं आता कि या तो लॉ डिपार्टमेन्ट ने नाम चुनने में गलती की है या अब गलती कर रहा है। इसमें क्या रहस्य है ? कभी सी०पी० ओ०, कभी डाइरेक्टर और अब ऑफ़िसर इन्चार्ज ऑफ़ पंचायत्स, डाइरेक्टर से गिराना चाहते हैं। बार बार नाम बदला जाय तो यह उचित भी नहीं कहा जा सकता है। कोई उचित नाम प्रयोग में लाइये और उसी नाम से पुकारा जाना चाहिये।

दूसरी इसमें धारा यह है कि पंचायतों की अवधि दो साल के लिए बढ़ाने की मांग की है। माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये। सभापतिजी, मेहता कमेटी की रिपोर्ट बहुत समय पहले, आज से करीबन, मैं भूलता तो नही हूं, इस पर पिछले सेशन में विचार हुआ था और हाऊस की ये व्यूज थीं कि इस प्रकार की पंचायतें हैं जो वर्तमान समय में चल रही हैं उनमें परिवर्तन होना चाहिये और मेहता कमेटी ने जैसा सजेशन दिया था वैसे ही राजस्थान में पंचायतों का निर्माण होना चाहिये। आज दस महीने हो गये सरकार ने आज तक क्या किया ? इसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, सरकार आज तक कानून नहीं बना सकी। यह निश्चय नहीं कर पाई कि किस तरह से मेहता कमेटी की सिफ़ारिशों को इस प्रान्त में लागू करें ? आपके दिमाग में तो केवल मोटा सा प्लान है कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे लेकिन कैसे करेंगे आज निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। निश्चित धारणा इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक नहीं बताई। आठ, दस महीने हो गये, हाऊस से राय लेली और उस पर निर्णय नहीं लिया यह सरकार के अधिकारियों की अयोग्यता का प्रमाण है। आज दिन तक कोई निश्चित प्लान नहीं है और आप आगे इस समय में निश्चित नहीं कर सकते इसलिये टाइम बढ़ाना चाहते हैं। इस जनतन्त्रीय प्रणाली में इस प्रकार यह स्पष्ट अयोग्यता का प्रमाण है, सरकार और सरकारी अधिकारियों की अयोग्यता का प्रमाण है।

दूसरा यह है कि कुछ जिलों में ग्राम पंचायत और तहसील पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं और अब मेहता कमेटी के अनुसार चुनाव कर वायेंगे तो छः महीने पहले चुनाव हुए थे उनको क्यों नहीं रोका ? रोक देना चाहिये था और प्लान बना कर कानून के रूप में हाऊस में पेश करते और उसको राजस्थान में लागू करते। आपने ऐसा नहीं किया। आपका कार्य इतना ढीला है कि आपने इसके लिए दो साल का समय रखा है। इसको दो साल के लिए और बढ़ाना चाहेंगे जब हाऊस मीट करेगा क्योंकि आपका कार्य और आपके अफ़सरों का कार्य ऐसा रहा है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जनतन्त्र की इस प्रणाली में सरकार के हाथ में पावर्स देते हैं, स्थानीय संस्था के चुनाव की तारीख को बढ़ाना चाहे तो सरकार बढ़ा सकती है, दो साल कर रहे हैं, चार साल और पांच साल भी कर सकते हैं। कल

(श्री गिरधारीलाल)

आवश्यकता होगी तो एक साल और बढ़ा सकते हैं, जो सरकार एक साल के लिए बढ़ा सकती है वह पांच साल के लिए भी बढ़ा सकती है, लेकिन उसको जनतन्त्र प्रणाली में उचित नहीं कहा जा सकता है। वोटर्स के साथ जिन्होंने एक अर्से के लिए चुना है, (उनके साथ) न्याय नहीं करते हैं। टाइम बढ़ाने की बात कही है। क्यों और किसलिए बढ़ाना चाहते हैं ? यह तो कमजोरी आपकी है और जिसका दंड राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं। राजस्थान की जनता ने पंचायतों के, म्यूनिसिपैलिटियों के चुनाव हुए उनमें अपने प्रतिनिधियों को भेजा। दो, ढ़ाई साल हो गये हैं मेम्बरों को चुने हुए। आज जनता के प्रति उनका जो कर्तव्य था उसका वे पूर्ण निर्वाह नहीं करते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि दो साल का पीरियड उनको और दिया जाय। यह कोई उचित तरीका नहीं है कि इस तरह से मियाद बढ़ा दें। सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है उसका जनतन्त्र में विश्वास करनेवाले माननीय सदस्य अवश्य ही विरोध करेंगे और सरकार को भी यह परेशानी में डालेगा। मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि इसी प्रकार उनका दिमाग काम करता है तो आगे जाकर एक साल का समय और भी आपको बढ़ाना पड़ेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति, जो बिल राजस्थान पंचायत अमेन्डमेंट बिल, १६५८ हमारे सामने है मैं समझता हूं इस बिल के लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसमें दो बातें रखी हैं जो इतनी एम्बीगुअस हैं, इतनी पल्टी हैं कि वे एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। राजस्थान सरकार ने सी. पी. ओ. का नाम रखा, सी. पी. ओ. स्वयं ने अपने आपको डाइरेक्टर लिखना शुरू कर दिया। डिविजनल पंचायत ऑफ़िसर को छोड़ दिया है, ऐसी परिस्थिति है और कई एक बात उन्होंने रखी है वह आश्चर्य की है। मुझे आशा थी कि सरकार खुद ऐसा करेगी लेकिन सी. पी.ओ. ने डाइरेक्टर पंचायत अपने आपको लिखना शुरू कर दिया, अमेंडमेंट ७४ में लावेंगे, सी. पी. ओ. लिखा हुआ है वहां डाइरेक्टर पंचायत होगा। ऑफ़िसर इन्चार्ज ऐसी एम्बीगुअस टर्म्स में है कि जो सब के लिए काम में ली जावेगी officer-incharge of the panchayats includes officers subordinate to him. जो सबोर्डिनेट ऑफिसर्स हैं वे भी वही कहलावेंगे जो कि उनका अफ़सर कहलाता है। सी. पी. ओ. है उसमें रखा है : officer-in-charge of panchayats... यहां वहां पर सी. पी. ओ. लिखा है 'ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पंचायत्स होगा। पंचायतों के जो अधिकारी हैं वे पंचायत अधिकार कहलावेगे और वह ही शब्द उनके सबोर्डिनेट के लिए भी काम में लावेंगे। दोनों ही उल्टी बातें हैं। क्लॉज़ दो और पांच दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं तो इस बात को समझ नहीं सका। सी. पी. ओ. के लिए लिखते हैं कि ऑफ़िसर इन्चार्ज और उसमें कहा है : For the words 'Chief Panchayat Officer' wherever occuring, the words 'officer-in-charge of Panchayats' shallbe substituted. सी. पी. ओ. को ऑफ़िसर-इन-चार्ज ऑफ पंचायत्स कहना चाहिये और सबोर्डिनेट्स हैं उनको भी इसी में इन्क्ल्यूड करना चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सारे पद हैं उनके लिये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसका प्रयोग किया जावेगा। अभी अभी तो चीफ़ पंचायत ऑफ़िसर ने डाइरेक्टर ऑफ पंचायत के नाम से काम शुरू किया। इस बारे में एक प्रश्न भी रखा था कि चीफ पंचायत ऑफिसर ने जो डाइरेक्टर ऑफ पंचायत लिखना शुरू कर दिया है तो क्या मूल एक्ट में इस प्रकार का संशोधन कर दिया गया है। उसका उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम इस प्रकार संशोधन ला रहे हैं। लेकिन जब तक यह संशोधन नहीं आता तब तक डाइरेक्टर ऑफ पंचायत जो लिखते हैं, उनके द्वारा जितने भी खतो कितावत इस पद के जरिये किये गये हैं वे सब इल्लीगल हो जाते हैं। जो जांच भी उनके द्वारा कराई होगी वह भी नहीं मानी जायेगी। इसके अनुसार उसे डाइरेक्टर ऑफ पंचायत न कह कर उसको ऑफ़िसर इनचार्ज पंचायत कहना चाहते हैं। इस हिसाब से डाइरेक्टर ऑफ पंचायत के नाम से जो भी कुछ कार्य किया गया है वह वेलिड नहीं है। यह एक मूल समस्या है।

दूसरा जो क्लॉज़ ५ है उस क्लॉज में परस्पर विरोधी बातें रखी हैं। आज तक जो प्रयोग में आया है वह अलग सी चीज़ है अब जो संशोधन लाने का मकसद है वह बिल्कुल इससे बेकार हो जाता है जो संशोधन आपको लाना था वह था चीफ़ पंचायत ऑफ़िसर के स्थान पर डाइरेक्टर ऑफ पंचायत लिख देते तो ज्यादा उपयोगी हो सकता था।

इसके अलावा क्लॉज़ ३ जो है उसमें लिखा है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों के क्रियान्वयन में देरी लग सकती है। देरी लाने का आधार क्या है ? देरी एक साल की लगेगी दो साल की लगेगी या तीन साल की लगेगी ? हालां कि मैं सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हूँ। विकेन्द्रीत शासन होना चाहिये जनता को यह आभास होना चाहिये कि जनता खुद अपने शासन को चला रही है। जहां सच्चे लोकतन्त्र का निर्माण होता है वहां हर आदमी यह महसूस करता है कि शासन के अन्दर मेरा कुछ न कुछ योगदान है और वह भी तभी हो सकता है जब कि शासन का विकेन्द्रीकरण हो। बलवन्तराय कमेटी की सिफ़ारिशों से सहमत होते हुए भी यह कहना चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिये। हमें यह बात शंका प्रगट करती है जैसा कि इस बिल के उद्देश्यों में लिखा गया है कि इसको लागू करने में देरी हो सकती है। मैं समझता हूं जहां आपने दो साल किये हैं इन दो सालों के बजाय तीन और चार साल भी लग सकते हैं। यह आशंका तब नहीं होती जब कि आप इसमें टू ईयर्स भी न करते। एक साल की मियाद बढ़ाने का तो आपको पहले से ही अधिकार था आप उस अधिकार के आधार पर एक साल तक तो यों ही बढ़ा सकते थे। लेकिन आपने जैसा कि आज तक आपका तरीका रहा है कुछ पंचायतों को प्रश्रय देने के लिये कुछ गुट विशेष कुछ स्थानों पर जमे रहें, जनतन्त्र की हत्या होती रहे, जनता प्रजातन्त्रीय अधिकारों का प्रयोग न कर सके उसी के लिये पहले से आपके हाथ में एक वर्ष अवधि बढ़ाने का अधिकार दे रखा है उसको बढ़ा कर आप दो वर्ष करना चाहते हैं। दो वर्ष रखने का कोई आधार नहीं था। अगर आप दो वर्ष तक बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफ़ारिशों को प्रयोग में लाना नहीं चाहें तो आपको चाहिये कि आप उन पंचायतों के चुनाव होने दें।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

दो वर्ष तक आप जनतन्त्रीय अधिकारों से जनता को वंचित क्यों करना चाहते हैं ? अगर आपको आशंका है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों के लागू करने में दो साल का समय लग जानेवाला है तो दो साल बढ़ाना चाहते हैं तो यह शंका बिल्कुल साफ प्रगट होती है। अगर आप उस कमेटी की सिफारिशों को दो साल तक क्रियान्वित नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट के अधिकार में मत रखिये। आप अपने अधिकारों द्वारा कुछ पंचायतों की अवधि बढ़ाते रहें और निरंकुश शासन चलता रहे तो आप इस बात को निश्चित समझिये कि आप हमेशा पीरियड बढ़ाते जायेंगे। दूसरी तरफ जनता परेशान है चिल्लाती रहे कि चुनाव होने चाहिये और आप इधर मियाद बढ़ाते रहें। इस प्रकार के कई उदाहरण हमारे सामने हैं।

सभापति महोदय, शाहबाद तहसील पचायतों के चुनाव सात साल से नहीं हुए वहां कोई पंचायत काम नहीं कर रही है। दो साल पहले की पंचायत ने काम प्रारम्भ किया था किन्तु वह भी खत्म कर दी गई। जितनी अवधि आप एक्सटेन्ड कर सकते थे कर दी गई उसके बावजूद भी वहां एक सेक्रेटरी बैठता है। उससे लोग इतने परेशान हैं कि वे अपील लेकर कहां जाय कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने जैसा कि सुना है एक पंचायत के पंच हैं जो सारी अपीलों का फैसला कर देते हैं। इसी प्रकार शाहबाद में हो रहा है। एक पंच ने सारी पंचायत के अधिकार संभाल रखे हैं। जहां पंचायत कानून में प्रकार का प्रावधान हो मियाद को बढ़ाने का, वहां इसी प्रकार से होगा। लाडपुरा तहसील पंचायत के चुनाव हुए, चुनावों में तीन बार नोमीनेशन हो चुका किन्तु तीनों ही बार केन्सिल कर दिया गया। इस बार भी जो चुनाव हुआ उसके लिये भी कांग्रेस सर्कल में यह अफवाह है कि कांग्रेस तो आनीवाली नहीं है वैसी हालत में इस बार भी नोमीनेशन केन्सिल हो सकते हैं। अब जाकर चुनाव हुये हैं। इस प्रकार से मियाद बढाते रहेंगे तो जनतंत्र का फायदा किसी भी प्रकार से जनता को मिलनेवाला नहीं है। लोकतंत्र के निर्माण के लिये एक तरफ तो आप बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं लेकिन ऐसी बातें देख कर हमें शंका होती है कि वास्तव में क्या लोकतन्त्र इसी प्रकार कायम रह सकता है ? यह तो एक प्रकार से देश में तानाशाही और लालफीताशाही को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप समझते हैं कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों को क्रियान्वयन करने में एक वर्ष लगेगा या कितना समय लगेगा, यह निश्चिय करके रखिये। तब तो आप बढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं। एकसाल बढ़ाने का हक आपको मौजूद है। एक साल के बाद अगर उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित कर देते हैं तो ठीक अन्यथा दो साल रखने की कोई वजह नहीं है। यह तो यह शक क्रिएट करता है दो साल में होगा लेकिन इस प्रकार से इन दो सालों के लिये जनता को प्रजातंत्रीय आधार पर जो मतदान देने का अधिकार है उससे आपको उन्हें वंचित नहीं करना चाहिये चुनाव आपको कराने चाहिये। दो साल के बाद तो नई पंचायतें होंगी, नये चुनाव होंगे ही तो इस बीच की अवधि के लिये लोगों को अपने अधिकारों से वंचित क्यों कर रहे हैं ? यह न्यायोचित बात नहीं है। जो लोकतंत्र में विश्वास करता है वह कभी भी इसका समर्थन करने वाला नहीं। साभ्य--

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वादी विचारधारा के लोग ज़रूर इसका समर्थन कर सकते हैं क्योंकि वे तानाशाही में विश्वास करते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी मेरी समझ में ऐसा नहीं करेगी। मैं तो यह मानता हूँ और इस बात को कहना चाहता हूं कि कम से कम कांग्रेस पार्टी इस प्रकार के तानाशाही तरीकों को प्रोत्साहित नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झूंझनूं) : सभापति महोदय, प्रस्तुत राजस्थान पंचायत संशोधन विधेयक की केवल पांच धारायें हैं। इन पांचों धाराओं में जो इस विधेयक का प्राण है वह धारा है तीन। फिर भी यह समझ में नहीं आता धारा २, ४ और ५ की क्या आवश्यकता थी ? अन्दाज़ यह होता है जैसा कि इस सदन के प्रांगण में बहुत सी बार कहा गया है हमें कुछ व्यक्तियों को कुछ पदों पर रखना है। उन पदों का डेज़ीगनेशन उनकी इच्छानुसार उन्हें देना है। मैं नहीं समझता चीफ पंचायत ऑफिसर का नाम डाइरेक्टर ऑफ पंचायत या ऑफिसर इन-चार्ज पंचायत किया जाता हैतो उसमें मूल-भूत आधार में क्या फर्क होता है और जो यह संशोधन है उसमें किसी प्रकार से आभास इस विषय का नहीं मिलता। यह जो संशोधन दो चार और पांचवी धाराओं में उल्लिखित है वह लगभग तथ्यहीन हो जाता है। मुमकिन है जिन व्यक्ति की नियुक्ति चीफ पंचायत ऑफिसर के पद पर हुई हो और वे चाहते हों कि उनका नाम हाई साउन्डिंग होना चाहिये डायरेक्टर ऑफ पंचायत और ऑफ़िसर इनचार्ज पंचायत होना चाहिये उसके लिये संशोधन लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई हो या हमारी सरकार ने ऐसी आवश्यकता महसूस की है कि हम ऐसे आदमी को इसके ऊपर नियत करते हैं या इस पोस्ट का स्टेटस रेज़ करते हैं इसलिये इसका नाम डाइरेक्टर या ऑफ़िसर इन्चार्ज होना चाहिये। मुमकिन है ऐसी बात हो पर विधेयक से बात प्रतीत नहीं होती। ये संशोधन तथ्यहीन हैं और उनका कोई महत्व हमारे सामने है नहीं।

केवल धारा ३ जिसके ज़रिये से कि पंचायतों के कार्यकाल की अवधि तीन साल की जो थी और जिसका तीन साल सम्पूर्ण होने के बाद में एक साल और बढ़ाये जाने का अधिकार सरकार को था उसको एक साल के बजाय और एक साल यानि कुल दो साल का किया जाने का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि यह प्रावधान बहुत छोटा है किन्तु बहुत खोटा है।

जिस प्रकार के भाषण हमारी इस विधान सभा में होते आये हैं और जिस प्रकार का रोष माननीय सदस्य ऐसे प्रावधानों के खिलाफ और विशेषतः ऐसे कार्यों के खिलाफ प्रकट करते आये हैं उसका बहुत औचित्य है। अभी अभी मैं बतालाऊं कि हमारे ज़िले के अन्दर झूंझनूं में पंचायतों की सब की अवधि लगभग समाप्त हो गई थी और दुबारा चुनाव की भी तिथि निश्चित हो गई थी। उस तिथि के दो या तीन या एक रोज़ पहले बलवन्तराय मेहता कमेटी के सुझावों को कार्यान्वित करने के बहाने से सारे के सारे ज़िलों में जितनी भी पंचायतों के चुनाव होने को थे वे सब स्थगित कर दिये गये। इस बहाने में कोई औचित्य नहीं हो सकता।

मैं यह बात प्रकट करूं और जैसा कि हम मानते आये हैं कि हमारी पंचायतें हमारी

Page No.76

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

इस जनतन्त्र के बड़े ढांचे की एक एक इकाई हैं उनका बड़ा भारी महत्व है और इसको हमें नहीं भुला देना चाहिये कि यदि हम उनको ठीक तरह से रन कर सकें, यदि उनका कार्य संचालक ठीक तरह से कर सकें यदि देश में हमारे नागरिकों में वे भावनाएं भर सकें जिससे पंच भावना का उत्तरदायित्व और हमारे इस लोक कल्याणकारी राज्य में एक अच्छे नागरिक की हैसियत से उत्तरदायित्व वहन कर सकें तो सबसे भारी सफलता इसमें होगी और डेमोक्रेसी को ठीक तरह से चला सकेंगे। पर इस तरह से तीन वर्ष की अवधि जो दी है उसके अन्दर अन्दर यदि चुनाव नहीं करा सकें, यदि नया खून नहीं ला सकें और तीन वर्ष की अवधि के बाद में भी उसको छः महीने का नहीं एक वर्ष का समय और दे दें वह भी नहीं, किन्तु दो वर्ष की अवधि अर्थात् आधे से भी ज्यादा अवधि के वर्ष और बाकी रहेगा उस समय तक की अवधि चाहते हैं और वह अपने अधिकार से चाहते हैं तो कोई भी जनतन्त्र का हिमायती इस बात को गवारा नहीं करेगा। यदि हम चाहते हैं कि लोगों में विश्वास हो तो हमें ठीक तरह से चुनाव कराने चाहिये। आज क्या कारण है कि भारत में इतनी राजनैतिक पार्टियां हैं? वे सब इस बात को मानती हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को देश के अन्दर चुनाव कराने का जो अधिकार है उसके अन्दर सारी पार्टियों की अटूट श्रद्धा है। वे जानते हैं कि चाहे विधान सभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, उनके कार्यकाल के पांच साल के ६ साल नहीं होनेवाले हैं।

मेरी जानकारी में ऐसी बात आई कि हमारी म्यूनिसिपल, पंचायतों आदि के चुनाव के बारे में राजनैतिक पार्टियों ने भारत सरकार से मांग की है कि जो म्यूनिसिपैटियां और पंचायतों आदि के चुनाव होते हैं वे सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्यों नहीं करा दिये जावें? इसके लिए जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि क्या वे ये सारी जिम्मेदारियां लेने को तैयार हैं तो उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं पर हमारे काम में स्टेट गवर्नमेंट का इन्टरफीयरेन्स नहीं होना चाहिये, यह हम चाहते हैं। कानून में प्रावधान बना है कि तीन वर्ष में चुनाव हो जाने चाहिये तो तीसरे वर्ष में हो ही जाना चाहिए और जो तिथि उसके अनुसार हम तै कर दें तो राज्य सरकार अपने किसी हुक्म से उस तिथि को आगे नहीं कर सकेगी। यह आश्वासन उन्होने मांगा जो बिल्कुल युक्तिसंगत बात थी। जब हम प्रावधान करते हैं चुनाव होने का तो कोई कारण नहीं कि उस समय में चुनाव क्यों नहीं होने चाहिये। यदि कोई ऐसी ही अड़चन आ जाती है और किसी तरह से भी समय में कभी करना मुमकिन न हो तो उसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके द्वारा हम जनतन्त्र में विश्वास कायम करते हैं और जनतन्त्र में कोई अविश्वास न करने लगे ऐसी स्थिति कभी न आवे इसके लिये सतत कोशिश करते रहना यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। हम चुनाव निश्चित अवधि में ही करावें यह हमारा ध्येय होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के अधिकारों का मैं घोर विरोध करता हूँ और यह चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से एक वर्ष की अवधि भी हालांकि ज्यादा है, छ महीने, चार महीने या तीन महीने का टाइम भी ऐसा समय

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

है जो नहीं दिया जाना चाहिए। पर फिर भी जो विधान में एक वर्ष का समय दिया गया है वह काफ़ी था । जहां तीन साल में चुनाव होने का प्रावधान है वहां दो, ढाई साल पूरे होने के साथ ही अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिये और उनकी अवधि समाप्त होने तक चुनाव नये हो जाने चाहिये और नयी म्यूनिसिपल कौंसिल या पंचायत को कार्य शुरू कर देना चाहिए। राजस्थान में बहुत सी पंचायतों का चुनाव हो गया है और हो रहा है। वहां किसी जाति विशेष की पंचायतों का चुनाव स्थगित कर दिया जावे और इस उद्देश्य से यह कह कर कि मेहता कमेटी की सिफ़ारिश को लागू करना है। अब कब उस मेहता कमेटी पर विचार हो उस के अनुसार एक्ट बने और फिर उसको लागू करें और तब चुनाव करावेंगे इसके लिए दो वर्ष की अवधि और मांगते हैं। तीन वर्ष का तो कुल समय है और उसमें दो वर्ष के विस्तार का समय हुकूमत को और दे दिया जावे। यह बिल्कुल हमारी अयोग्यता और असमर्थता का द्योतक है। यह प्रावधान जो रखा है किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होना चाहिए और मैं इसका घोर रूप से विरोध करता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): इस बिल की धारा ३ को लेकर मेरे ख्याल से काफ़ी वाद विवाद किया गया और काफ़ी शंकाएं की गई । पर मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसे राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भी घोषणा कर दी थी कि दो अक्टूबर से मेहता कमेटी की रिपोर्ट लागू होनेवाली है और उसके माफ़िक पंचायतों का पुनर्निर्वाचन होनेवाला है । फिर क्यों शंका उठनी चाहिए कि यह कब लागू होगी कब नहीं होगी ? यह शंका निर्मूल है। ऐसी अवधि में जिन पंचायतों के तीन वर्ष पूरे हो गये और एक्सटेन्शन भी समाप्त हो गया एक साल की अवधि का तो एक साल और देने में क्यों नहीं औचित्य है, यह मेरी समझ में नहीं आया। वापिस चुनाव अगर कराया जावे और २ अक्टूबर से फिर चुनाव कराया जावे तो इसमें काफ़ी खर्चा और गड़बड़ होगी और जनता को भी असुविधा होगी। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का संशोधन लाया गया है तो यह कोई गैरवाज़िब चीज़ नहीं है।

दूसरी चीज़ कई माननीय सदस्यों ने अफ़सरों के डेज़िग्नेशन के बारे में कहीं। आज की जो व्यवस्था थी उसके पीछे लीगल सैंक्शन नहीं होने के कारण कई ऑब्जेक्शन उठाये गये और फिर जैसा कि स्पष्ट है इसका कैडर भी बढ़ाया जा रहा है। आई. ए. एस. कैडर को यह पद दिया जा रहा है। इसलिए इसे रक्खा है। इससे हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन को भी महत्व देना चाह रहे हैं। इस दृष्टि से भी यह ठीक है। भविष्य में देश में, इसका सारी जगहों के लिए क्या डेज़िग्नेशन होनेवाला है वह हमारे यहां भी होगा। इसलिये इसे जनरल टर्म में जो रखा गया है वह ठीक है। मेरे ख्याल से इसे सदन पास कर दे तो ठीक है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चेयरमैन महोदय, इस बिल पर काफ़ी वाद-विवाद हो गया है और जहां तक मैं देखता हूं सभी माननीय सदस्यों का रुख है वह इसके खिलाफ़ है। बलवंतराय मेहता कमेटी

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

की रिपोर्ट को बेस मान कर जो दो साल के बढ़ाने का विचार है इसके बारे में मैं तो मन्त्री महोदय को आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो अवहेलना है यह रोकी जाये और यह नहीं होनी चाहिये। मेरे खुद का विचार है और इसके अतिरिक्त राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का विचार इसी को आधार रखे हुए है कि एक तरफ से राज्य की जड़ें और चट्टानें जिनके ऊपर नींव रखी जाती है वह पंचायतें हैं और पंचायतों का वह महल इन्हीं नींवों पर चिन कर आगे बढ़ाया जाता है। जितने भी चुनाव हैं वे पंचायतों के चुनावों से प्रारम्भ होकर आगे बढ़ाने की बात है और उसमें इस प्रकार से समय को बढ़ाते बढ़ाते ३ वर्ष के बजाय ५ वर्ष का समय और इससे भी और आगे बढ़ाने का सवाल आ रहा है यह अप्रजातान्त्रिक ही नहीं है बल्कि मेरे ख्याल से मैं इसको अविवेकपूर्ण भी समझता हूं। क्योंकि किसी चीज़ के समय को आगे बढ़ाने से जनसाधारण को इस बात का विचार होता है कि इसकी जड़ में कुछ न कुछ प्रश्न है कि जिसके सबब से इस समय को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह बराबर देखने में आता है और मेरी दूदू की कॉन्स्टीटुएन्सी में कई दफ़ा जो चुनाव होने को थे वह आज तक भी कार्यान्वित नहीं होकर यों के यों पड़े हुए हैं और किसी कारण से वह चीज़ आगे बढ़ जाती है। मैं यह मन्त्री महोदय को चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि यह इस प्रकार का आगे समय बढ़ाना एक हिमालियन ब्लन्डर होगी कि जिसके लिए आपको एक दफ़ा के बजाय दो दफ़ा विचार करके इसको आगे लाना चाहिये। मैं जानता हूं कि उन्होंने बड़ा प्रयास किया है। बलवंतराय मेहता कमेटी ने कोशिश करके इसका समय बढ़ाने का सवाल रखा है लेकिन इस प्रकार की कमेटियों की राय कभी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होनी चाहिये कि उसके लिए पीछे की बजाय आगे उसका ले लिया जाये और इस तरह से ऐसे मामलों के अन्दर जो प्रश्न आते हैं उसके ऊपर हड़ताल फेर दी जाये। मेरा निवेदन है कि इस तरह से यहां गवर्नमेंट में ऐसे समय को बढ़ा करके ऐसी कमेटियों की राय से अगर समय बढ़ेगा तो मुझको बड़ा डर है और मैं स्पष्ट वक्तव्य में कभी हिचकिचाहट नहीं करूंगा यह कहते हुए कि यह जो अप्रजातांत्रिक चीजें हैं इनको उठाने से कोई ताज्जुब नहीं है कि हमारी संस्कृति, हमारी डेमोक्रेसी, हमारी स्वतंत्रता और सभ्यता है इसकी उमर को कुछ घटाने का प्रश्न आता है। यह घटाने की चीजें भी हो सकती हैं। आज तो बलवंतराय मेहता कमेटी की राय से इसको घटाने का प्रश्न आ रहा है मुझे भय है कि कल दूसरी कमेटियां भी हो सकती हैं और उनकी दूसरी राय हो सकती हैं और माफ़ करना जैसी कमजोर बलवंतराय मेहता कमेटी जैसी दूसरी कमेटी होगी तो उस राय को भी आप मानेंगे। तो इसको यहां पर रखना और इस प्रकार का प्रोविज़न रखना बिल्कुल अनुचित होगा और मैं इसको अप्रजातांत्रिक समझूंगा।

मैं खुद जानता हूँ। मैं मेरे यहां की कॉन्स्टीटुएन्सी की बात निवेदन करूं कि वहां बहुत बड़ा असन्तोष हो रहा है कि यह जो विलम्ब हो रहा है यह क्यों हो रहा है ? जनता इसके लिए कई प्रकार के बहम करती है और इस बहम के लिये कई प्रकार के प्रश्न उठाती है

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कि इसके मूल में कोई और विचारधारा तो नहीं है कि इसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है ? पंचायतों का जो निर्माण है और जो इसका सवाल है वह यहां भारतवर्ष में और खास करके राजस्थान में नया कदम है और इस नये कदम के लिए यह हो सकता है कि जैसे पंचायतें हैं, उनकी जो स्थूल प्रशस्ति है वह मैरिट्स के ऊपर नहीं जाकर डीमैरिट्स के ऊपर जाने की बाज़वक्त बात रहती है और ज्यादातर वही स्थान पंचायतों ने ग्रहण किया है । आज एलीमेन्ट ज्यादा साफ़ और सच्चे मार्ग पर नहीं जाकर कुछ उनमें थोड़ा बहुत विचारधारा का अभाव रहता है और इसको षड़यंत्री विचार धारा कहें तो भी कोई अत्योक्ति नहीं होगी । बाज़वक्त में गांव के लोग ३ वर्ष के काल के लिए भी घबरा जाते हैं और वे यह समझते हैं कि अब कोई न कोई दूसरा सदस्य आना चाहिये । इन सब के वास्ते एक तरह से मार्ग रुक जायेगा और इसके लिए यह होगा कि वह एक तरह से अप्रजातांत्रिक ढांचा और जो डेमोक्रेसी के लिए लोगों की विचारधारा है जो बहुत कुछ सशंकित हो चुकी है वह और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए साधन और प्रसाधन उपस्थित हो जायेगा । इसका मैं घोर विरोध करूंगा कि जैसे एक साल का समय बढ़ाया गया तो मेरा ख्याल था कि यह एक साल का समय भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था । अब यह दो साल का टाइम बढ़ जाने के बाद पांच साल का टाइम हो जायेगा तो यह एक तरह से अनुचित कदम होगा ।

इसके साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि इन्हीं पांच सालों में और पहले के और आगे के प्रश्न को भी देखा जाये तो हमारे यहां क्या हो रहा है ? जहां पंचवर्षीय योजनायें हैं, यह तीनों पंचवर्षीय योजना के बीच का भाग है और इसके लिए अरबों रुपया गवर्नमेन्ट इकट्ठा करके खर्च कर रही है। यहां इधर से ही नहीं सेन्टर से भी और दूसरे प्रदत्त भारत के बाहर के जो साधन हैं उनसे भी बराबर जो धन का संग्रह हो रहा है और जनता जिसने हम सब लोगों को चुन कर भेजा है और आज जनता की भावना यह बनती जा रही है कि जो वायदे उनको किये जाते हैं वह कभी पूरे नहीं होते । जनता सोचती है कि इस प्रकार का कदम अगर आगे बढ़ाया गया और यही सवाल अगर आगे रहा तो कोई ताज्जुब नहीं है कि इसमें दुर्भिसंधि या इस प्रकार की अन्दरुनी वायर पुलिंग तो नहीं हो रही है कि जिसके सबब से यह आज की सत्ता को स्थिर रखने के लिए ये चीजें तो पैदा नहीं हो रही हैं और यहां तक भी लोगों के हृदय हो रहे हैं । मैं तो आज यह कहूंगा कि जिस समय चुनावों का मौका होता है बड़े बड़े करार करके हम लोग प्रजा के सामने पूरी विचारधारा रख-कर के आगे बढ़ते हैं और जिस समय कुर्सी पर आ जाते हैं और हमारे भाग्य से या दुर्भाग्य से या मन्त्रिमन्डल के अन्दर भी जो एलीमेन्ट है वह पहुंच जाता है तो वह उस समय इस बात को भूल जाते हैं कि हम लोगों ने क्या करार किया था। चेयरमैन महोदय, मैं ऐसा डर समझता हूं कि कोई ताज्जुब नहीं है कि आइन्दा के लिए हम लोगों में से जो प्रजातांत्रिक भावों के खिलाफ़ अगर इस तरह कदम उठाया गया तो कोई ताज्जुब नहीं है कि आइन्दा का जो चुनाव है वह और तरह का नहीं है और इसके अलावा कोई ताज्जुब नहीं है कि इस तरह की जो

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

अप्रजातांत्रिक भावना यहां पैदा हो रही है उसके लिए एक जड़ का काम या नींव का काम तो शायद नहीं दे रही हैं । हम लोग यहां पर इधर या उधर का प्रश्न लेते हैं । तो यहां के माननीय सदस्य हैं उन्हीं की विचारधाराओं के ऊपर न जाकर और सारी देशी धाराओं के ऊपर जाने का सवाल है । ११–१२ वर्ष की उम्र का बालक है हमारा जो प्रजातन्त्र है उसके वास्ते जब इस तरह से यह प्रश्न आ गया तो मैं समझता हूं कि इसके वास्ते भारत के बाहर और यहां के भी और पड़ौसी की ऐसी जितनी राज्यसत्ताएं हैं वे क्या समझेंगी ? मेरे ख्याल में मखौल करेगी कि इस तरह से कहीं भी सवाल नहीं आ रहा है । कोई ताज्जुब नहीं है कि. हमारी पहली जड़ है वह पंचायतें हैं । पंचायतों के बाद दूसरी चीज़ें हैं और दूसरे खन ऊपर आते रहते हैं और इस तरह से एक तरह से देखा जाय तो विधान सभा और पार्लियामेंट का सवाल है उस बड़े ज़बरदस्त महल की ताकत व जड़ अगर है तो वह पंचायतें हैं । अगर इसके ऊपर लोगों का यह भाव हो गया और यह अन्दाज़ा हो गया तो कोई ताज्जुब नहीं है कि हमारे वास्ते बड़ी दिक्कतें पैदा हों । तो मेरी तरफ से मंत्री महोदय को चेयरमैन महोदय के द्वारा यही निवेदन है कि इसको बहुमत के ऊपर भी लेकर आगे न बढ़ें । बहुमत यहां का ही नहीं होता है। बाहर का भी बहुमत हो । आप देखते हैं कि जो भी उधर के बैठनेवाले सदस्य हैं उनकी एक दो की बात नहीं करूंगा जो कि अभी बोले थे, तो एक तरह से देखा जाय तो बाहुल्य ज्यादातर उनके खिलाफ मिलेगा । क्या करें, अपने फायदे के वास्ते और वह उस बारे के लिए अपनी पार्टी को छोड़ नहीं सकते । इसके लिए 'हां' और 'ना' के नारे भले ही लगाये जायं । उनके हार्ट ऑफ हार्ट से, उनके हृदय के हृदय से पूछा जाय तो इस चीज़ को वे गलत समझेंगे । तो मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को रोक दिया जाय और कदम नहीं उठाया जाय ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : श्रीमान्, मैं चन्द मिनटों में केवल एक ही बात के ऊपर अपने विचार प्रकट करने की कोशिश करूंगा ।

इस विधेयक की धारा ७ में जो संशोधन पेश किया गया है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप दूसरा माइक यूज़ करें ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार:(माइक बदलते हुए) धारा ७ में, श्रीमान्, जो संशोधन पेश किया गया है उसमें जो आवश्यकता दिखाई गई है उस आवश्यकता से मेरा कोई विरोध नहीं है और किसी भी समझदार व्यक्ति का उससे कोई विरोध नहीं हो सकता । मगर जिस रूप में इसको वैधानिक रूप देने की चेष्टा की गई है उस रूप के पहले एक सैद्धान्तिक गलती और काफी भारी गलती देखने में आती है और मैं अपना धर्म समझता हूँ कि उसकी तरफ ध्यान खींचूं । अक्सर कानून में ऐसे संशोधन करने की आवश्यकता तभी होती है जब कि एक सामयिक की ज़रूरत, आवश्यकता मौजूद हो । वह एक सामयिक की ज़रूरत पैदा होती है जिसमें खास शक्तियों

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

की ज़रूरत होती है। वह आम तौर से और साधारण तौर से अगर देखें तो शक्तियों का वहां रहना ठीक नहीं है, अगर एक विशेष परिस्थितिवश उस शक्ति की जायज आवश्यकता मौजूद है तो कर सकते हैं। यह दो साल की मियाद बढ़ाने की बात है वह सैद्धान्तिक रूप से एक साल की मियाद बढ़ाने की बात है। वह पंचायत विधेयक के अन्दर स्वीकार किये हुए है कि आम तौर से ३ वर्ष में पंचायतों का चुनाव हो, और कोई खास विशेष परिस्थिति आये और चुनाव नहीं हो सके तो चुनाव काल तक उस विशेष परिस्थिति में सरकार खास तौर से उस अवधि को बढ़ा दे। अगर यदि विशेष परिस्थिति के बगैर दूसरे चुनाव काल तक उसको बढ़ाते हैं तो वह सिद्धान्त सम्मत बात नहीं है। एक साल की बात है वह भी विशेष परिस्थिति के कारण जैसा कि इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बताया गया है कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों का दुबारा संगठन करना है, उनका रिकॉन्स्ट्रेक्शन करना है और उसके रिकॉन्स्ट्रेक्शन के बाद इकट्ठे सब के चुनाव हों इसलिए किसी का कार्यकाल समाप्त हो गया है तो पिछले दो साल के अन्दर धीरे धीरे शक्ति सरकार को मिलेगी कि उनका रिकॉन्स्टीट्यूशन करके इकट्ठे चुनाव करा सकें तो इस आवश्यकता के लिए अवधि बढ़ाने की शक्ति अपने हाथ में लेना चाहती है तो ठीक है, उचित है। अव्वल तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि इतने दिन हो गये बलवन्तराय मेहता कमेटी को आये हुए, सदन ने विचार कर लिया और उस पर अब तक कार्य हो जाना चाहिए था। अगर किसी कार्यवश राज्य सरकार को समय नहीं मिल सका तो यह बात क्षम्य है। अब एक साल की अवधि और बढ़ाने की शक्ति चाहिए कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की पृष्ठभूमि के पुनःसंगठन में करे, उसमें समय की आवश्यकता है तो केवल उसकी ही पूर्ति करें, उसमें स्थाई शक्ति नहीं लेनी चाहिए। आप उसके लिए स्थाई रूप से विधान के द्वारा ताकत लेते हैं तो उचित नहीं है। यह वैधानिक सदाचार नहीं है। विधान बनाने के सर्वसम्मत नियम हैं उसके विरुद्ध है। अगर विशेष परिस्थितियों के कारण शक्ति चाहिए तो उसको अस्थाई रूप से लेना चाहिए।

तो इस प्रकार से यह तरमीम कर रहे हैं कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की सिफारिशों को कार्य रूप से परिणत करने के लिए दो वर्ष तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है मगर आम तौर से वह शक्ति एक ही वर्ष तक बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। इस प्रकार से तरमीम लाकर एक स्थाई शक्ति लेते हैं वह परिपाटी ठीक नहीं है। यह एक छोटी सी चीज़ है, अगर कानून बनाने की यह मनोवृत्ति रहती है कि एक प्रकार से अस्थाई कारणों से धीरे धीरे विशेष शक्तियां लेते ही चले जायं, बढ़ते ही चले जायं तो यह मनोवृत्ति तानाशाही की तरफ ले जाती है, प्रजातन्त्र से हटाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज करता हूँ कि क्या ऐसे प्रोविज़नल एमेंडमेंट हो सकते हैं क्या ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जी हां। टेम्पोरेरी कानून ला सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : टेम्पोरेरी कानून थे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चैयरमैन महोदय, मैं निवेदन करूंगा मन्त्री महोदय से कि जैसा कि यह कह रहे हैं कि इसी बलवन्तराय मेहता कमेटी को लेकर हाईकोर्ट का सवाल हुआ था वह आज तक मौजूद है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान् आप स्टेट्यूट बुक देखें तो ऐसे बहुत से कानून मिल जायेंगे। विशेष आवश्यकता के लिए एक मामले के लिए भी कानून को लाया जाता है बल्कि कानून एक तरह से देखते है तो विशेष परिस्थितियों का जवाब देने के लिए बनाया जाता है वह कोई परम्परा के विरुद्ध चीज़ नहीं होगी। सब वैधानिक परम्पराओं के अनुकूल यह चीज़ है। एक विशेष परिस्थिति के कारण संशोधन की आवश्यकता हुई है तो विशेष परिस्थिति तक ही सीमित रहें। लॉ डिपार्टमेंट ज़रा गौर करता और स्टेट्यूट बुक वगैरा को देखते और कानून बनाने के सिद्धान्त को देखते तो वह चीज़ मिल जाती। आप करें या न करें यह आपकी मर्जी है परन्तु मेरे को सदन का ध्यान इस परिपाटी की ओर दिलाना था वह दिला दिया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, पंचायत अमेंडमेंट बिल बहुत ही छोटा सा अधिनियम है लेकिन यह एक बहुत अहम सवाल पैदा करता है, हमारे सामने। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने, जैसी कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, पंचायत विभाग के पुनर्गठन का निर्णय सितम्बर, १९५८ में कर दिया था। सितम्बर, ५८ के बाद अक्टोबर में इस हाउस का जल्सा हुआ और दिसम्बर तक चला और उसके बाद दूसरा अधिवेशन इस निर्णय के बाद फरवरी में शुरू हुआ। हमारे हाउस के दो अधिवेशन निकल चुके हैं और उनके बाद अब सरकार हमारे सामने यह बिल पेश कर रही है। यह एक वैधानिक प्रश्न होता है। कहने को तो हम कहते हैं कि हमारे यहां जनता का राज्य और डेमोक्रेसी है और जनतांत्रीय व्यवस्था है लेकिन इस बिल के कारण मैं यह समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार से इस हाउस को बाई-पास करके काम करना चाहती है। मैंने निवेदन किया कि मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार पंचायत विभाग के पुनर्गठन का निर्णय सितम्बर, १९५८ में लिया गया था और हाउस के सामने आज बिल पेश किया जाता है। इस प्रकार जो निर्णय लिया है उस पर हाउस अपनी मोहर लगावे या नहीं यह हाउस के सोचने की बात है। मैं हाउस पर ही छोड़ता हूं कि वह चाहे जैसा निर्णय ले। यह सही बात है कि हमने डाइरेक्टर ऑफ पंचायत का डेज़िगनेशन कागज़ों में देखा और पत्र व्यवहार में देखा। हमारे सामने कई बातें आईं और हाउस में प्रश्न भी पूछा कि पंचायत एक्ट में बिना संशोधन किये सरकार ने चीफ पंचायत ऑफिसर का डेज़िगनेशन बदल कैसे दिया ? सरकार आज जो बिल पेश कर रही है उसको यदि वह जिस दिन निर्णय लिया उसी दिन पेश करती तो आज जो कनफ्यूजन पैदा हो रहा है वह नहीं होता। सभापति महोदय, यहां पर डाइरेक्टर ऑफ पंचायत का डेज़िगनेशन किया और डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट पंचा-

(श्री भीमसेन)

यत ऑफिसर्स और ब्लॉक्स में पंचायत एक्सटेन्शन ऑफिसर नियुक्त करने का निर्णय लिया। लेकिन जिस....

१२.३३ म० प०

(श्री अनोपसिंह, सभापति पदासीन)

प्रकार की कार्यवाही हुई और नियुक्तियों में गड़बड़ियां हुई वे ऐसी बातें हैं जो बहुत अनुचित मालूम होती हैं।

सभापति महोदय, हम मेहता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक काम करना चाहते हैं, यह अच्छी बात है। जिस चीज़ में अच्छाई हो उसे ग्रहण करना चाहिये लेकिन मेहता कमेटी की सिफारिश के नाम पर अफसर लोग अपने-अनुकूल बातों को ग्रहण करते हैं। मेहता कमेटी ने निश्चित रूप से सिफारिश की है कि जो डवेलपमेंट के विभाग हैं, पंचायत है, सहकारिता है, एग्रीकल्चर है और भी कई विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां करते समय देहात के लोगों को प्राथमिकता दी जाय ! लेकिन पंचायत विभाग को रिओर्गेनाइज़ किया गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ़िसर्स और पंचायत एक्सटेन्शन ऑफ़िसर्स की नियुक्तियें हुई उनमें मेहता कमेटी की सिफ़ारिश को ताक पर रख दिया गया। मैंने हाउस में पूछा भी था, २ फरवरी को, निश्चित तारीख मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं समझता हूं २ फरवरी को डाइरेक्टर ऑफ पंचायत द्वारा १६ पंचायत एक्सटेन्शन ऑफ़िसर्स की नियुक्तियां की गई और उनमें से सारे के सारे जयपुर के रहनेवाले हैं ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं यह जानना चाहता हूं कि एक्सटेन्शन ऑफ़िसर्स की नियुक्तियों से इस बिल का क्या संबन्ध है ?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैं निवेदन करना चाहता था कि किस प्रकार से मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार काम करना चाहिये था जब कि वे कहते हैं कि उस कमेटी की सिफ़ारिश के आधार पर पंचायतों को रिओर्गेनाइज़ करना चाहते हैं। इसमें समय लगेगा, यह आपका कहना है। बेशक इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें समय लगेगा। लेकिन मेरा अभिप्राय यह था कि सरकार आज ६ महिनों के बाद हाउस के सामने यह बिल ला रही है तो अक्टूबर में यह बिल क्यों नहीं लाया गया ? हाउस को इस तरह से बाई-पास करना उचित नहीं है। यह हाउस के सोचने की बात है कि यह क्या निर्णय ले।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, यह जो पंचायत बिल है उसमें जो प्रोविज़न खास कर क्लॉज़ ३ में रखा है उसके सम्बन्ध में विशेष तौर से बोलना चाहता हूं। इस बिल का जो स्टेटमेन्ट ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स है उसमें कहा गया है :

"To give effect to the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee the Government have decided to split up and reconstitute existing Panchayats of more than five thousand population."

(श्री पी० के० चौधरी)

This is one point which the Government wants. Reconstituting those panchayats which have' more than 5,000 population.

सभापति महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह मेहता कमेटी की सिफ़ारिश को कार्यान्वित करने के लिये लाया गया है। लेकिन मेहता कमेटी की सिफारिश का जहां तक सवाल है, उसने सिफ़ारिश की थी कि २,००० के आसपास की आबादी की पंचायत होनी चाहिये लेकिन गवर्नमेन्ट द्वारा इसे कार्यान्वित करने का नमूना मिल जाता है। ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़नन्स में कह देते हैं कि ५ हज़ार से ज्यादा की आबादीवाली पंचायत को रीकॉन्स्टिट्यूट करेंगे बाकी का सवाल नहीं आता है।

अब सवाल आता है इस एक्ट के माफ़िक, मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के माफ़िक, पंचायतों को रिकॉन्स्टट्यूट करना है तो पॉवर टेम्पोरेरी १ साल के लिये चाहिये। यह भी तरमीम किया गया है 'one year' may be substituted by 'two years'... परमानेन्ट फ़ीचर हो जाता है। इसके बाद जिसका पीरियड ३ साल का है उसका कार्य काल २ साल तक बढ़ाना एक परमानेन्ट फ़ीचर हो जाता है। हम मानते हैं कि सारी की सारी पंचायतों का इलेक्शन होना चाहिये नहीं तो वह अनकॉन्स्टिटयूशनल हो जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि ८० परसेन्ट पंचायतों के इलेक्शन हो चुके हैं जैसा कि ऑब्जेक्ट एंड रीज़न्स में कहा गया है, ५ हज़ार से ऊपर की आबादीवाले पंचायतों के चुनाव कराने हैं। ५० परसेन्ट से ज़्यादा पंचायतें ५ हजार से कम आबादी की हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ८० परसेन्ट के लगभग पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। बाकी २० परसेन्ट में से आधी ५ हजार से कम आबादीवाली हैं और १० परसेन्ट बाकी बचती हैं। मैं नहीं मानता हूं कि एक साल का पीरियड उन में से सारी की सारी का एक्सपायर हो गया है। गवर्नमेंट हैज़ मिस यूज्ड दि पॉवर। एक साल के मामले में ऐतराज़ भी किया गया था। इट शुड नोट बी यूज्ड नोरमेली। चुनाव का पीरियड खत्म होने के बाद एक एक साल का दिया गया तो हाईपोथेटिकल बन जायेगा। गवर्नमेन्ट ने सारा का सारा टाइम एक्सपायर कर दिया और वह भी खत्म होना चाहता है। मैं महसूस करता हूं : Executive should function knowing the intention of the Legislature. लेजिस्लेशन का इन्टेन्शन क्या था यह देखना चाहिये। एग्ज़ीक्यूटिव को इमर्जेन्सी के पॉवर्स इमर्जेन्सी की टाइम में काम में लाने के लिये दिये जाते हैं पंचायत एक्ट पास किया था उस समय वाट वाज़ दि इन्टेशन ऑफ़ दि लेजिस्लेचर? उनका इन्टेन्शन यह था कि एक पंचायत ३ साल से ज्यादा फंकशन नहीं करे। लेकिन अगर इमर्जेन्सी हो जावे, कोई अकाल हो जावे, महामारी हो जावे, प्लेग हो जावे, दंगा या रॉयट हो जावे तो इस प्रकार की इमर्जेन्सी हो तो इनडिविज्युवल पंचायत का टाइम एक्सटेन्ड किया जा सकता है।

अब मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी के पास ऐसे स्टेटिसटिक्स हैं कि राजस्थानकी ६० परसेन्ट मेजोरिटी पंचायतें हैं जिनका पीरियेड एक्सटेन्ड हो गया था, उस एक्सटेन्सेशन के बाद भी एक्सपायर होनेवाली हैं। मैं यह जानना चाहूँगा,

(श्री पी० के० चौधरी)

यह हम जानेंगे और इसको कबूल करेंगे than that will be a condemnation of the executive. It will indicate the way the Executive has behaved. ये सारी की सारी पंचायतों का एक्सटेन्डेड पीरियड खत्म होने जा रहा है। then you will exercise the Emergency Power in each and every case and if you do it then you stand condemned before the Legislature and the Public eye. अब मेरा जो रीडिंग है, जो प्रेक्टीकल वस्तुस्थिति है वह यह नहीं है कि सारी की सारी पंचायतों का इलेक्शन बाकी है, ८० पर्सेन्ट पंचायतों का इलेक्शन हो गया है, रिमेनिंग २० पर्सेन्ट, इन सारी की सारी पंचायतों का एक्सटेन्डेड पीरियड खत्म नहीं होने वाला है। मान लीजिये कि पीरियड खत्म हो गया तो क्या एग्जिस्टिंग एक्ट में प्रोविजन नहीं है जिससे परमानेन्ट अमेंड किया जो अमेंडमेंट लाया गया है। मैं समझता हूँ यह री-एक्सनरी है, अनडेमोक्रेटिक है। इस प्रकार का स्टेप न लाते हुए जो एग्जिस्टिंग एक्ट में प्रोविजन है उससे इमर्जेन्सी मीट विथ कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि काफी प्रॉवीजन्स हैं। अगर इसका इफेक्ट सिर्फ मान लीजिये, पांच पर्सेन्ट, तीन पर्सेन्ट, दो पर्सेन्ट पंचायत पर पड़ता है, मैं तो कहूंगा treat this panchayat as vacant. अब इसका एक्सटेन्डेड पीरियड खत्म हो गया। समझ लीजिये कि पंचायत नहीं है तो पंचायत एक्ट में आपके पास ऑथोरिटी है कि अगर पंचायत वेकेन्ट हो तो Government will function as pancha.yat गवर्नमेंट उसके फंक्शन और कार्य कर ले या री-अपोइन्ट कर ले। मैं इस हद तक जाने को तैयार हूँ कि जिस पंचायत का इस तरह एक्सटेन्डेड पीरियड एक्सपायर हो गया है तो गवर्नमेंट री-अपाइन्ट करके काम चला ले। इसका प्रोविजन इस एक्ट में है। यह भी नहीं करना है तो इस एक्ट में है you can add a new clause... जो बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है, उसको कार्यान्वित करना है तो जिन पंचायतों का पीरियेड अकॉर्डिंग टू एक्ज़िस्टिंग एक्ट खत्म हो जाता है तो पीरियेड एक्सटेन्ड कर सकते हैं, पंचायत एक्ट में बड़ा प्रोविज़न इनकोरपोरेट कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इमर्जेन्सी का ताल्लुक है, जो एक्ज़िस्टिंग एक्ट में प्रोविज़न है, उसमें बताना चाहिए "(3) On supersession, within a period of not exceeding two months, the Panchayat or Sehsil Panchayat shall be reconstituted by re-election or re-appointment." मैं तो कहूँगा कि इस एक्ट में एक प्रार्वीज़न है it is a lesser evil जहां सस्पेन्सन हो जाता है वहां पर उस पंचायत को गवर्नमेंट री इलेक्ट करा सकती है, या री-अपोइन्ट भी कर सकती है it can do both. यह पावर उसमें दी हुई है। मैं तो यह कहता हूं कि यह लेसर इविल है इस एक्ट में परमानेन्ट अमेंडमेंट कर देना चाहिए कि दो साल के लिए म्याद होगी तो it will become a rule then. जो हमने एक साल की तरमीम रखी थी, एक साल के एक्सटेन्सन के लिए प्रोविज़न रखा था, गवर्नमेंट ने उसको एज़ ए रूल करीब करीब सारी पंचायतों में इस्तेमाल किया हैं। अब दो साल के लिए रख देंगे तो क्या गारन्टी है that the powers will not be used by the Executive to extend the term of all the panchayats for

(श्री पी० के० चौधरी)

two years. इसकी गारन्टी नहीं है। जब पास्ट एक्सपीरियेन्स को हम देखते हैं तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस इविल को इनवाइट करने से पहले मैं कहूंगा कि लेसर इविल जो है यह क्लॉज़ ७२ का पार्ट दो है, जहां सस्पेन्सन में वेकेन्ट हो जाती है, तहसील पंचायत, पंचायत, उसको री-अपॉइन्ट करने की ऑथोरिटी है Panchayat may be appointed, तो अपॉइन्ट करके उसको चला लें। यदि नहीं चलाते हैं तो सेक्शन ७२ के अन्डर में जो ऑफिसर्स हैं, उनको ऑथोरिटी दे दें let the Government machinery do the funtions of Panchayats. पंचायत के जितने फंक्शन्स हैं they will be done by Government कोई ऑफिसर्स हैं उनको ऑथोराइज़ कर दीजिये एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, जब तक री-कॉन्स्टिट्यूशन्स पंचायत का करते हैं। मैं समझता हूँ कि री-कॉन्स्टिट्यूटेड पंचायतों के बाद चुनाव के लिए १०, ५ परसेन्ट रह जायेगी, इसलिए सारी की सारी पंचायतों का चुनाव कराना जरूरी नहीं है। मैंने जैसा बताया कि ८० परसेन्ट पंचायतों का चुनाव पिछली साल हुआ है और २० परसेन्ट में से भी आपने जैसा स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बताया है पांच हज़ार के ऊपर पंचायत री-कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं यानि १० परसेन्ट। अब १० परसेन्ट रहती हैं, १० परसेन्ट में भी सारी की सारी पंचायतों का एक्सटेन्डेड पीरियेड एक्सपायर नहीं होता है। मेरे ख्याल से पांच, छ: five percent or six percent of the Panchayats are effected जिसके ऊपर हमको कानून में प्रोविज़न चाहिए सिचूएशन को मीट विथ करने के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि पांच परसेन्ट पंचायतों को वेकेन्ट हो जाने दीजिये Let the Government machinery function there, मैं उसको वेलकम करूंगा बनिस्पत उसमें परमानेन्ट प्रोविज़न दो साल के लिए हो। यह मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ तरमीम नहीं की जाय और जो एक्ज़िस्टिंग एक्ट में प्रोविज़न है उसके मातहत किया जाय। अगर अमेंडमेंट लाना है; then let there be a new clause at the end of this Panchayat Act that only those panchayats जिनका एक्सटेन्डेड पीरियड एक्सपायर हो जाय उनके लिए बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए यह कहेंगे कि १६६० तक के लिए टर्म्स एक्सटेन्ड कर दीजिये। यह तरमीम ला दीजिये that will serve our purpose. हमारे मन में जो एप्रीहेन्सन है, सारा एप्रीहेन्सन दूर हो जाय कि यह परमानेन्ट प्रोविज़न इसमें इन्कोर्पोरेट करने से ऐसा लगेगा कि इस लेजिस्लेशन को आप परमानेन्ट कर देंगे it will be bad legislation. कोई भी देखेगा-वह कहेगा कि यह डेमोक्रेटिक प्रोविज़न नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह जो सुझाव मैंने रखा है उसको माननीय मंत्री मंजूर करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन-मंत्री) : सभापति महोदय....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अभी आप बोलने खड़े हो गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं थोड़ा अर्ज कर दूं।

श्री सभापति : आप वाइन्ड-अप नहीं कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सभापति महोदय, मैं थोड़ा अर्ज कर दूं कि यह जो अमेंडमेंट है, यह क्यों रखा गया है । मैं निवेदन करूं कि यह इमरजेन्सी की वज़ह से रखा है । माननीय सदस्यों का ख्याल है कि दो साल के एक्सटेन्सन के लिये नियम रखा गया है यह हमेशा के लिये है । तो मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह बात मन से निकाल देनी चाहिये । यह इमर्जेन्सी जब पैदा हुई, जिसकी वजह से हमने यह जरूरी समझा । दूसरे बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं. उसमें प्रोविजन है कि १,५०० से २,००० तक की पंचायतें बननी चाहियें उसको दो अक्टूबर से लागू कर रहे हैं । लेकिन हमारे यहां पर पंचायतें बहुत सी ऐसी हैं जो कि दो हजार, तीन हजार नहीं पांच हजार के ऊपर हैं । कुछ पंचायतें १० हजार से भी ज्यादा की हैं । वे पंचायतें जब राजस्थान बना उससे पहले की चली आ रही हैं । यह सवाल पैदा हुआ कि इनको स्पिलिट-अप करने के लिए, छोटा करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले ? इसके लिए गवर्नमेंट ने निश्चय किया कि पांच हजार के ऊपर की पंचायतें हैं उनको छोटा किया जाय । इसके नीचे की नहीं । इसके नीचे चार हज़ार की पंचायतें ४,५०० की पंचायत हैं, उनको छोटा करने का निश्चय नहीं किया गया । मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज करूं कि उनका चुनाव रोकने की या उनका दो साल के लिए टाइम बढ़ाने की कोई चीज़ दिमाग में नहीं है । पांच हजार के नीचे की पंचायतें हैं उनका अधिकांश का चुनाव हो चुका है । ९० पर्सेन्ट पंचायतों का चुनाव हो चुका है और एक साल में वे मियाद पूरी कर रही हैं । अब पांच हजार के ऊपर की आबादी की कुछ पंचायतें हैं । मैं समझता हूं कि कुल पंचायतें ३,९०० है, जिनमें से ४०० ऐसी होंगी जो पांच हज़ार से ऊपर की हैं, उनमें से कुछ का तो चुनाव हो चुका है । जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव करा दीजिये, छोटी होने के बाद में देखा जायेगा । मैं अर्ज करूंगा कि अभी पांच हज़ार की पंचायतों का चुनाव करा देते हैं बाद में दो हज़ार की छोटी पंचायतें बन जाती हैं और एक के बजाय दो, तीन, चार पंचायतें बननेवाली हैं तो जो इलेक्शन होगा उसमें लेबर वेस्ट हो जायेगी और फिर छः महीने के बाद चुनाव कराना पड़ेगा । इसलिए यह लेबर वेस्ट न हो और बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें और पांच हजार के ऊपर की पंचायतों को छोटी कर सकें, इसलिए इस बात को रोकने के लिए प्रॉवीजन लाया गया है ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : माननीय मन्त्री कह रहे हैं कि वह वाकई सत्य है कि रिकॉन्स्ट्रेक्शन के इम्प्लीमेन्टेशन को करने के लिए ही मियाद बढ़ाने की बात है । क्या माननीय मन्त्रीजी आश्वासन देंगे कि री-कॉन्स्ट्रक्ट प्रोग्राम होने के बाद दूसरा संशोधन पेश करके वापिस एक साल की मियाद करा देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संशोधन इस कारण ही कर रहे हैं । इसके अलावा इस पॉवर को यूज करने

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

की बात नहीं है। सब पंचायतों की मियाद तीन साल की है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : २ साल की मियाद बढ़ाने की पर्मानेन्ट शक्ति कानून में ला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप उपयोग नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि बाद में आप उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो क्या इस शक्ति की आवश्यकता पूरी होने के बाद इसे छोड़ देंगे, वापिस संशोधन इसमें कर देंगे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले आपने सुझाव रखा था कि अस्थाई तौर पर कानून पास करा लें। मैंने भी वकालत २० साल तक की है; मैंने अस्थाई तौर पर कानून बनाने की बात नहीं सुनी। अब आप कहते हैं कि इसके बाद गवर्नमेंट इसे छोड़ देगी? मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि जो री-कॉन्स्टिट्यूट होगी उनके ऊपर लागू होगा और इसलिये अमेंड करने का सवाल पैदा नहीं होगा। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इसका मिसयूज़ करने की कोई मंशा नहीं है। एक बात है कि बहुत सी पंचायतों के चुनाव अवधि के अन्दर ही करा दिये पर तहसील पंचायतों के बारे में नहीं कर सके क्योंकि तहसील पंचायतों के बारे में निर्णय ही नहीं ले पाये हैं कि वे रहेंगी या नहीं रहेंगी। तहसील पंचायतों के चुनाव यदि करा दें और सदन में मेहता कमेटी की रिपोर्ट आनेवाली है, उसमें उनको नहीं रखा तो यह अननेसेसरी वेस्टेज़ ऑफ मनी एन्ड पावर होगी। इसलिए इनकी मियाद बढ़ाना आवश्यक है। यदि मियाद नहीं बढ़ाते हैं तो वे सब पंचायतें डिफेक्ट हो जायेंगी, तहसील पंचायतें हमारी अपीलेट बोडीज़ हैं वे फंक्शन करना बन्द कर देगी। इसलिए इमरजेंसी के कारण उनकी मियाद बढ़ाना ज़रूरी है। एक साल की मियाद बढ़ाई है। ८० प्रतिशत पंचायतों का चुनाव करा दिया है। माननीय सदस्यों ने इसके लिए कम्पेल नहीं किया। पर ८० प्रतिशत के चुनाव सम्पन्न करा दिये। हालांकि दोनों तरफ के माननीय सदस्य आकर कहते हैं कि अमुक पंचायत का चुनाव रोक देना चाहिये लेकिन हम, जहां इमरजेंसी और जिनाइननेस होती है वहीं चुनाव रोकते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के एप्रिहेन्सन को अपने दिमाग में न रखें।

श्री पी० के० चौधरी : आपका पोइन्ट था... We have got no objection against your taking temporary powers ऑब्जेक्शन यह है कि अगर परमानेन्टली करते हैं तो ऐतराज़ है, टेम्पोरेरी करते हैं तो कोई बात नहीं। परमानेन्ट करते हैं तो. You give an assurance in the House that after you have completed the Balwant Rai Mehta Committee's recommendations and implemented them you will again come before the House to bring back the extension period to one year.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने दोनों बातें अर्ज की। ऐसा कोई प्रोविज़न नजर में कहीं नहीं आता कि इस तरह टेम्परेरी अमेंडमेन्ट कर सकते हैं। How can you amend a law only for a temporary period?

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कानून में तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट की इस पावर को यूज़ करने की मंशा नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: यह तो उसी तरह से है कि आप हलवा नहीं खाना चाहते तो हलवा बनाने का सामान घर में क्यों रखते हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इतना समझाने के बाद भी माननीय सदस्य नहीं समझना चाहें तो........

श्री महेद्रसिंह पंवार: मेरे को कोई मंत्री महोदय पर अविश्वास नहीं है यह मैं मानता हूं पर तलवार तो आप अपने हाथ में रखेंगे और कहते हैं कि किसी को चोट पहुँचाने की आपकी मंशा नहीं है पर दूसरे मंत्रीजी आयें और उनकी नीयत बिगड़ सकती है। जब किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते तो तलवार हाथ में रखते क्यों हैं? कानून में यह चीज़ बिगाड़ते क्यों हैं, अस्थाई व्यावस्था कर दें।

श्री पी० के० चौधरी: One more suggestion....

जैसा कि ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में रखा हुआ है ....it is only for those panchayats which have a population of above 5,000 इसके लिये पॉवर्स चाहते हैं then why not amend like this that the Panchayats having a population of above 5,000, their terms will be extended for two years? Make that amendment. Instead of doing it in this way make the amendment that term may be extended by two years but only in cases of panchayats having a population of more than 5,000. Make it like that and we will have no objection.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैं समझता हूं मैंने माननीय सदस्यों को जो आश्वासन दिया उससे माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये था। चुनाव करा रहे थे और ८०, ९० प्रतिशत हो भी गये। इसके अलावा गवर्नमेंट की इनको मिसयूज़ करने की मंशा नहीं है। मैंने आश्वासन दिया है, उस पर विश्वास होना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी: All the members agree on this that Panchayats with a population of more then 5,000, their term may be extended by two years. Then it will practically mean accepting our suggestion because......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैं जो माननीय सदस्यों को विश्वास दिला रहा हूं, माननीय सदस्यों को उसका विश्वास नहीं, माननीय सदस्य बार बार खड़े हो कर इन्सिस्ट कर रहे हैं......

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): आपके द्वारा कई घटनाएं हो गई हैं इस लिये कैसे विश्वास करें?

श्री गिरधारीलाल (नोखा): आप बोल तो जाते हैं पर फिर भूल जाते हैं।

Page No.90

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला कर नम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि इसका मिसयूज़ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यही लिखा हुआ है....

श्री नरोत्तमलाल जोशी : इस सिलसिले में झुंझुनूं में ज़िले में सारी पंचायतों के चुनाव स्थगित करा दिये तो कहां तक आपके कहने को माना जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह निर्णय पहले का है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : नहीं बिल्कुल अभी का अप्रेल का निर्णय है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अप्रेल का नहीं।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : अप्रेल का है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके बारे में कारण है, इसलिये रोकना पड़ा। मैंने वे बातें माननीय सदस्य को निवेदन कर दी थीं, फिर भी पता नहीं माननीय सदस्य ने क्यों यह सवाल उठाया ?

श्री नरोत्तमलाल जोशी : अगर वे बातें सब यहां बता दें I will request the Chair man that he should disclose all those things.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : झुंझुनूं ज़िले में कुछ ऐसी तहसीलें हैं कि जिनका रीकान्स्टीट्यूट होने के कारण कुछ गांव इधर आ गये कुछ उधर चले गये। ५ हज़ार के ऊपर के रखेंगे बाकी के सभी को कर रहे हैं इसलिये माननीय सदस्य को इस बारे में शक-शुबा नहीं होना चाहिये। ५ हज़ार से नीचे का करने का हमारा इरादा नहीं है।

अब अफसरों के बारे में बात है। उसको चाहे जो कहिये चीफ पंचायत ऑफिसर कहिये या ऑफिसर इन्चार्ज पंचायत्स कहिये क्या फरक पड़ता है, इसमें माननीय सदस्यों को क्या आपत्ति हो सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा यह विधेयक है इसमें कोई डिफेक्टिव बात नहीं रखी जा सकती। जैसा है उसी तरह पारित कर देना चाहिये। इसको पारित किये जाने के बाद माननीय सदस्य चाहें तो एक साल बाद फिर इस तरह का अमेंडमेंट लाया जा सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : To day the time is up and in the evening we may meet him.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, १९५८ विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

Page No.91

श्री पी० के० चौधरी : Time is over Sir.

श्री सभापति : सदन की की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही दिनांक ८ मई, १६५६ के प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई)

Page No.92

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, ७ मई, १९५९)

स्कम्भ | स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १००५७

सोने के तस्कर व्यापर सम्बन्धी।

राजस्थान पंचायत के अधिकारियों की नियुक्ति।

ग्राम बासडायना में गोली काण्ड।

सरकार द्वारा फलों के बगीचे लगाये जाना।

स्वायत्त शासन संस्थाओं के चुनाव।

पालो में सरकार द्वारा निर्धारित भवा से मंहगे भाव में अनाज की बिक्री।

लालसोट के ग्राम पंचायत में उप सरपंच को रोक।

कारखानों में कन्सेशन रेट पर बिजली।

कस्बा सूरजगढ़ ज़िला झुंझुनूं में फरजी सहकारी समिति के नाम से ऋण।

भाखरा क्षेत्र में ३० हज़ार रकबा को अनकमांडेड घोषित करना।

मथुरेश दुग्धशाला सहकारी समिति, कोटा की रजिस्ट्री।

पुलिस थाना (मगोठ) में एक व्यक्ति की पिटाई।

खानपुरा (झालावाड़) में कुओं की मरम्मत पर खर्चा।

आथूणी कुचोर (नोखा) के सरपंच के खिलाफ गबन का मामला।

थाना बूढादीत से मुल्जिम फरार।

तहसील सराड़ा होस्पिटल का वार्षिक बजट।

सूरतगढ़ कृषि फार्म में ज़मीन की अप्राप्ति।

पार्वती बांध में कच्चे बांध का कार्य।

राज्य में सिंचाई की सांख्यिकीय सूचना।

तहसील बामनवास में पानी की व्यवस्था का अभाव।

उम्मेद कोऑपरेटिव सोसाइटी (जोधपुर) में रुपयों के शेयर्स।

गवर्नमेंट प्रेस द्वारा मोनोमेंटल की खरीद।

स्थगन प्रस्ताव

तहसील हिन्डोन के गांव खेडी तथा गांव चनाटा से डाकुओं द्वारा कतिपय लड़कों को उड़ा ले जाने से सम्बन्धित श्री उम्मेदीलाल सदस्य, राजस्थान विधान सभा, के स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

विधायी कार्य।

(१) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९५९। १०१२०

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री सोहनलाल भटनागर ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन रखा। वाद-विवाद के पश्चात् विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्यों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

(१) श्री दामोदरलाल व्यास (प्रभारी मन्त्री)

(२) श्री तेजाराम

(३) श्री महादेवप्रसाद बंका

(४) श्री आबिदअली

(५) श्री गोपीसहाय

(६) श्री सोहनलाल भटनागर

(७) डॉ० चन्द्रकला

(८) श्री गोवर्धनसिंह केन

(९) श्री चुन्नीलाल

(१०) श्री हजारीलाल

(११) श्री दयाकृष्ण विजय

(१२) श्री रामनारायण वर्मा

(१३) श्री रघुवीरसिंह

(१४) श्री नरपतसिंह

(१५) श्री मुरलीधर व्यास

(१६) श्री पृथ्वीराज पटेल

(१७) श्री मनरूपराम परिहार

(१८) श्री श्रीभानसिंह

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन २० मई, १९५९ से पूर्व प्रस्तुत करेगी।

(२) राजस्थान मैटरनिटी बेनिफिट (संशोधन) विधेयक, १९५८। १०१५४

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्रम मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, डॉ० चन्द्रकला ने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया कि विधेयक को

एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। वाद-विवाद के पश्चात् डॉ० चन्द्रकला ने अपना संशोधन वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(३) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५९।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, स्वायत्त शासन मन्त्री, ने विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर की गई बहसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री जगदीशप्रसाद माथुर
(२) डॉ० बहादुरसिंह
(३) श्री मुरलीधर व्यास
(४) श्री गिरधारीलाल
(५) श्री दयाकृष्ण विजय
(६) श्री नरोत्तमलाल जोशी
(७) श्री सोहनलाल भटनागर
(८) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(९) श्री महेन्द्रसिंह पंवार
(१०) श्री भीमसेन
(११) श्री पी० के० चौधरी

१०१८६ मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग, के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिनांक ८ मई, १९५९ की कार्य सूची।

१ राजस्थान दहेज नियन्त्रण विधेयक, १९५८।

२ संकल्प।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४३४ का उत्तर देखिये)

राजस्थान बनने के पश्चात् दिसम्बर, सन् ११५० में निम्न बगीचे पी० डब्लू० डी० से कृषि विभाग में शामिल किये गये। उनके नाम, क्षेत्रफल, खर्चा तथा आमदनी नीचे दी जाती है:-

क्र०सं०	बगीचे का नाम	क्षेत्रफल एकड़ बीघा बिस्वा	एक साल का खर्चा	एक साल की आमदनी	विशेष विवरण
	जिला अलवर				
१	नाहर सागर	७॥ — —			
२	न्यू फ्रूट गार्डन	६ — —			
३	कच्च बाग	१० — —			
४	मंगल बिहार बाग	— ६५ —			
५	नारायण बिलास बाग	१३ — —			
६	तोसार बाग	२ — —			
७	नंद डाग बाग	५॥ — —			
८	रूपवास बाग नं० १	११ — —			
९	,, ,, नं० २	५ — —			
१०	बड़ का बाग नं० ३	— — २३			
११	बड़ का बाग	— २३-२३			
१२	तीसी सेडा बाग	१० — —			
१३	नज़र बगीची	५ — —			
			१६,१४०=००	२८,०७७=००	
	जिला भरतपुर				
१	श्री जसवन्त प्रदर्शनी नर्सरी	५ — —			
२	रारा बाग	— ८ —			
३	कच्चा बाग	— २१ —			
४	राम बाग	२८ — —			
५	पहाड़ बाग	२५ — —			
६	कमली बाग (भुसावर)	३२ — —			

१	२	३			४	५
७	दबूरीवाला बाग	८५	—	—		
८	चौधरीवाला बाग					
	धौलपुर (सब-डिविजन)					
१	राबघर बाग	—	२८	१२		
२	भिलगबा बाग	—	१००	—		
३	महाराजा बाग बाड़ी	—	४४	—		
४	रामबाग बाड़ी	—	७७	—		
५	रामसागर बाड़ी	४१०	—	—		
					२१,६७२–००	१४,१५८–००
	जिला सवाई माधोपुर					
१	नरसरी कृषि ट्रेनिंग स्कूल सवाई माधोपुर			१०–	४,२५४–००	४,०३२–०
	करोली (सब डिविज़न)					
१	केशोराम धाभाई बाग			–	२४	२
२	महाराज भोपाल बाग			–	११	१०
३	तारणगढ़					
					२,६२८–०-१,३४१–००	
	जिला जयपुर					
१	नला बाग	११	–	–	१५,८६८–००	३,०८०–००
२	दुर्गापुरा बाग	१६	–	–	३६,६२५–००	१४,३२०–००
	अजमेर-किशनगढ़					
१	मोहम विलास	–	५	८	३००–००	
	कोटा–जिला					
१	रेनी बाग नरसरी	–	१०	–	४,६०८–००	२,३६०–००

१	२	३			४	५
२	नागाजी का बाग	—	११	—		
३	सांड्या लाडपुरा	—	८	—		
४	कादरी बाग (छबरा)	४|||	—	—		
५	कारखाना बाग	२१	—	—		
					७,५२५—००	३,८७६—००
	जिला बूंदी					
१	ईश्वरी फ्रूट गार्डन	—	८०	०		
२	गनेश का बाग	—	४०	—		
३	गबड़ा बाग	—	२५	—		
४	गोपाल का बाग	—	६	—		
५	हिन्डोली बाग	—	६०	—		
					१४,४७३—००	५,०६६—००
	जिला झालावाड़					
१	मल्हार का बाग	—	५०	—		
२	जैनिवास बाग	—	२६	०	६,४४२—००	१,३६५—००
	जिला चित्तौड़					
१	निम्माहाडा बाग	—	८	—		
	जिला बांसवाड़ा					
	विमल बाग	—			६५७—००	
	जिला उदयपुर					
१	नरसरी उदयपुर	—	६	—	७,६०२—००	१,१५२—००
२	ऋनजर नरसरी	५	—	—	५,६६४—००	—
	जिला सिरोही					
	माउन्ट बाग नरसरी	—	८	—	२८८—००	—

१	२	३			४	५
	जिला जोधपुर					
१	भन्डार फर्म नरसरी	–	६०	–		
२	भोपाली नरसरी	५	–	–	५६१–००	–
	जिल ।पाली					
	सादरी नरसरी	५	–	–	२,६४५–००	–
	जिला श्री गंगानगर					
१	फ्रूट फार्म	६०	–	–	१६,०८६–००	३२,६२२–००
२	नरसरी	५	–	–	३,८६५–००	३,३१४–००
					१,७२,६७०–	१,१५,१५०–००

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४३५ का उत्तर दीखिये)

३१ जनवरी, १६५६ तक निम्न नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त हो चुकी थी और अवधि बढ़ाई गई।

१	सीकर	अवधि बढ़ाई जाने का कारण
२	खन्डेला	
३	मुकुन्दगढ़	
४	निवाई	चुनाव सम्पन न होने के कारण
५	मालपुरा	
६	टोडारायसिंह	
७	नदवई	
८	राजलदेसर	
९	हनुमानगढ़	
१०	भादरा	
११	लाडनूं	
१२	मकराना	
१३	परबतसर	
१४	पोकरण	
१५	नाथद्वारा	
१६	बांसवाड़ा	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४४० का उत्तर देखिये)

सूची 'ए'

निम्नलिखित कारखानों में २ आने की दर ...... के साथ ली जाती है।

कारखाने का नाम	बिजली देने की दर (Rate at which Power is supplied)	बिजली पैदा करने की दर (Cost of generation Point)	बिजली विक्रय का मूल्य (Cost of Distribution Ponit)	अन्तर (3-1)
जयपुर				
१. मैटल इन्डस्ट्रीज़	२.३३ आना प्रति यूनिट	२.२ आना प्रति यूनिट	४.१६ आना प्रति यूनिट	१.८३ आना प्रति यूनिट
२. मान इन्डस्ट्रीज कोर०	२.३३ ,, ,,	२.२ ,, ,,	४.१६ ,, ,, ,,	१.८३ ,, ,,
३. निर्माण विवींग मिल्स श्री गंगानगर	२.३३ ,, ,,	२.२ ,, ,,	४.१६ ,, ,, ,,	१.८३ ,, ,,
४. शार्दूल टैक्सटाइल मिल्स श्री गंगानगर।	२.३० ,, ,,	६.६ ,, ,,	८ आना प्रति यूनिट	५.७ ,, ,,

इस कारखाने में दी जाने की दर नहीं ली जाती क्योंकि जयपुर स्टेट से इकरार नामा १० पाई प्रति यूनिट से लेने का तय हुआ था।

१	२	३	४	५	६
	जयपुर ।				
१.	नेशनल बाल बियरिंग कं० इकरारनामा जयपुर स्टेट के साथ में हुआ था ।	०.८३ आना प्रति यूनिट	२.२ आना प्रति यूनिट	४.१६ आना प्रति यूनिट	३.३३ आना प्रति यूनिट

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १३४६ का उत्तर देखिये)

Statement showing the Amount sanctioned during the year 1958-59 in Tehsil Khanpur, District Jhalawar for construction and repairs of wells.

Sl.	Name of the Applicant.	Amount applied.	Amount advanced	Purpose of loan	Date of applying	Date of recommendation of Tehsil Adv.Committee	Date of Distribution
1.	Shri Nainga Meena.	1,000/-	1,000/-	Construction of wells.	14-10-57	6-5-58	30-5-58
2.	„ Moti Singh Rajput.	1,000/-	1,000/-	-do-	8-1-56	6-4-58	-do-
3.	„ Indu Singh Rajput. Chandkhedi.	1,000/-	600/-	-do-	21-2-56	6-5-58	-do-
4.	„ Mangi Dagda Dhadhich Jodiya	700/-	500/-	-do-	6-5-58	-do-	-do-
5.	„ Dhudi Dagda Meena.	500/-	500/-	-do-	28-11-57	-do-	-do-
6.	„ Dalu Mathra Chamar	1,200/-	800/-	-do-	13-12-57	2-7-58	4-7-58
7.	„ Moti Dagda Mali	800/-	800/-	-do-	13-1-57	25-7-58	4-8-58

1		2	3	4	5	6	7	8
8.	Shri	Ram Narain Mali	1,000/-	1,000/-	-do-	5-12-57	18-11-58	26-11-58
9.	,,	Modu Naik Khatavda.	600/-	500/-	-do-	20-3-58	25-11-58	-do-
10.	,,	Kajodi Dagda Mali.	1,000/-	1,000/-	Repairs of wells.	20-12-58	20-12-58	30-12-58
11.	,,	Prabhu Dagda Jat.	300/-	300/-	-do-	-do-	20-12-58	30-12-58
12.	,,	Shrimati Pushpa Bai.	800/-	500/-	-do-	-do-	-do-	-do-
13.	,,	Datar Singh Rajput. Piparda.	200/-	200/-	-do-	30-12-58	30-12-58	5-1-58
14.	,,	Phundi Dagda Brahmin.	500/-	500/-	-do-	22-12-58	29-12-58	-do-
15.	,,	Nathu Mani Dadia.	200/-	200/-	-do-	29-12-58	-do-	-do-
16.	,,	Surendra Singh Rajput, Dhanoda.	400/-	300/-	-do-	-do-	30-12-58	-do-
17.	,,	Ghasi Dagha Meena.	300/-	300/-	-do-	30-12-58	-do-	-do-
18.	,,	Bhanwar Singh Rajput Dadiya.	1,500/-	1,500/-	Construction of new well.	29-12-58	29-12-58	
19.	,,	Manna Gujar Chadalya	500/-	500/-	Repair of wells.			
20.	,,	Bhairu Singh Rajput Dungarpur.	500/-	500/-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	
21. Shri	Kanwar Dagda Bhooda.	300/-	300/-	Repair of well.	20-12-58	30-12-58	5-1-59
22. „	Jai Dagda Bhoopa Disrai	4,000/-	1,500/-	New wells	-	26-12-58	-
23. „	Bhim Singh Rajput Disrai	3,000/-	1,500/-	-do-	-	-	-
24. „	Moti Gangaram Dani.	500/-	500/-	Repair of well.	-	-	-
25. „	Nathu Dagda Dhaked.	1,000/-	1,000/-	-do-	-	-	-
26. „	Ram Ratan Ram Pratap.	400/-	300/-	-do-	30-12-58	30-12-58	-
27. „	Heera Dagda Dhakad Piparda.	1,000/-	1,000/-	New wells.	-	-	-
28. „	Bhairu Dagda Birdha	800/-	500/-	Repair of well.	-	-	-
29. „	Khema Kachi Dhanoda.	800/-	500/-	-do-	-	-	-
30. „	Dalu Chamar Man Borda.	1,500/-	1,000/-	New wells.	-	-	-
31. „	Radha Kishan Dhakad	2,000/-	1,500/-	-do-	17-12-58	31-12-58	6-1-59
32. „	Bajranga Dhakad Kanwalda.	300/-	200/-	Repair well	21-12-58	4-1-59	-
33. „	Kishan Dagda Dhakad.	200	150/-	-do-	4-1-59	-	—
34. „	Rahim Khan Musalman.	2,000/-	1,500/-	new wells	3-1-59	-	--

1	2	3	4	5	6	7	8
35. Shri	Ram Nath Brahman. Mohudi.	250/-	150/-	Repair of well.	3-1-59	2-1-59	-
36. ,,	Ram Narayan Dhakad.	2,000/-	1,500/-	new wells.	16-12-58	31-12-58	-
37. ,,	Bhenria Chamar Menhdi.	300/-	150/-	Repair of well	7-12-57	2-1-59	-
38. ,,	Gopi Dagda Nohar Kahapura.	300/-	200/-	do	21-12-57	2-1-59	-
39. ,,	Prabhu Dagada Jagannath Brahmin.	200/-	200/-	do	2-1-59	4-1-59	-
40. ,,	Muda Chand Mangi Dagda Atc.	500/-	200/-	do	—	-	-
41. ,,	Uda Dhobi Suer.	200/-	150/-	do	9-1-57	2-1-59	6-1-59
42. ,,	Ram Chand Chamar. Naya Gaon.	500/-	300/-	do	5-12-57	—	-
43. ,,	Lakshman Modi Suer.	2,250/-	350/-	New wells	2-1-59	2-1-59	-
44. ,,	Prabhu Nath Mehar Suer.	3,000/-	870/-	do	2-1-59	2-1-59	-
45. ,,	Birdhi Dagada Dhakad.	3,000/-	1,500/-	do	30-12-58	4-1-59	-
46.	Shrimati Duli Bai Nath.	700/-	700/-		31-1-59	-	-
. Shri	[illegible] Dagda Ahir.	1,200/-	800/-	Repair of well.	-	-	-
48. ,,	Panna Dagda Dhakad Knuwaida.	3,000/-	1,500/-	New well.	21-12-58	-	-

1		2	3	4	5	6	7	8
49.	Shri	Dhuli Dagda Madho.	300/-	200/-	Repair of well.	—	-	-
50.	,,	Kajori Dagda Dhakad.	1,500/-	1,500/-	New wells.	31-12-58	31-12-58	-
51.	,,	Dhuli Lal Brahman.	1,000/-	700/-	Repair of well.	21- 2-57	31-10-58	6-1-58
52.	,,	Dhulia Suraj Mal Khunja.	775/-	500/-	new wells.	23 3-57	2- 1-58	--
53.	,,	Kishan Lal Bhil Khada.	600/-	500/-	do	31-12-58	31-12-58	6-1-59
54.	,,	Bhanwar Das Bhairon Das.	600/-	600/-	Repair of well.	4-1 -59	4-1 -59	6-1-59
55.	,,	Madhu Lal Dhakad Dareda.	300/-	300/-	do	31-12-51	31-12-58	6-1-59
56.	,,	Kanahiya Lal Moti Lal Brahmin.	1,000/-	300/-	do	31-12-58	31-12-58	6-1-59
57.	,,	Panna Lal Luhar Baisar.	1,000/-	300/-	-	31-10-57	20-12-58	6-1-59
58.	,,	Madho Chamer Dadiya.	1,000/-	1,000/-	new well.	31-12-58	31-12-58	6-1-59
59.	,,	Moti Lal Keer.	500/-	300/-	Rapair of well.	31-12-58	31-12-58	6-1-59
60.	,,	Gordhan Bola Bislai.	2,000/-	1,000/-	new well.	31-12-58	31-12-58	6-1-59
61.	,	Ram Chandra Khati Taraj	400/-	400/-	do	31-12-58	31-12-58	6-1-59
62.	,,	Ram Karan prabhu Lal.	2,000/-	1,500/-	-	15-12-58	31-12-58	6-1-59

1	2	3	4	5	6	7	8
63. Shri	Govindi Ram Ahir Kagji	800/-	800/-	Repair of well	31-11-58	31-12-58	6 1-59
64. ,,	Radha Kishan, Ram Chandra.	1,000/-	500/-	-	31-12-58	31 12-58	6-1-59
65. ,,	Shankar Lal, Dhanna Lal, Meena.	600/-	600/-	-	31-12 58	31-12-58	6-1 59
66. ,,	Dhuli Lal, Ram Lal Bhil.	600/-	500/-	-	31-12-58	31-12-58	6-1-59
57. ,,	Lakshmi Narain Dhakad, Daulatpura	1,000/-	1,000/-	new well.	31-12-51	31-12-58	6-1-59
68. ,,	Panna Lal Dhakad.	1,000/-	600/-	Repair of well.	17-12-58	31-12-58	6-1-59
69. ,,	Pratap Ghasi Lal Ram Charan Jat.	600/-	600/-	-	31-12-58	31-12-58	6-1-59
70. ,,	Ghashi Lal Kumhar Bareda.	500/-	500/-	-	5- 1-57	31-12-57	6-1-59
71. ,,	Ram Chand Lal etc.	600/-	600/-	-	30-12-59	30-12-58	6-1-59
72. ,,	Kanwar Nana Sunder Nana	1,000/-	1,000/-	new well.	13- 5-57	13-12-58	-
73. ,,	Heera Singh Rao Bhat Khadi	1,500/-	1,000/-	-	34-12-57	4- 1-59	..
74. ,,	Raghu Nath Karad Tundi	500/-	500/-	Repair of well.	23-12-58	..	-
75. ,,	Kishan Lal Brahmin.	800/-	800/-	Repair of well	28-12-58	31-12-58	—
76. ,,	Gopal Gujar Sarona Khurd.	600/-	500/-	-do-	29-12-58	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
77. Shri	Deva Devia etc. Karar Dundi.	500/-	400/-	Repair of well	2-1-59	4-1-59	—
78. ,,	Ghanshyam Dhakad Dobla.	800/-	400/-	-do-	12-12-56	2-1-59	—
79. ,,	Kishan Lal Dhakad Khandi.	1,500/-	1,000/-	New wells.	4-1-59	4-1-59	—
80. ,,	Mathura Lal. Khati Mehndi.	400/-	200/-	Repair of well	3-1-57	2-1-59	—
81. ,,	Bhairun Kumhar Kanwar pura.	1,000/-	400/-	-do-	2-1-59	2-1-59	6-1-59
82. ,,	Kishan Gopal Brahmin.	1,000/-	1,000/-	New wells	4-1-59	4-1-59	6-1-59
83. ,,	Devi Lal Dhaked Panwar	300/-	150/-	Repair of well	6-1-59	16-1-59	6-1-59
84. ,,	Ram Nath Radha Kishan.	2,000/-	1,500/-	New wells	10-1-59	11-1-59	—
85. ,,	Bhoya Bajranga etc	1,700/-	700/-	-do-	11-1-59	,,	—
86. ,,	Pratap Kesera Dhakad.	500/-	250/-	Repair of well			
87. ,,	Prabhu Gordhan Dhakad.	500/-	250/-	-do-			
88. ,,	Choga Lal Birdhi Lal, Raoratan Pura.	200/-	200/-	-do-			
89. ,,	Mangi Lal Meena.	300/-	250/-	-do-			
90. ,,	Ghasi Lal Meena.	500/-	400/-	-do-			

1	2	3	4	5	6	7	8
91. Shri	Ram Kishan Khati Dundi.	100/-	100/-	Repair of wells	28-12-58	16-1-59	10-3-59
92. ,,	Latoor Prabhu Dhakad.	500/-	250/-	do	11-1-59	11-1-59	16-1-59
93. ,,	Nanda Das Kishan Lal.	600/-	550/-	do	10-1-59	11-1-59	-do-
94. ,,	Bhairun Lal Devlal Moti lal etc.	1,000/-	1,000/-	New well	5-1-59	5-1-59	-do-
95. ,,	Bhirun Lal Ramnath Chamar.	800/-	600/-	Repair of well	-do-	-do-	-do-
96. ,,	Ram Nath Chamar.	800/-	600/-	do	11-1-59	11-1-59	-do-
97. ,,	Gopal Das Bairagi Mahira.	500/-	350/-	do	17-3-58	6-1-59	—
98. ,,	GopalLal Meena.	500/-	300/-	do	5-1-59	5-1-59	—
99. ,,	Kishana Gangaram.	400/-	300/-	do	6-1-59	6-1-59	—
100. ,,	Bhanwar Lal Gopal Shankar.	1,000/-	600/-	—	—	11-1-59	—
101. ,,	Bhanwar Lal Dhakad.	1,000/-	500/-	do	10-1-59	11-1-59	16-1-59
102. ,,	Gajanand Mali Harigarh.	700/-	500/-	—	8-1-59	—	—
103. ,,	Ghasi Lal Dhobi.	1,500/-	1,500/-	New well	4-1-59	10-1-59	—
104. ,,	Bishan Lal Chamar.	400/-	300/-	Repair of well	11-1-59	11-1-59	—

1	2	3	4	5	6	7	8
105.	Shri Ratan Lal Rupa Devilal Ramlal etc.	400/-	300/-	Repair of wells	—	—	—
106.	,, Bhanwar Lal Birda.	800/-	600/-	—	—	—	—
107.	,, Ram Lal Dhakad.	500/-	250/-	—	6-1-59	6-1-59	—
108.	,, Moti Lal Jat.	500/-	300/-	—	7-1-59	10-1-59	—
109.	,, Ram Narain Mahajan.	600/-	400/-	—	6-1-59	6-1-59	—
110.	,, Bhanwar Lal, Ratan Garh.	600/-	500/-	—	11-1-59	11-1-59	—
111.	,, Kalu Lal Rampal.	500/-	300/-	—	11-1-59	11-1-59	16-1-59
112.	,, Ram Chandra.	300/-	300/-	—	16-12-57	6-1-59	19-1-59
113.	,, Mangi Lal.	500/-	300/-	—	4—1-59	4-1-59	—
114.	,, Pratap Jat	600/-	500/-	—	31-12-58	6-1-58	—
115.	,, Heera Lal Manna Lal.	400/-	300/-	—	26-12-57	10-1-59	27-1-59
116.	,, Madholal Meena.	3,000/-	1,000/-	New wells	18-12-58	9-1-59	
117.	,, Madan Gopal Nand Kishore.	500/-	500/-	Repair of well	10—1-59	10-1-59	
118.	,, Bhauwar Lal Meena.	400/-	300/-	—	5—1-59	5-1-59	

1	2	3	4	5	6	7	8
119.	Shri Gopi Lal	500/-	300/-	—	13-4-57	10-1-59	
120.	„ Kajori Lal Ram Lal. etc.etd	300/-	300/-	—	6-1-59	10-1-59	
121.	„ Nand Behari Birdhi Lal	900/-	400/-	—	5-1-59	6-1-59	27-1-59
122.	„ Bhanwar lal Karad.	600/-	400/-	—	10-1-59	10-5-59	—
123.	„ Gyarsi Lal Mali.	1,000/-	500/-	—	9-1-59	10-1-59	—
124.	„ Kishan Lal Kalu etc.	900/-	500/-	—	6-1-59	6-1-59	—
125.	„ Ram Ratan Dhakad.	500/-	350/-	—	10-1-59	10-1-59	—
126.	„ Kanta Ratan Chamar.	600/-	600/-	—	7-1-59	10-1-59	—
127.	„ Samundri Singh Rajput-	400/-	400/-	—	10-1-59	10-1-59	—
128.	„ Kalu Mali Harigarh.	800/-	700/-	—	27-1-57	10-1-59	—
129.	„ Bishan Lal Mali Harigarh.	600/-	500/-	—	26-6-58	10-1-59	—
130.	„ Lunga Dhakad Mitampura.	500/-	400/-	—	—	—	—
131.	„ Ram Kishan Kumhar.	500/-	500/-	—	6-1-59	10-1-59	27-1-59
132.	„ Ram Nath Dhakad.	250/-	250/-	New well	10-1-59	10-1-59	—

1	2	3	4	5	6	7	8
133.	Shri Shankar Lal Mali.	1,000/-	700/-	New well	16-10-57	—	—
134.	„ Ram Chandra Mali.	400/-	300/-	Repair of well.	10-1-59	6-1-59	—
135.	„ Nawa Singh Rajput.	500/-	500/-	—	10-1-59	10-1-59	—
136.	„ Bharion Singh Rajput.	500/-	500/-	—	—	—	—
137.	„ Ram Narain Ram Gopal Brahmin	1,000/-	1,000/-	New well	6-1-59	6-1-59	—
138.	„ Lodkiya Mali.	1,000/-	500/-	-do-	—	—	—
139.	„ Heera Puri Gunsai.	1,500/-	1,500/-	—	31-12-58	27-1-59	30-1-59
140.	„ Ram Lal Sunar.	500/-	500/-	Repair of well.	10-1-59	29-3-59	—
141.	„ Bhairon Mali Harigarh.	1,000/-	700/-	New well	28-3-59	29-3-59	—
142.	„ Bhawani Shankar Tamoli.	500/-	500/-	Repair of well.	10-1-59	—	—
143.	„ Bhanwar Das Bariagi.	1,000/-	1,000/-	New well	11-3-59	30-3-58	30-3-59
144.	Sharvan Mali.	1,500/-	1,500/-	—	15-1-59	—	—
145.	Nainga Meena.	1,500/-	1,500/-	—	11-2-59	—	—
146.	Shankar Meena.	1,000/-	500/-	Repair of well	19-2-59	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
147.	Shri Kishore Gujar.	500/-	500/-	Repajr of well.	12-2-59	—	—
148.	,, Ram Lal Meena.	1,500/-	1500/-	New well	28-3-59	—	—
149.	,, Narain Meena.	800/-	500/-	Repair of well	12-3-59	—	—
150.	,, Kishan Lal Meena.	1,500/-	1,500/-	New well	30-3-59	—	—
151.	,, Daulat Ram	200/-	200/-	Repair of well	29-3-59	30-3-59	31-3-59
152.	,, Kajod Devi Lal Meena.	1,500/-	800/-	-do-	30-3-59	30-3-59	30-3-59
153.	,, Bhauwar Lal Meena.	1,400/-	400/-	Repair of well.	—	—	—
154.	,, Gheesia.	500/-	500/-	—	10-3-59	—	—
155.	,, Bhanwar Lal Meena.	500/-	500/-	—			
156.	,, Ratan Lal Mali.	900/-	900/-	New well	19-2-59	—	—
157.	,, Panna Lal Mali.	500/-	500/-	Repair of well.	20-2-59	31-3-59	31-3-59
158.	,, Daulat Ram Meena.	600/-	500/-	—	13-2-59	—	—
159.	,, Ram Narain Ram Nath.	800/-	500/-	—	11-3-59	—	—
160.	,, Arjun Singh Rajput.	3,500/-	1,500/-	New well	21-2-59	31-3-59	—
161.	,, Chandra Prakash Govindram.	1,500/-	1,000/-	—	9-3-59	31-3-59	31-3-59

1	2	3	5	5	6	7	8
162.	Shri Madan Lal Mahajan.	2,000/-	1,000/-	—	4 2 59	30 3 59	
163.	„ Mado Lal Mali.	1,000/-	1,000/-	—	16-3-59	21-3-51	31-3-59
164.	„ Devi Lal Meena.	800/-	600/-	—	31-3-59	31-3-59	—do—
165.	„ Deena Nath Poranamal.	600/-	600/-	—	31-3-59	—do—	—do—
166.	„ Ram Chandra Mangi Lal Dhaka.	1,000/-	500/-	—	31-3-59	—do—	—do—
167.	„ Birdi Lal Madan Lal Meena.	1,000/-	500/-	—	31-3-59	—do—	—do—
168.	„ Dev Lal Meena.	1,100/-	1,000/-	—	5-1-59	5-1-59	—do—
169.	„ Ram Nath Brahmin.	2,000/-	1,000/-	—	5-12-57	—do—	—do—
170.	„ Lakshmi Narain.	2,000/-	1,500/-	—	7-2-58	31-3-59	—do—

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४५० का उत्तर देखिये)

फहुरिस्त रकबा गांववार एकड़ों में जो सी० एम० एफ० के लिए अवाप्त हुआ।

नम्बर शुमार	नाम गांव	तफसील रकबा जो अवाप्त हुआ				कैफियत
		मौरुसी	मतरूका	स्थाई अलॉट	मीजान	
१	२	३	४	५	६	७
१.	मानकथेडी	१८४	—	२३३	४१७	
२.	बारेकां	३१६	—	४३६	७५२	
३.	रंगमहल	९२	—	—	९२	
४.	सरामसर	९६	—	५९	१५५	
५.	भागसर खुर्द	११	—	६१	७२	
६.	प्रेमपुरा	८८	—	२४	११२	
७.	रामपुरा	६७७	१८	६९४	१३८९	
८.	चकनाली रामपुरा	२६४	—	२४०	५०४	
९.	बीड़सूरतगढ़	५०	१५	३२	९७	
१०.	श्योपुरा	३४१	११	३६३	६१५	
११.	मानकसर	७५६	१४	१०७	८६७	
१२.	अमरपुराजाटान	२००	—	३३	२३३	
१३.	करनीसर	३२	४४४	३८६	८६२	
१४.	भैरूंपुरा	४६९	—	१०८	५७७	
१५.	कानपुर	७०२	८	१३१	८४१	
१६.	साहूवाला	८	—	५५	६३	
१७.	मोहमदाबाद	२२	७०	३९	१३१	
१८.	सरदारगढ़	८१४	४९७	१५४६	२८५७	
१९.	भगवानसर	४५४	—	२५९	७१३	

१	२	३	४	५	६	७
२०.	चकनालीभगवानसर	५५०	८६	३४	६७३	
२१.	चकनालीकरनीसर	२५५	२२१	४४	५२०	
२२.	चक १० सरकारी	—	३	—	३	
२३.	दौलताबाद	३९	५	७५	११९	
२४.	हिन्दो	१२३	७०	९५	२८८	
	मीज़ान	६,५३३	१,४६५	४,९५४	१२,९५२	

फहरिस्त आसामियान जिनका रकबा फार्म में आया लेकिन देर से हाजिर आने जाने पर तजवीज किया जाकर वास्ते मंजूरी इमस्ला पेश की गई ।

न० शु०	नाम आसामियान	मौरूसी	मुस्तकील	अलॉट	मीजान
१.	श्री पहलवान वल्द भूरा सरदारगढ़	–		१३	१३
२.	,, माधू वल्द सूवा राठ ,,	–		१०	१०
३.	,, गुलान वल्द जवाया ,,	–		१५	१५
४.	,, निम्वा, अमरिया पि. मघा ,,	२१		–	२१
५.	,, विक्रमसिंह वल्द दौलासिंह, हिन्दा	–		१६	१६
६.	,, अमीरा वल्द मैना, सरदारगढ़	८		–	८
७.	,, गंगाराम वल्द दीवानचन्द, सूरतगढ़	६		–	६
८.	,, चम्पालाल वल्द बुधमल, सूरतगढ़	६		–	६
९.	,, सलदेरा वगैरह पि. नत्थू, सरदारगढ़	४		–	४
१०.	,, मोजराज, मथुरादास, नारायणदास पि. पोकर, सरदारगढ़	८		–	८
११.	,, अहसान वगैरह पि. फकीरा, सरदारगढ़	६		–	६
१२.	,, सलदेरा वगैरह, सरदारगढ़	७		–	७
१३.	,, सादक वल्द पठाना, महारम वल्द महना रा० सा० हिन्दा	६		–	६
१४.	मु. फतेहबानी वेबाह इसमाइल हिन्दा	२		–	२
१५.	श्री लेखराम, मनफूल पि. पीथा, बलताना	२८		–	२८
	मीजान एकड़	१०२		५४	१५६

फहरिस्त आसामियान जिनका रकबा फार्म में आया है लेकिन हाजिर न आने की सूरत में अभी तक तजवीज नहीं कराया।

नं०शु०	नाम आसामी	मौरूसी	मुस्तकिल	अलाट मीजान
१.	श्री रूहेला वल्द अल माछी सा०सरदारगढ़	३	—	३
२.	,, कानिया, किशना, दारियों पि० चैना २६ हिस्सा सनामराय वल्द नियामतराय ३६ हिस्सा	२	—	२
३.	,, सुगनसिंह बगैरह पि० दीपसिंह राजपूत	—	१६	१६
४.	,, प्रतापसिंह वगैरह पि० श्योनाथसिंह	—	१३	१३
५.	,, हरीराम वल्द पन्ना जाट मैरूंपुरा	—	६	६
६.	,, भूरा वल्द ईशर जाट सा० मैरूंपुरा	—	१५	१५
	मीजान	५	५३	५८ एकड़

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४५४ का उत्तर देखिये)

लिश्ट चालान बाद बोली जिनके लिए जिला बोर्ड से रकमें दी गई

नं०	नाम ग्राम	चालान नये	चालान पुराने जिनकी मरम्मत हुई	रकम जो दी गई	विवरण
१	साचोली	२	१	४००	
२	बैरखन्डी	१		५००	
३	नावड किशनपुर		१	२५०	
४	ककराणा		१	४००	
५	बडीसा		१	१६७॥	
	घरोड़ा	१		४००	
७	दांता सूती	१		१३००	
८	गोयद	१		८००	
६	बोयता	१		५००	
१०	मरोली चीड	१		७५०	
११	टोडा	१		२५०	
१२	सीकरोली	१		१००	
१३	बनचारी	१		२५०	
१४	लैठड़ी	१		८००	
१५	मीणा ठोकरी	१		५००	
१६	मोरपा	१		३५०	
१७	माननवास	१		२००	
१८	धन्धाकला	१		५००	
१६	सीताडे	१		६००	
२०	ठैलती	१		२७५	
२१	श्रमासा	कुण्ड		१,५००	

१	२	३	४	५
२२	कुलवाड़ा	पाहूनवा		२५०
२३	गुजर ठिकरया	१		५००
२४	महरोली	१		२५०
२५	पिचपड़ी	२		६००
२६	गरमाणा	१		५००
२७	बामनवास पटी कला		सराडा वाली	२५०
२८	सुमेल	१	१	५००
२९	महरोली	१		५००
३०	रिवाणी	१		१,०००
३१	अविद की झोंपड़ी में	१		५००
३२	विलोण	१		३००
	नये चालान		पुराने मरम्मत	१४,६७२॥
	२९		४	
	१३,२२५		१,४४७॥	

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १४५६ का उत्तर देखिये)

परिशिष्ट 'क'

१	सदस्य संख्या	२,१११
२	हिस्सों की संख्या	३३,६८०
३	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	५ रु०
४	हिस्सा पूंजी	१,६८,४०० रु०
५	बाकी दारों की संख्या	२,०००
६	कर्जदारों में बकाया	४,५७,००० रु०
७	व्यक्तिगत अमानतें	५३,६५० रु०
८	अन्य संस्थाओं की अमानतें	१,६१,२०० रु०
९	सरकार (एकाउन्टेन्ट जनरल के ऑफिस) में विभिन्न मदों में जमा। इसका ब्योरा निम्न प्रकार है :	

क्रम संख्या	विभाग	रकम
१	कोर्ट ऑफ वार्ड्स मैकेनिक यूनिट वगैरा	८१७–१४
२	डेबिट हैड्स	३६१–६
३	फोरेस्ट	४५३–८
४	फोरेस्ट (केस चालान)	१५०–१२
५	पाली ट्रेजरी अकाउन्ट्स	१०४–१०
६	जोधपुर ट्रेजरी अकाउन्ट्स	२१९–८
७	,,	१४२–२
८	एस० जी० आई० जोधपुर अकाउन्ट्स	७५–११
९	पाली ट्रेजरी अकाउन्ट्स	३१४–१४
१०	नागोर ,, ,,	३२२–२
११	,,	१९७–२
१२	सेक्रेटेरियट	६१२–८

१३	जालोर ट्रेजरी अकाउन्ट्स	१८३-६
१४	,, ,, ,,	८-४ } १००-० } २६-१३ }
१५	पी० एफ० सप्रेस क्लेमस	३६६-०
१६	पी० एच० डिपार्टमेंट	५-०
१७	,,	१०१-१५
१८	बाडमेर ट्रेजरी अकाउन्ट्स	३६०-१२
१९	पाली बिल एड पोस्ट	५३६-३
२०	इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट	२७,६४८-५
२१	म्यूनिसिपैल्टी, जोधपुर एन्ड मेडता	८,५४५-०
		४२,०१४-०

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकितप्रश्नोत्तर संख्य १४५७ को देखिये)

Copy of D. O. No 3412/RMS/58 dated. 22. 3. 1958 from Shri M. Iftekhar Ali Superintendent, Government Press, Jodhpur to Shri S. N. Misra, Director Printing and Stationery Deptt. Rajasthan, Jaipur.

The Mono Metal supplied by Messrs. Sind Type Foundry, Jaipur was sent for trial to Monotyye Corporation and to give its findings about its contents, as it was not found suitable for our machine.

I enclose herewith true copy of letter No. D/C. 106 Dated. 19. 2.58 from the Mono Type Corporation for your perusal. It will be evident that it contains the following ingradients-

1.	Tin.	4.3%
2.	Antimony	14.3%
3.	Copper	0.4%

With the remarks that in view of the fact that the sample has a fairly high copper content, we cannot recommend its use in a Monotype machine.

I am afraid if a metal of 4. 14 is used, what would be its condition after 2 or 3 moulding, as necessarily the percentage of tin and antimony will go down and that will make original metal as useless material for casting.

I would request you to guide whether this metal shculd be continued in use, keeping in view that the Corporation is not recommending its use and there recommendation is to be honoured, as under the rate contract, the Corporation has assured life time free service to the plant.

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार दिनांक, ७ मई १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१००५७	१०	sered	seized
१००५९	१७	Custcms	customs
१००५९	१९	by then	by them
१००५९	अन्तिम से ६	feund	found
१००६६	२२	disuss	discuss
१००७६	८	मियाय	मियाद
१००७८	६	माम	भाग
१००९६	९	आंपने	आपने
१०१०५	अन्तिम से ९ व १०	केमेटी	कमेटी
१०१०६	१५	सोसायट	सोसइटी
,,	१६	मैं	में
१०११५	८	एन्डियन	इन्डियन
०११६	१०	परजेज़	परचेजेज़
११६	अन्तिम से४	yhey	they
११७	अन्तिम से८	सरकारी	सहकारी
०१२१	अन्तिम से१०	dweling	dwelling
०१२९	,, ,, ११	उत्तर प्रदेश मैं	उत्तर प्रदेश में
,,	,, ,, १०	भूधिरों	भूधरों
१३३	२३	टिल्लर	टिलर
१५६	१६	नौइंगली	नोइंगली
१६३	१७	श्री चन्दन मल वेद	श्री चन्दन मल वैद
१६४	१४	शख़्त	सख़्त
७०,	१४	फॉर दी हॉल	फॉर दी होल

(२)

१	२	३	४
०१७०	१७,१८,१९व अन्तिम से४	contineous.	continuous
१०१७०	२२	betbeen	between
१०१७१	९	contineous	continuous
१०१७२	६	प्रीगशनेट	प्रेगनेन्ट
१०१७२	१४	इयूरिंग	ड्युरिंग
१०१७३	अन्तिम	अमेन्डमेंड	अमेन्डमेन्ट
१०१७८	१३–२१	सी विल	शी विल
१०१८१	शीर्षक	बेनिफिर	बेनिफिट
१०१८३	१४	ccnsequences	consequences
१०२००	२२–२३	अधिकार कहलाविंगे	अधिकारी कहलावेंगे
१०२०४	५	आनी वाली	आने वाली
१०२०४	२०	आपत्र ढाते.	आप बढ़ाते
१०२१६	अन्तिम से ८	चेस्टा	चेष्टा
१०२२५	६	ये	इन
१०२२६	४८	Sehsil	Tehsil
१०२२६	अन्तिम से ९	म्याद	मियाद
१०२३३	१२	श्री महेद्रसिंह पंवार	श्री महेन्द्रसिंह पंवार
१०२४५	३	सद् ११५०	सन् १९५०
१०२७३	७	Monotyye	Monotype
१०२७३	अन्तिम से ५	shculd	should